खण्ड-240, अंक-3
शुक्रवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(8 मार्च, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 240 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्यां
उपस्थित सदस्य	.. २०७–२११
प्रश्नोत्तर	.. २११–२४५
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	२४५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	.. २४५–२४६
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	२४६
उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	२४६–२५१
विभिन्न समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम	२५२
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या १९—जन-स्वास्थ्य (स्वीकृत)	.. २५२–२९७
नत्थियां	.. २९८–३०९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ८ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री होरीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजाज इमाम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अब्दुल सत्तार, श्री
अब्दुल हबीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यराय, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंचईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलाराम मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदसिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबहादुरसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्मेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तपेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दत्तदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री

नौनिहालसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूडी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री

रघुवीरसहाय कँवर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामदुलारे सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाथ चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री

शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज , श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ८ मार्च, १९६३

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

देवरिया जिले के सहायक विकास अधिकारी की अपील

**१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के कुछ पंचायत निरीक्षकों तथा सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) की अपील निदेशक, पंचायतराज के यहां महीनों से पड़ी हुई है, जिनकी चरित्र पुस्तिका में भर्त्सनात्मक उल्लेख किये गये थे ?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

देवरिया जिले के केवल एक सहायक विकास अधिकारी (पंचायतें एवं समाज शिक्षा) का प्रतिवेदन, जो उनकी चरित्र-पुस्तिका में भर्त्सनात्मक उल्लेखों के विरुद्ध है, निदेशक, पंचायत राज के कार्यालय में विचाराधीन है। यह प्रतिवेदन उक्त कार्यालय में जनवरी, १९६३ में प्राप्त हुआ था।

**२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपील का निर्णय शीघ्र न होने के कारण हाल ही में होने वाले बी० डी० ओ० के साक्षात्कार में उनका नुकसान होने वाला है ? यदि हां, तो जल्द से जल्द निर्णय कराने का आदेश देंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह कहना कठिन है कि उक्त प्रतिवेदन पर निर्णय न होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी का बी० डी० ओ० के साक्षात्कार में कोई नुकसान होगा अथवा नहीं। फिर भी निदेशक, पंचायत राज को आदेश दे दिए गये हैं कि वे इस प्रतिवेदन पर शीघ्र ही निर्णय लें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इनके खिलाफ उनकी चरित्र पुस्तिका में किस सन् का पहला भर्त्सनात्मक लेख है और उन्होंने विभाग के पास कब प्रार्थना-पत्र दिया नकल के लिये ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इनकी चरित्र पुस्तिका में जब से इन्होंने सेवा आरम्भ की है शायद ही कोई साल बचा हो नहीं तो हर साल ऐडवर्स ऐंट्री मिली हैं, जनवरी, १९६३ में उन्होंने अधिकारियों के पास लिखा है उसे रद्द करने के लिये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मेरा उत्तर नहीं मिला श्रीमन्, हमने पूछा था किस सन् में प्रथम उसके खिलाफ चरित्र पुस्तिका में भर्त्सनात्मक नोट किया गया और उसको निकालने के लिये कब दरख्वास्त दी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सब से पहले १९४९-५० में भर्त्सनात्मक उल्लेख चरित्र पुस्तिका में किया गया। दरख्वास्त उन्होंने, जो मेरे पास सूचना है, जनवरी, १९६३ में दी है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

जो १९४९-५० में चरित्र पुस्तिका में रिपोर्ट लिखी गई थी उसकी जानकारी उनको १९६१ में हुई और उसके बाद उन्होंने २३-६-१९६१, १७-२-१९६२, २८-२-१९६२ और २७-३-१९६२ को निकालने के लिये आवेदन पत्र दिये और नकल १६-१०-१९६२ को मिली। क्या सरकार को जानकारी है कि उसने हर बार जानकारी के बाद नकल की दरख्वास्त दी और विभाग ने नकल नहीं दी इसलिये ठीक समय से दरख्वास्त नहीं दिये ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मेरे पास इसकी तो सूचना नहीं है कि कब कब उन्होंने दरख्वास्त दी और नकल उनको नहीं मिली। लेकिन इतनी सूचना जरूर है कि इनको १९४९-५०, १९५०-५१, १९५३-५४ १९५५-५६, १९५७-५८, १९५८-५९ और १९६०-६१ में ऐडवर्स ऐंट्रीज मिली हैं। अब उन्होंने किस ऐंट्री को निकालने के लिये कब प्रार्थना-पत्र दिया है इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

प्रश्न यह है कि १९४९-५० में जो चरित्र पुस्तिका में ऐडवर्स ऐंट्री की गई उस ऐंट्री की सूचना इनको कब दी गई ? क्योंकि नियम यह है कि जैसे ही ऐडवर्स ऐंट्री की जाय तत्काल संबंधित अधिकारी को उससे सूचित किया जाना चाहिये था। किन्तु जैसा आप उत्तर दे रहे हैं १९४९-५० की ऐंट्री की सूचना १९६२ में दी गई, ऐसे अवसर पर दी गई जिस समय वह बी० डी० ओ० के इंटरव्यू में जाता है। उस समय उसको बतलाया जाता है कि तुम्हारे कैरेक्टर रोल में यह ऐंट्री है इस लिये तुम क्वालीफ़ाई नहीं कर सकते हो। तो इस नियम की उपेक्षा इस संबंधित अधिकारी के मामले में क्यों की गई ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

दरअसल में हमारे साथियों ने कुछ भ्रम पैदा कर दिया। मैंने बताया-बराबर इनको ऐंट्री मिलती रही और जैसा पांडेय जी ने कहा उन्होंने अक्तूबर में ऐप्लीकेशन दी कि हमारी ऐंट्री को रद्द किया जाय। जितने वर्षों से यह सर्विस में हैं, विभिन्न जिलों में रहे और जब-जब जिला नियोजन अधिकारी आये तो मेरे पास सूचना नहीं है कि किस अधिकारी ने उनको कब कम्युनिकेट किया, अगर आप सूचना देंगे तो मैं उसे डिटेल में बतलाने की कोशिश करूंगा कि १९४९-५० की ऐंट्री का कम्युनिकेशन कब हुआ लेकिन जो आपने कहा कि बी० डी० ओ० के साक्षात्कार में गये तब उनको मालूम हुआ तो हो सकता है कि अन्तिम ऐंट्री उसी वक्त उनको मालूम हुई हो।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

ये जो ऐडवर्स एंट्रीज उनको मिली हैं वे किन-किन गलतियों के लिये मिली हैं, एक ही प्रकार की गलती के लिये मिली हैं या अलग-अलग गलतियों के लिये मिली ह ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं पूछा जा सकता है। यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। ऐंट्रीज कैसे हुईं यह सवाल से भी नहीं उठता।

कुंवर श्रीपालसिंह—

यह सवाल इसलिए उठता है कि अगर एक ही प्रकार की गलतियां हुईं सातों साल में तो फिर उनको क्यों रखा गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव सवाल है। कैरेक्टर रोल का डिस्कशन यहां नहीं है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

जो प्रतिवेदन उनको दिया गया उसमें मुख्य-मुख्य बातें क्या कही गयी हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

प्रतिवेदन की कापी मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो मैं उन्हें बतला दूंगा। डाइरेक्टर, पंचायत राज के सामने वह विचाराधीन है और सरकार ने लिख दिया है कि उसका निर्णय जल्दी से जल्दी कर दिया जाय।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या वह प्रतिवेदन गोपनीय है जो माननीय मंत्री के पास नहीं है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

गोपनीय नहीं है। डायरेक्टर, पंचायतराज के स्तर पर विचार के लिये है। डाइरेक्टर का फैसला हो जाने के बाद फिर अपील गवर्नमेन्ट के पास आती है, तब गवर्नमेन्ट उसे देखती है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

जो एंट्रीज कैरेक्टर रोल में दी गयीं उनको कम्युनिकेट नहीं किया गया संबंधित अधिकारी को तो क्या उन ऐंट्रीज को रद्द कराने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

वह तो मैंने निवेदन किया कि डाइरेक्टर, पंचायतराज के सामने सारी चीजें हैं। वह रद्द भी कर सकता है और जोड़ भी सकता है। उनके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकता है।

श्री रामायणराय—

मंत्री जी के पास ऐसी सूचना नहीं है कि इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारी के खिलाफ जो ऐंट्रीज की गयी थीं उनको उन्हें कम्युनिकेट किया गया था या नहीं, तो मैं सरकार का ध्यान इस गंभीर मसले की ओर दिलाना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि सर्विस रूल्स में सरकारी कर्मचारी का जो हक है जिसमें यह लिखा है कि जैसे ही ऐडवर्स एंट्री की जाय तो वह आफिसर कंसर्न्ड को कम्युनिकेट की जाय तो यह उपेक्षा इस मामले में क्यों की गयी और जिसने की उसे दंड देने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मैंने अभी निवेदन किया कि रामायण जी ने इसे भ्रमपूर्ण बना दिया है। वह एंट्री उनको हर साल दी जाती रही . . . . . .

श्री रामायणराय—

मैंने ऐंट्री देने के लिये नहीं पूछा, मैंने पूछा कि उनको हर साल कम्युनिकेट की जाती रही या नहीं?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह डिटेल की बात है। उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी लेकिन उनकी अपील हो गयी है और पंचायत राज के डाइरेक्टर के पास वह है जिस पर निर्णय होने वाला है।

तारांकित प्रश्न

[६-३-६३ के लिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या २-३ जो माननीय उपाध्यक्ष के आदेश से ८-३-६३ के लिये निर्धारित किये गये।]

कानपुर में मिल मजदूरों की बेकारी

*२—श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि इस समय कानपुर में स्वदेशी कानपुर टेक्सटाइल म्योर और लक्ष्मीरतन काटन मिल में एक हजार से भी अधिक लूम बन्द हैं और फलस्वरूप डेढ़ हजार मजदूर बेकार हो गये हैं ? यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि राष्ट्रीय संकट के समय में त्रिदलीय सम्मेलन के निर्णयों के विरुद्ध मिल मालिकों के इस कार्य के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—

श्रमायुक्त से वस्तुस्थिति की जांच करने पर यह मालूम हुआ है कि स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, टैक्सटाइल्स तथा म्योर मिल्स में कुछ लूम्स बन्द हो गये हैं। पर यह सही नहीं है कि इसके फलस्वरूप डेढ़ हजार मजदूर बेकार हो गये हैं।

*३—श्री संतसिंह यूसुफ—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर मिल मालिकों के उपरोक्त रवैये से राष्ट्रीय संकट के समय में कपड़े के उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ा है तथा मजदूरों की छंटनी से उनमें जो असन्तोष उत्पन्न हुआ है उसकी जांच करा कर सरकार शीघ्र उचित कदम उठाने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जहां तक कपड़े के उत्पादन का प्रश्न है यदि ये लूम्स बन्द न होते तो यह मिलें और भी अधिक कपड़ा बनातीं। परन्तु सुरक्षा संबंधी उत्पादन पर इस बन्दी का प्रभाव नहीं पड़ा है, सरकार इस स्थिति के संबंध में विचार कर रही है।

श्री संतसिंह यूसुफ—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आदमियों की बेकारी, मशीनों की बन्दी और शिकायतों के सिलसिले में उनसे कुछ डेपुटेशन्स मिले हैं, उन्होंने क्या शिकायतें कीं और सरकार ने उस बारे में क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, १४ जनवरी को माननीय श्रम मंत्री जी से सूती मिल मजदूर सभा के नाम पर कुछ लोग आ कर मिले थे। चूंकि उस यूनियन में झगड़ा है इसलिये मैं आदमियों का नाम लेना नहीं चाहता। उन्होंने मौखिक रूप से यह कहा था कि कानपुर में लूम्स बन्द हो रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, उसके बाद कोई दूसरा रिप्रेजन्टेशन तो मिला नहीं लेकिन उन्हीं की उस सूचना के आधार पर हमने श्रमायुक्त को १४ तारीख में ही यहां से आदेश भेजे कि पूरी जांच करके स्थिति बताओ, लेकिन श्रीमन्, कानपुर की स्थिति ऐसी है, उसको मैं सदन से छिपाना नहीं चाहता, मुझे अफसोस है यह कहने में भी कि मिल मालिक इस तरह की जांच में जल्दी अपना सहयोग देते नहीं हैं फिर भी किसी तरह से जो सूचना एकत्र हो पायी है वह सरकार के पास आ गयी है और सरकार ने उस सूचना के आधार पर जैसा कि मैंने परसों निवेदन किया था कल श्रम मंत्री जी के कमरे में अधिकारियों के साथ बैठ कर उसकी जांच की और आज हमने स्वदेशी काटन मिल जहां कि बन्दी का सब से ज्यादा प्रभाव है वहां के मालिकों को बुलाया है और वे तीन बजे हमारे पास आ रहे हैं। उनसे बातचीत करने के बाद ही कुछ फैसला होगा।

श्री संतसिंह यूसुफ—

डेपुटेशन्स तो लेबर कमिश्नर से और मिले हैं मगर उसको मैं छोड़ देता हूं। मैं मंत्री जी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि स्वदेशी काटन मिल में जो नाइट शिफ्ट है उसको बिलकुल स्थायी किया जा रहा है जबकि वैसे शिफ्टस रोटेट करती हैं और करीबन १२०० मशीनें वहां

बन्द हैं। ८५६ मशीनों का कमरा बिलकुल लाक कर दिया गया है और ४०० के करीब और बन्द हैं। खाली यही नहीं, मेरे पास दूसरे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है। अगर एक डिपार्टमेंट बन्द हो जायगा तो उसके फलस्वरूप और डिपार्टमेंट्स में भी मशीनें बन्द होती हैं। तो इसके सिलसिले में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

माननीय संतसिंह यूसुफ ने अपने प्रश्न में ही बहुत कुछ मुझे इन्फारमेशन दी। उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं। वैसे ये सब सूचनायें मेरे पास करीब-करीब सभी थोड़े बहुत फर्क के साथ मौजूद हैं। उन्होंने पूछा कि इस संबंध में हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि आज ही मालिकों को बुलाया गया है और तीन बजे उनसे बातचीत होगी। मैं एक निवेदन और कर दूं माननीय सदस्य से कि आज इस सवाल पर वे सरकार को राय देने के लिये बाध्य न करें तो बहुत कृपा होगी क्योंकि उससे मिल मालिकों को सरकार की राय का पहले से पता चल जायगा और जो आज शाम को बातचीत होने वाली है उसमें वे उसका सहारा भी ले सकते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही भी कर सकते हैं। इसलिये अगर सरकार की राय अभी न पूछें तो अच्छा होगा।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो अपील की है उससे मैं सहमत हूं लेकिन मैं आप से इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आपने जो विवशता व्यक्त की है कि श्रमायुक्त को जांच के लिये यह काम दिया गया, लेकिन श्रमायुक्त को कानपुर के मिल मालिकों ने ठीक ढंग से सहयोग नहीं दिया और यह अनुभव दुखपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके निवारण के संबंध में जब वे यहां आ रहे हैं तो वे कुछ करने जा रहे हैं या नहीं ? क्योंकि हर मामले में कानपुर के मिल मालिकों की ओर से सहयोग के संबंध में सरकार अपनी विवशता व्यक्त करती है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसको खत्म करने के लिये सरकार कोई कदम उठा रही है या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, जो सदन के सामने बात कही है वह भी एक तरीका है जिससे उनके ऊपर असर पड़े। जब माननीय सदन में निन्दा होती है तो भर्त्सना के बराबर हो जाती है। मैंने भी वही अर्थ लगाया था। मुझे ज्यादा सफाई से कहना पड़ रहा है। अगर बिलकुल विवशता होती तो खबर ही नहीं मिलती। लेकिन जब किसी को बात करने के लिये बुलाया है तो हम कुछ उसके संबंध में कहें तो उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है।

श्री संतसिंह यूसुफ—

मेरी दरख्वास्त है कि बातचीत के बाद जो नतीजा निकले उसके बारे में वे हाउस को अवगत करायें और जब वे बातचीत करें तो इसको ध्यान में रखें कि ट्रिपार्टाइट कांफ्रेन्स के तीनों फैसलों को नहीं माना है, जैसे पैदावार बढ़ाना, छानबीन की व्यवस्था कायम रखना तथा सुपरवाइजरी के काम वाला मामला। जो उनसे शाम को बातचीत हो तो सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, यूसुफ जी का बहुत हिस्सा समझ में नहीं आया। सिर्फ वे यह चाहते हैं कि आज जो फैसला हो उसको मैं सदन को बता दूं उसके संबंध में निवेदन है कि अगर कुछ नतीजा निकलेगा तो क्या आज ही शाम को उसकी सूचना हो जाय ? अगर कल से लूम्स खुलते हैं तो सूचना आ जायगी। अगर सदन चाहेगा कि क्या स्थिति निकलती है, उसको बताया जाय तो मैं बता दूंगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ।]

चकबन्दी सम्बन्धी मुकदमे

*१—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में चकबन्दी द्वारा जिलेवार कितने मुकदमे, अपील तथा निगरानी के दाखिल हुये और उसमें कितने मंजूर हुये और कितने बिना सुने खारिज किये गये? क्या उसकी एक तालिका १९६०–६१, १९६१–६२ की सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

वांछित सूचना† सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बतायेगी कि ओल्ड ऐक्ट में इन डिफाल्ट केसेज ६०–६१ में १४०१ और एक्सपार्टी १९३९ और नये ऐक्ट में ६२०१ और ८१६७ हैं तथा ६१–६२ में ओल्ड ऐक्ट में ३२२ और १३० और नये ऐक्ट में १४७४६ और १६४७१ खारिज हुये हैं तो क्या यह सही है कि उनको नोटिस नहीं मिला है और बिना सुने हुये खारिज हुये हैं? यदि हां, क्या सरकार इसकी कोशिश करेगी ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

इसके बारे में ब्योरेवार बयान करना हमारे लिये असम्भव है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बतायेगी कि जो यह टेंडेंसी मुकदमे खारिज करने की बढ़ती जा रही है, इस टेंडेंसी को रोकने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जुडीशल प्रोसीडिंग्ज में हम दखल नहीं दे सकते ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बतायेगी कि १९६१–६२ में फतेहपुर जिले में, ६७, ५२७ में से ६० हजार २ सौ ५ केसेज, अलीगढ़ में १ लाख ६० हजार ९ सौ १७ में से १ लाख ५६ हजार १७९, बस्ती मे, २ लाख ७६ हजार ६३ में से २ लाख २२ हजार ९४५, रायबरेली में १ लाख ४८ हजार में से १ लाख ४० हजार, जौनपुर में १ लाख ४७ हजार में से १ लाख ३८ हजार हरदोई में १ लाख २८ हजार में से १ लाख २५ हजार, गोंडा में २ लाख ६२ हजार में सें २ लाख ४४ हजार मंजूर हुए अपील और निगरानी में । टडेंसी जो है वह यह है कि नीचे के अधिकारियों की गलती की वजह से निगरानी और अपीलें मंजूर की गयी हैं । तो इन गलतियों को ठीक करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उसके लिए निगरानी और अपील मुकर्रर वही कर सकते हैं। हम तो एग्जीक्यूटिव आफिसर्स हैं। दखल नहीं दे सकते । रोज जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेप्रेरेशन के लिए कहा जाता है ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह निगरानी और सेकेंड अपील के सम्बन्ध में डिप्टी डाइरेक्टर वगैरह को आदेश देंगे कि वह मौके पर जा कर चकों की स्थिति देखें, सिर्फ कागज से ए० सी० ओ० वगैरह की राय पर फैसला न किया करें, क्योंकि चकबन्दी के काम में सिर्फ कागज के घोड़े दौड़ा कर जल्दी मामला तै कर दें और कोटा पूरा कर दें, इससे काम नहीं चल सकता, इसलिए गांव में जा कर देखें कि कौन सा चक अच्छा है कौन सा बुरा है, और वहीं अपीले सुनें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे शक है कि मुझे ऐसा करने का कानूनन अधिकार है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

इसलिए मुकदमे बढ़ रहे हैं क्योंकि जो नीचे के अधिकारी हैं वह नियमतः काम नहीं करते, क्या माननीय मंत्री जी इसकी भी जांच करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री रामायणराय—

जो आंकड़े दिये गये हैं उन आंकड़ों से जो तस्वीर हमारे सामने है और माननीय राजस्व मंत्री जी स्वयं कानून के बहुत बड़े पंडित हैं, मुकदमे में ५० से ८० प्रतिशत अपीलें बहाल हो रही हैं । हम चाहते आपसे यह हैं कि आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में अपीलें बहाल हो रही हैं, इसका पता आप लगायें, नीचे के अधिकारियों की लापरवाही है या नोटिस देने की दिक्कत है, यह बहुत ही इक्वीटेबिल और न्यायपूर्ण आपसे मांग है, इसको देखने के लिए और इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए आप कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आखिर तक इन्साफ हो जाना चाहिये ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

इस प्रदेश में जहां जहां पर भी चकबन्दी हो रही है, प्रदेश में आजकल संकटकालीन स्थिति है और जगह-जगह लोगों से रिश्वतें काफी मात्रा में ली जा रही है और उसकी अपीलें भी नहीं सुनी जा रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिये और इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिये किसी कमीशन की नियुक्ति करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर कोई स्पेसिफिक केस आप बता दें तो मैं इनक्वायरी कराऊंगा और सजा दूंगा, वैसे कमीशन एप्वाइंट नहीं होता ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

उपाध्यक्ष जी, जो मैंने पहले प्रश्न किया था उसी को मैं दूसरे रूप में रखता हूं । सहारनपुर में अपीलेट कोर्ट जो है कंसालिडेशन के सिलसिले में उनके व्यवहार के मुताल्लिक, उस कोर्ट के मुताल्लिक लोगों को बहुत असुविधायें हैं, कोई उनके केसेज की सही तौर पर देखभाल नहीं की जाती है और न उनकी अपील सही ढंग से ली जाती है तो उसके बारे में कोई जांच कराकर वह सुविधायें प्रदान कराने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा कोई लिखकर हमें दिया जाय तो जरूर मैं कोशिश करूंगा । अभी हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे, जो माननीय कमला सिंह जी ने यह प्रश्न रखा है इसके शिकार बहुत से जिले हैं, तो क्या वह बतायेंगे कि लाखों की तादाद में जो अपीलें खारिज हुई हैं यह सी० ओ० या एस० ओ० सी० ने किस स्थान पर बैठकर खारिज की हैं, यह किस स्थान पर बैठकर खारिज की जा रही हैं, यह क्या आपको ज्ञात है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे तो ज्ञात नहीं है ।

घाटमपुर तहसील में खसरा-खतौनी गायब होना

*२—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर के तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत होने वाली चकबन्दी के कार्य-काल में किन-किन ग्रामों के खसरा खतौनी गायब हुये ?

श्री बृजबिहारी—

तहसील घाटमपुर में होने वाली चकबन्दी के कार्य काल में ग्राम गिरसी, चौबेपुर एवं बेहटा गम्भीरपुर की खतौनियां तथा सिंवौली व पडरी-गंगादीन के खसरे खो गये हैं ।

*३—श्री शिवनाथसिंह—

क्या यह सही है कि ग्राम बेहटा गम्भीरपुर की खतौनी किन्हीं व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये गायब कर दी गई है और उसकी सूचना अब तक उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी गयी ?

श्री बृजबिहारी—

यह सच नहीं है कि ग्राम बेहटा गम्भीरपुर की खतौनी किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये गायब की गई थी । इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को समय पर मिल गई थी और उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा चुकी है ।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्रामों की खसरा खतौनी की जांच किस अधिकारी ने की और किसको दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लेखपाल की सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई हैं । एस० डी० ओ० ने इन्क्वायरी की ।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि खसरा खतौनी के कैफियत के खाने में अदालतों के आदेश से कब्जा या इस तरह के निर्णय दर्ज किये जाते हैं तो खसरा खतौनी जब तैयार की गई तो वह कैफियत के खाने किस तरह से पूरे किये गये, उनका निर्णय कैसे लिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह पुराने रेकर्ड्स से तैयार किया, ऐसी रिपोर्ट हमारे पास आयी है ।

श्री शिवनाथसिंह—

यह आदेश तो प्रतिवर्ष दर्ज होते हैं, तो अदालतों के नये आदेश पुराने खसरा-खतौनी में कैसे मिलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने इसका जवाब दे दिया है कि जो पुरानी दरख्वास्तें थीं उनकी बेसिस पर नया खसरा खतौनी तैयार किया गया ।

श्री शिवनाथसिंह—

मेरे कहने का मतलब यह है कि खसरा-खतौनी के कैफियत के खाने में अदालतों के आदेश से कब्जा वगैरह दर्ज किया जाता है और उसमें केवल नीचे की ही अदालतों के नहीं बल्कि हाईकोर्ट तक के आदेश दर्ज किये जाते हैं, तो वह सारे आदेश उन सभी अदालतों के कैसे प्राप्त किये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे यही नहीं मालूम कि उसमें अदालतों के आदेश की एन्ट्री थी या नहीं। पहले यह मालूम हो जाय कि एन्ट्री थी तब सवाल पैदा होता है कि कैसे प्राप्त किया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

माननीय मंत्री जी जानते हैं कि हर साल रेवेन्यू के संबंध में बहुत से मुकदमे कोर्ट में जाते हैं और उनमें कुछ फैसले होते हैं और उन फैसलों के बेसिस पर खसरा-खतौनी में अमलदरामद के लिये जरूरी कागजात अधिकारी को, जिसका फैसला होता है उसके मुताबिक करने के आदेश होते हैं। मंत्री जी ने कहा कि इन पुराने रिकार्ड की बेसिस पर नये खसरे-खतौनी में अमलदरामद की कार्यवाही कर दी, तो यह कहाँ तक सही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है कि जो इन्दराज हुये थे वह कम हुये। इसका कोई पता नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन खसरा और खतौनी के गायब होने पर किन अधिकारियों को दोषी पाया गया और उनको क्या सजा दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं इसका जवाद दे चुका हूं।

काशीपुर उपनिवेशन के लिए अधिगृहीत भूमि का प्रतिकर

*४—श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में जो जमीन जिला नैनीताल में सरकार ने काशीपुर कालोनाइजेशन के लिये ग्रहण की है तो क्या ऐसी सब जमीनों का मुआवजा अदा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सरकार ने तहसील काशीपुर में कालोनाइजेशन स्कीम के लिये ४८ ग्रामों की जमीन ग्रहण की थी। इनमें से ३४ ग्रामों का मुआवजा दिया जा चुका है। बाकी १४ ग्रामों की जमीन के मुआवजा देने का सवाल इस वजह से का हुआ है कि इन ग्रामों की पत्रावलियां उच्च न्यायालय में जो अपीलें की गई हैं उनके संबंध में भेजी जा चुकी हैं। उन पत्रावलियों के वापसी ही पर मुआवजा दिया जा सकेगा।

जौनपुर तहसील में चकबन्दी के विरुद्ध शिकायतें

*५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर तहसील के कितने गांवों का चक बनाकर किसानों को अब तक दे दिया गया है ? क्या इन चकों के बारे में शिकायतें की गयी हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बृजबिहारी—

जौनपुर तहसील में अब तक १९९ ग्रामों में नये चकों पर किसानों को कब्जा दिया जा चुका है। इन ग्रामों नें ८९ शिकायतें प्राप्त हुईं जो चक नापने आदि के बारे में थीं। इन पर यथोचित कार्यवाही की जा चुकी है जिससे सभी खातेदार सन्तुष्ट हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दुर्भाग्य है कि जौनपुर जिले के एस० ओ० सी० के खिलाफ इतनी शिकायत आई है कि जिन पर जांच पड़ताल भी हुई है फिर भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो सवाल पूछे गये उनका या तो गलत जवाब दिया गया या अधूरे जवाब दिये गये या नहीं दिये गये। मुझे इन प्रश्नों का भी उत्तर नहीं मिला तो फिर मैं क्या प्रश्न करूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आपको जवाब नहीं मिले थे तो आप दूसरी कापी मांग लेते ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो दरख्वास्तें हैं उनमें कोई ऐसी दरख्वास्त है जिसमें खासतौर से बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी की शिकायत की गई हो ? यदि हां, तो वह क्या शिकायत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

८९ वह शिकायतें थीं जो इन्दराज के बारे में थीं । लिहाजा उन सबको देखकर उनको दुरुस्त कर दिया गया । उनकी शिकायत को दूर कर दिया गया और वे सैटिस्फइ हो गये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अहरौली गांव की शिकायत की ओर खींचना चाहता हूं जिसमें विशेष रूप से बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई है और वह शिकायत यह है कि उन्होंने गुटबन्दी के नाम पर और अपनी राजनीति के आधार पर जो वहां जौनपुर में चलती है कार्यवाही की है, तो उसकी तिकड़मबाजी का कारण क्या है, उसकी शिकायत आपके दफ्तर में आई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, वह शिकायत सब ठीक कर दी गई है और रफा कर दी गई है । वहाँ गुटबन्दी है या क्या है इसकी सूचना मुझे नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस शख्स की इसमें शिकायत है क्या उसको ठीक करायेंगे और उनको क्या सजा दी गई है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, अब वह मामला ठीक हो गया है, जो गलती होती है, उसकी दुरुस्ती हो जाती है, सजा नहीं दी जाती है । नहीं तो हाईकोर्ट के जज भी न महफूज रहें ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर तहसील के शाहगंज में कलागांव से इस बात की दरख्वास्त आई है कि वहां की चकबन्दी गलत हुई है और वह खर्चा भी बर्दाश्त करने के लिये तैयार हैं अगर वहां की चकबन्दी दोबारा करा दी जाय तो क्या इसके ऊपर कुछ गौर करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वह कौन से चकबन्दी अधिकारी हैं और उनका क्या नाम है जिनके खिलाफ किसानों ने दरख्वास्त दी है और फिर भी अभी तक कोई जांच करके कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है, जितनी शिकायतें थीं सब ठीक कर दी गई हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या मंत्री जी उन अधिकारी का नाम बतायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में जो जिला चकबन्दी अधिकारी हैं वह राजस्व मंत्री जी के संबंधी हैं और उसी कारण से जौनपुर में इतनी धांधली हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह मेरे न तो दूर के रिश्तेदार हैं और न नजदीक के ही हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां तक चकबन्दी के मुहकमे को मैं समझ पाया हूं उसमें बहुत सी खामियां हैं। आपके दंड में चकबन्दी में घूस लेने वाले को भी वही सजा और देने वाले को भी वही सजा। इससे लेने वाला मनमानी करता है। मैं यह चाहता हूं कि आप लेने वाले को दूनी सजा और देने वाले को उसकी आधी सजा दें। तो क्या इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, उसके लिये जो कानून है वही होगा, आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा।

पब्लिक इण्टर कालेज, स्याना का प्रबन्ध

*६—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक इन्टर कालेज, स्याना, जिला बुलन्दशहर की बाबत हाई कोर्ट की तजवीज, दिनांक ६ अगस्त, १९६२, जिसके अनुसार संस्था व उसकी संपत्ति मैनेजमेंट जिसके राम नारायण सिंह मैनेजर हैं, को दी जानी थी तथा जो प्रबन्ध S. D. M. बुलन्दशहर ने दौरान मुकद्दमा दफा १४५ जाब्ता फौजदारी के किये थे उसके समाप्त होने के आदेश भी दिये गये थे, उसका पालन, जिला निरीक्षक, बुलन्दशहर ने कहां तक किया ? यदि अब तक नहीं किया तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री केशभान)—

इस मामले में माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पूर्ण पालन जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा कर दिया गया है और श्री राज नारायण सिंह ने कालेज का चार्ज ले लिया है।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को पता है कि जिला निरीक्षक के हाई कोर्ट, इलाहाबाद द्वारा जारी आदेश पर अमल न करने से संस्था को बड़ी हानि पहुंच रही है ? क्या उस हानि की पूर्ति सरकार करने की कृपा करेगी ?

श्री केशभान—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजनारायण जी को जो चार्ज दिया है, वह किस अधिकार में दिया गया है ?

श्री केशभान—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन कर दूं कि यह जो यहां पर सदन में प्रश्न का उत्तर दिया गया उस प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि जो माननीय सदस्य को पहले भेजी जा चुकी है, वह रद्द समझी जाय और उसके स्थान पर जो यहां पर सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई है, वह सही समझी जाय। (व्यवधान)।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रिविलेज का नोटिस लाता हूं। एक उत्तर जो दिया गया है, उसको रद्द करके उसके स्थान पर दूसरा उत्तर दिया जा रहा है, वह मिसलीडिंग है, यह नहीं होना चाहिये। मैं हाउस के सामने विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं। मैं नोटिस में यह साबित करूंगा कि यह कैसे विशेषाधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा जवाब उनको दे दिया गया, हमारे पास है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

दूसरा जवाब क्या है, जरा मंत्री जी पढ़ दें।

श्री केशभान—

जो मैंने सदन में पढ़ा है, वही सही उत्तर है, इसके पहले दूसरा उत्तर भेजा गया था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या पहले भेजा गया था वह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक कि जवाब नहीं दिया जाता सदन में तब तक वह पेश नहीं है। सदन में जो जवाब दिया गया है वह यही है जो पढ़ा गया।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माननीय मुमताज को जो उत्तर भेजा गया था वह क्या था ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री उग्रसेन—

यह जो माननीय बनारसीदास ने कहा है, आपने बाद में कहा है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप अपने स्वविवेक से फैसला करेंगे या माननीय मंत्री जी के डिक्टेट से कोई बात मानेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने पहले ही कहा कि बाद में जो उत्तर दिया गया वही हमारे सामने है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या पहले जो मुझको जवाब दिया गया था उसमें डिप्टी इंसपेक्टर आफ स्कूल्स के गुनाहों को छिपाने की कोशिश की गयी थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

क्या जवाब दिया गया, क्या नहीं, जब पहले ही बतला दिया तो उसका नोटिस हाउस नहीं ले सकता।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जब मैंने सवाल किया तो उसके बाद मंत्री जी ने कहा कि मैं एक बात भूल गया हूं, यानी उत्तर पढ़ने के बाद उन्होंने कहा था।

श्री उग्रसेन—

मैं सुझाव देता हूं कि माननीय बनारसीदास अधिष्ठाता मंडल के सदस्य मान लिये जायं।

श्री बनारसीदास--

मुझे नहीं लेकिन उग्रसेन जी को अवश्य रख दीजिये ।

श्री उग्रसेन--

उनको क्या अधिकार था कहने का कि कोई जरूरत नहीं है, मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं कि उन्होंने सदन को कुप्रभावित किया ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मैंने सवाल किया था कि संस्था की सम्पत्ति का चार्ज श्री राजनारायण सिंह मैनेजर को कौन सी तारीख को दिया गया, इसका जवाब नहीं दिया ।

श्री केशभान--

२८-२-६३ को ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

हाईकोर्ट का आदेश ९ अगस्त, १९६२ को दिया गया, ७ महीने तक उसका पालन क्यों नहीं हुआ उसके कारण क्या हैं, क्या कोई राजनीतिक दबाव भी था ?

श्री केशभान--

आदेश १-१०-६२ को मिला और २०-१०-६२ को मैनेजर को चार्ज पत्र द्वारा सौंप दिया गया, लेकिन मैनेजर ने कहा कि हमें चार्ज देते समय सामान की सूची बनाकर दी जाय, इसके लिये दो बार जिला निरीक्षक वहां पर गये और उनका कहना था कि पुलिस ने जो ४५ के अनुसार चार्ज लिया हमें कोई सूची नहीं दी कि वैसा ही सामान मिला ।

इस पर मामला और चलता रहा, पत्र-व्यवहार होता रहा । अन्त में २८ फरवरी को पूरी सूची बनाई गई और चार्ज दे दिया गया । इस बीच में जो प्रधानाचार्य थे उनको हटाने की बात कही जा रही थी जिस पर १४ फरवरी, १९६३ को कोर्ट का एक फैसला हुआ और उसके बाद उनके दफ्तर को खोलकर उनका कब्जा दिलवा दिया गया ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या राजनारायण सिंह जी ने यह शिकायत की है कि स्कूल का पूरा चार्ज अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस को आदेश देगी कि वह उनके खिलाफ कार्यवाही करे और उनको पूरा चार्ज दिलवाये ?

श्री केशभान--

इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, जब कोई आयेगी तो उचित आदेश दिये जायेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

•श्रीमन्, हाई कोर्ट का फैसला सन् ६१ में हुआ और ६३ में चार्ज दिया गया । हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी इतने दिन तक कार्यवाही नहीं हुई । जब प्रश्न किया गया तो कार्यवाही हुई, इसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई दरख्वास्त अक्तूबर के महीने में डिप्टी सेक्रेटरी, एजूकेशन के यहां राजनारायणसिंह जी की आयी थी कि उनको चार्ज नहीं दिलवाया जा रहा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री केशभान--

इसकी सूचना नहीं है, लेकिन हमने जवाब दिया कि इंसपेक्टर ने कई बार प्रयास किया चार्ज देने के लिये और चार्ज देने के ढंग में जो मतभेद है वह अन्त में अधिकारियों की बातचीत द्वारा और कोर्ट के फैसले के बाद तय हो पाया और २८ फरवरी को फिर कार्यवाही हो पायी ।

गोंडा जिले में सड़कों व पुलों का निर्माण

*८—श्री गंगाप्रसाद —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में गोंडा जिले की विभिन्न तहसीलों में कितनी मील लम्बी सड़कें कहां से कहां तक बनायी गयीं तथा उनका अलग-अलग क्या-क्या प्राक्कलन था और उन पर कितना-कितना खर्च हुआ ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—

वांछित सूचना† सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी सूची में दी हुई है।

*९—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के विभिन्न तहसीलों में प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कितने पुल कहां-कहां बने तथा उनका अलग-अलग प्राक्कलन कितने-कितने का था और उनमें से प्रत्येक पर कितना-कितना खर्चा हुआ ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

वांछित सूचना† सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी सूची में दी हुई है।

*१०—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह गोंडा कचहरी से दुबहा बाजार वाया विशेसर गंज तक सड़क बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उपर्युक्त सड़क पर कब से कार्य शुरू होगा ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

जी नहीं।

श्री गंगाप्रसाद—

पहली योजना की करनैलगंज-नवाबगंज सड़क के अब तक पूरा न होने का कारण सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

सड़क बनने का कार्य क्रमबद्ध होता है जिसमें समय लगता ही है।

श्री गंगाप्रसाद—

गोंडा से दुबहा बाजार की सड़क को अभी तक क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

इस सड़क को अन्तरिम जिला परिषद् ने प्रायोरिटी नहीं दी।

श्री गंगाप्रसाद —

क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसे प्रायोरिटी दी गई थी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में ट्रांस राप्ती एरिया में किन सड़कों को बनाने का लक्ष्य था और उनमें कितनी पूरी की गई ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—

संचार साधनों के विकास के लिये गोंडा जिले का अब कितना भाग है इस मौजूदा योजना में ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--

एक मील तो बार्डर रोड है और ६ मील मनकापुर-सैदुल्लानगर रोड का लक्ष्य है।

श्री गंगाप्रसाद--

करनैलगंज से महाराजगंज सड़क पर कुछ सर्वे हुआ लेकिन उसका नाम यहां इस लक्ष्य में न होने का क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

सूचना की आवश्यकता है।

वाराणसी तहसील में गबन

*११--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि वाराणसी तहसील में दिसम्बर, १९६२ के तीसरे सप्ताह में ५० हजार रुपये के करीब का गबन हो गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या इस संबंध में लालता प्रसाद नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ?

श्री बृजबिहारी--

दिसम्बर, १९६२ के दूसरे सप्ताह में जांच से ज्ञात हुआ है कि श्री लालता प्रसाद कुर्क अमीन ने तीस हजार रुपये या उससे अधिक का गबन किया है। अकाउन्ट्स पार्टी द्वारा जांच कराई जा रही है। श्री लालता प्रसाद अदालत द्वारा जमानत पर छोड़ दिये गये हैं।

*१२--श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त घटना की जांच किस के द्वारा करायी जा रही है ?

श्री बृजबिहारी--

अकाउन्ट्स पार्टी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् खंड मंडलाधीश द्वारा जांच कराई जावेगी।

श्री ऊदल--

क्या सरकार बतायेगी कि इस गबन की जांच किस अधिकारी द्वारा हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जवाब दिया जा चुका है, अकाउन्ट्स पार्टी जांच कर रही है।

श्री ऊदल--

यह सारी गलती लालता प्रसाद अमीन की ही थी या ट्रेजरी और तहसील के अन्य संबंधित कर्मचारी भी इसमें शामिल थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अभी तो जांच हो रही है, उसके बाद मालूम होगा कि कौन-कौन शामिल थे।

झांसी जिले में सड़कों का निर्माण

*१३--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत तथा बैकवर्ड एरिया स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौन सी पक्की सड़कें कितने-कितने मील बनाने का निश्चय किया गया था तथा क्या माननीय मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं पर कब-कब पुनर्विचार हुआ और अंतिम निश्चय के अनुसार कौन-कौन सी कितने-कितने मील पक्की सड़कें बनाने का निर्णय हुआ तथा उक्त सड़कों को किन-किन तारीखों में काम करने की स्वीकृति दी गयी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

जिला झांसी में प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं तथा बैकवर्ड एरिया स्कीम के अन्तर्गत जिन सड़कों के निर्माण का कार्य अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया, उन के संबंध में आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी अनुसूची में दी हुई है।

प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं पर समय-समय पर पुनः विचार किया गया और जो संशोधन आवश्यक समझे गये, किये गये।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९८ पर)

*१४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में झांसी जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपनी और जिला बोर्ड की कौन-कौन सी सड़कों का पुनः निर्माण करने का निश्चय हुआ था और उनमें से किन-किन सड़कों का पुनः निर्माण हो चुका है ?

श्री गिरधारीलाल—

आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी अनुसूची 'ख' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९८ पर)

*१५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निश्चयों के अनुसार किस-किस सड़क का कार्य कब तक पूरा हो जाना था और उनमें से यदि पूरा नहीं हो सका तो उसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

कार्य पूरे होने की कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी। वर्तमान प्रगति सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी अनुसूची 'क' तथा 'ख' में दी हुई है। जिन सड़कों के निर्माण में देर हुई है, वह भूमि प्राप्ति में देर के कारण हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९८ पर)

जनखत व ग्रौसेर जूनियर हाई स्कूलों की इमारतें

*१६—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जूनियर हाई स्कूल, जनखत, जिला फर्रुखाबाद की इमारत के निर्माण में विकास क्षेत्र उमरदा, जिला फर्रुखाबाद द्वारा कितनी आर्थिक सहायता १ जनवरी, १९५२ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक दी गयी उक्त सहायता किस आधार पर दी गयी ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)—

केवल १,००० रु० की आर्थिक सहायता १९५६-५७ में विकास क्षेत्र, उमरदा द्वारा दी गई थी। उक्त सहायता संबंधित ब्लाक अधिकारी द्वारा रु० ३,३८० के कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर दी गई थी।

*१७—श्री होरीलाल यादव—

क्या उपरोक्त इमारत के संबंध में १९६१-६२ में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र जनता द्वारा सरकार के पास भेजा गया है ? यदि, हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अजीज इमाम—

जी नहीं, कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र सरकार को १९६१-६२ में नहीं प्राप्त हुआ।

*१८--श्री होरीलाल यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल, ओसेर, जिला फर्रुखाबाद की इमारत बन चुकी है ? यदि नहीं, तो उसके बनवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अजीज इमाम--

ओसेर में सरकार द्वारा नहीं बल्कि अन्तरिम जिला परिषद द्वारा जूनियर हाई स्कूल खोला गया है। इसकी इमारत न बनने का कारण यह है कि स्कूल यातायात के साधनों की पहुंच से दूर है। अतः तेरह बार टेन्डर मांगे जाने के उपरान्त भी कोई उचित टेन्डर प्राप्त नहीं हो सका। अब परिषद् स्कूल को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का बिचार कर रही है।

श्री होरीलाल यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उमरदा क्षेत्र से १,००० रुपये के अलावा जिला परिषद् ने भी कोई रकम इस विद्यालय के बनाने के लिये दी है ?

श्री अजीज इमाम--

जी नहीं।

श्री होरीलाल यादव--

३,३८० रुपये का कार्य-पूर्ति का प्रमाण-पत्र दिया गया, उसका ब्यौरा क्या है, कितने का ईंट, सीमेंट, लकड़ी इत्यादि खरीदी गई ?

श्री अजीज इमाम--

इतने ब्यौरे के लिये सूचना चाहिये।

श्री होरीलाल यादव--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर पुनः जांच करावेंगे कि ३,३८० रुपये का एस्टीमेट गलत है ?

श्री अजीज इमाम--

अगर माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री रामायणराय--

क्या ६१-६२ के आगे पीछे सरकार को कोई शिकायती पत्र मिला है ?

श्री अजीज इमाम--

सरकार को तो नहीं मिला।

श्री होरीलाल यादव--

क्या सरकार को ज्ञात है कि इस विद्यालय के १,६०० रुपये जिला परिषद् में जमा थे और वे ग्राम सभा के सभापति को वापिस किये गये ?

श्री अजीज इमाम--

मुझे ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री होरीलाल यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्कूल के बनवाने के लिये एस्टीमेट कितने का है ?

श्री अजीज इमाम--

एस्टीमेट तो नहीं आया है मगर १९५७-५८ में सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस स्कूल के लिये १०,००० रुपये की नान-रैकरिंग ग्रान्ट दी थी।

श्री होरीलाल यादव--

यह स्कूल बहुत ही पिछड़े हुए इलाके में है, क्या सरकार इस बात का प्रयास करेगी और परिषद् को आदेश देगी कि वह यहां से स्कूल हटा कर स्वयं अपनी तरफ से स्कूल बनवाने का प्रबन्ध करे ?

श्री अजीज इमाम--

ऐसा कोई विचार अभी तो नहीं है ।

हायर सेकेंडरी स्कूल, सिलोगी में गबन

*१९--श्री मुन्नूदीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आया यह सही बात है कि श्री कलानिधि पाण्डेय, डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, पौड़ी-गढ़वाल ने सितम्बर ७/८, १९६० को जिलाधीश को रिपोर्ट भेजी कि हायर सेकेन्डरी स्कूल, सिलोगी गढ़वाल के मैनेजर नन्दादत्त कुकरेती ने स्कूल फन्ड व ग्रान्टों के ६,८९२ रु० गबन किये हैं ?

श्री केशभान--

जी हां ।

*२०--श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर--

क्या यह सही है कि उक्त मैनेजर पहले तो एक साल तक लापता रहा और फिर १८ दिसम्बर, १९६१ को वह लैन्सडाउन कोर्ट के समक्ष आत्म-समर्पण कर जमानत पर रिहा हुआ ?

श्री केशभान--

जी हां ।

*२१--श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर--

क्या यह सही है कि अब तक इस मामले में कोई अदालती कार्यवाही नहीं हुई है और इसी सिलसिले में उक्त स्कूल के एक क्लर्क मणी राम काला, फरवरी, १९६१ से सर्विस से अब तक निलम्बित हैं ? इस मामले में अदालती कार्यवाही कब शुरू होगी ?

श्री केशभान--

जी हां ।

मामले की छानबीन पुलिस द्वारा हो रही है, मुकदमा चालान होकर अदालत के सम्मुख अभी प्रस्तुत नहीं हुआ है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर--

क्या सरकार मणीराम काला के भाग्य का निपटारा शीघ्र करने की कृपा करेगी ?

श्री केशभान--

इसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है ।

बांसगांव तहसील में गांवों का पुनर्वासन

*२२--श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के चिल्लूपार परगने में कितने गांव नदियों से कट चुके हैं जिनके बसाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बृजबिहारी--

गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील के चिल्लूपार परगने में नदियों से कटे हुए गांवों में से ५ गांव ऐसे हैं जिनके बसाने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है ।

*२३--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार उन गांवों का नाम तथा उनको बसाने में दी जाने वाली सहायता बताने की कृपा करेगी ?

श्री बृजबिहारी--

उक्त प्रश्न से संबंधित ग्रामों के नाम तथा उनको दी गई सहायता का विवरण संलग्न सूची में दे दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९९ पर)

*२४--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ये गांव कब कटे हैं और उनको अब तक क्यों नहीं बसाया जा सका ?

श्री बृजबिहारी--

ये गांव कई वर्ष से कट रहे हैं। घरों का कटाव क्रमशः होता है। अतएव किसी विशेष वर्ष का उल्लेख संभव नहीं है।

बसाने के संबंध में आवश्यक सूचना संलग्न तालिका के स्तम्भ ६ में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९९ पर)

श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या राजस्व मंत्री जी फिर से इस प्रश्न की जांच करा कर इस सदन में उत्तर देने की कृपा करेंगे कि कोई कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं जांच करा कर आपको बता दूंगा।

नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा योजना न होना

*२५--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या शिक्षा मंत्री दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि किसी भी नगरपालिका में अनिवार्य शिक्षा योजना चालू न करने का कारण क्या है ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--

नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू न करने का कारण यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी नगरपालिकाओं में सार्वभौमिक (Universal) शिक्षा योजना लागू की जा रही है।

*२६--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या शिक्षा मंत्री दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त धनराशि किन-किन जिलों की कितनी-कितनी हैं और जिलों की रकम जमा न होने का कारण क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--

अब तक कुल रु० ४,६१,९००.४० न० पै० जमा हुआ है और इसकी जिलेवार सूची संलग्न है।

रु० २८,६५२.६१ न० पै० के फ्लेग्स का रुपया अभी प्राप्त नहीं हो सका है। इस धन को शीघ्र ही वसूल करने में विभाग प्रयत्नशील है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३००-३०१ पर)

नोट:--तारांकित प्रश्न २४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२७–श्री रामसुन्दर पांडेय––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में शिक्षा मद में से कितने-कितने रुपये की कटौती किन–किन मदों में की गई है ?

आचार्य जुगुलकिशोर––

चालू वित्तीय वर्ष (१९६२–६३) में तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में कुल ५५ लाख रुपये की कटौती हुई है जिसमें ४० लाख रुपया निर्माण (Capital) के तथा १५ लाख राजस्व (Revenue) के मद से है। इसके अतिरिक्त ५१ अतिरिक्त उप–विद्यालय निरीक्षकों के पद भी समाप्त कर दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप लगभग ७४,००० रुपये की बचत होगी।

भोगांव तहसील में तकावी की वसूली

*२८–श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील भोगांव, परगना किशनी के ग्राम जिनौरा तिलियानी, नवीगंज नगला सुधामा में करीब ४ या ५ वर्ष हुये खाद व खली के लिये काश्तकारों ने तकावी ली थी परन्तु उसकी वसूली अभी तक नहीं की गई है, इसके कौन–कौन से कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––

विकास क्षेत्र अधिकारियों द्वारा अन्न भंडार, बेवर ने १९५८–५९ में १६,९७०.६० पैसे की तकावी खाद बांटी थी किन्तु वसूली के हेतु वांछित सूचना तहसील तथा जिलाधीश के कार्यालय को नहीं भेजी। जब तकावी के हिसाब की जांच-परताल की गई तो उपर्युक्त वसूलयाबी का पता लगा। सितम्बर, सन् ६२ में लिस्ट प्राप्त हो गई है और वसूली की उचित कार्यवाही की जा रही है।

*२९–श्री चन्द्रबलीसिंह––

[हटा दिया गया]

मझौली ग्राम में चकबन्दी के अन्तर्गत छोड़ी गई जमीन

*३०–श्री रियासत हुसैन––

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मझौली खास, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में परगनाधीश, तहसीलदार और कानूननो ने मिलकर ग्राम सभा की वह जमीन जो चकबंदी में आबादी के लिये छोड़ी गयी थी कुछ लोगों को ऊपर ही ऊपर दे दी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––

जी नहीं, प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*३१––श्री रियासत हुसैन––

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिन लोगों ने प्रधान ग्राम सभा से खुले नीलाम पर जमीनें लीं उनको तहसील अधिकारी जमीनों पर क्यों नहीं कब्जा करने देते ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––

इन नीलामों के रद्द करने के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतएव इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

*३२––श्री रियासत हुसैन––

क्या राजस्व मन्त्री को मालूम है कि इस सिलसिले में क्षेत्र के एम० एल० ए० की तरफ से जिलाधीश और परगनाधीश को दरख्वास्त दी गई थी ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा हुई और उसमें क्या हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

श्री हेतराम सिंह, एम० एल० ए० का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २३ नवम्बर, १९६२ तीन लेखपालों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जिलाधीश, मुरादाबाद को प्राप्त हुआ था। उस पर प्रारम्भिक जांच परगना बिलारी के नायब तहसीलदार ने की। इस सम्बन्ध में परगनाधीश द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

एन० सी० सी० प्रशिक्षण योजना

*३३--श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगामी शैक्षणिक सत्र से राज्य में एन० सी० सी० प्रशिक्षण अनिवार्य किये जाने से पूरे वर्ष में अनुमानतः कितना रुपया व्यय होगा और केन्द्र से कितना अंश प्राप्त होगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--

भारत सरकार की योजना केवल विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों में एन० सी० सी० प्रशिक्षण अनिवार्य करने की है। इस योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करने से ६९ लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। इसमें से लगभग ४० लाख रुपया भारत सरकार का अंश होगा।

*३४--श्री शारदानन्द--

क्या सरकार उक्त योजना की पूर्ण रूप-रेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--

योजना की रूप-रेखा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३०२ पर)

लखनऊ में माण्टेसरी स्कूलों को अनुदान

*३५--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित शिशु विद्यालयों (मान्टसरी स्कूलों) को कितना-कितना रुपया अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष १९६०-६१, १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ३०३ पर)

*३६--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार को पता है कि यह धन उक्त विद्यालयों को जिस कार्य के लिय दिया गया और वह उसी कार्य में व्यय किया गया है अथवा नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर--

जिस कार्य के लिये अनुदान दिया गया था उसी पर व्यय किया गया।

*३७--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

यदि जांच कराने पर कोई आपत्तियां मिली हैं तो वह क्या हैं और सरकार ने उसके लिये क्या कार्यवाही की है ?

आचार्य जुगलकिशोर--

जांच आपत्ति रहित है।

*३८--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

[८ मार्च, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले में राप्ती पुल का निर्माण

*१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के राप्ती के पुल का निर्माण किस इंजीनियर के अधीनस्थ कराया जा रहा है और पुल कब तक यात्रियों के चलने योग्य हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

इस पुल के निर्माण का कार्य निम्नलिखित इंजीनियरों के अधीनस्थ कराया जा रहा है :—

(१) श्री शान्ति कुमार चरण (अधिक्षण अभियन्ता),

(२) श्री अरुण कुमार सूर (अधीशासी अभियन्ता),

(३) श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (सहायक अभियन्ता)।

आशा की जाती है कि पुल जून, १९६४ तक यात्रियों के चलने योग्य हो जायगा।

*२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी जांच कराकर सदन की मेज पर रपट पेश करने की कृपा करेंगे कि विभिन्न कार्यों के हेतु कौन-कौन से ठेकेदार रक्खे गये हैं और उनके अधीनस्थ किस प्रकार का कार्य है तथा हर कार्यों का अलग-अलग कितना प्राक्कलन है ?

श्री गिरधारीलाल—

पुल का शेष कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है। कुछ कार्य छोटे-छोटे ठेके के रूप में ठेकेदारों को दिया गया है, जिसकी सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३०४ पर)

*३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से उपरोक्त पुल का कार्य कराया जा रहा है उसका सम्बन्ध ठेकेदारों से अच्छा न होने के कारण एक ही तरह के कार्य के लिये एक से अधिक बार टेन्डर मांगा जाता है जिससे कार्य ठोस तथा निश्चित समय में होने में अड़चन पड़ रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। टेन्डर्स का मूल्य अधिक होने के कारण यह एक से अधिक बार मांगे गये हैं। इससे पुल के कार्य व्यय में काफी बचत हुई है और कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

*४—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

माध्यमिक विद्यालयों के प्रिन्सिपलों के पदों के प्रान्तीयकरण पर विचार

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयाग द्वारा लगभग दो मास पहिले कोई ऐसा प्रस्ताव पारित होकर शिक्षा विभाग के पास आया है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के समस्त गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपलों के पदों का प्रान्तीयकरण कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—जी नहीं। सम्बन्धित प्रस्ताव की प्रतिलिपि इस समय सदन की मेज पर रखना जनहित में उपयुक्त न होगा, क्योंकि यह प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन है।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं प्रिंसिपलों को जुलाई सन् १९६२ से जो २० रु० मासिक महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया था उसका सरकार द्वारा अब तक क्या पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—

शासन द्वारा बढ़ाये गये महंगाई भत्ते के विषय में समुचित राजाज्ञा दिनांक १९ जुलाई, १९६२ को जारी कर दी गई थी। उसमें यह आदेश भी निहित है कि उक्त आज्ञा का पालन समस्त सम्बन्धित एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जाय।

प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

*७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

ए० सी० ओ० कार्यालय, सोंधी में आग लगना

*८—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सोंधी ए० सी० ओ० कार्यालय, जौनपुर में गत ३० नवम्बर और १ दिसम्बर की रात में कैसे आग लगी और उससे कितने गांवों के रेकार्ड नष्ट हो गये हैं? इस घटना से सम्बन्धित कर्मचारियों, यदि कोई हों, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ए० सी० ओ० कार्यालय, सोंधी, जिला जौनपुर में गत ३० नवम्बर व १ दिसम्बर की रात में अकस्मात आग लग गई। १० ग्रामों के कागजात अंशतः जले। इसमें किसी भी कर्मचारी का कोई हाथ नहीं पाया गया।

*९—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, जौनपुर के विरुद्ध कितने और कब-कब शिकायती प्रार्थना-पत्र उनके जौनपुर पदार्पण के उपरान्त दिये गये? उन प्रार्थना-पत्रों की जांच किन अधिकारियों द्वारा करायी गयी और जांच अधिकारियों ने तथ्य पर अपना क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जौनपुर के वर्तमान बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के विरुद्ध, उनके उस जिले के अब तक के कार्यालय में, केवल पांच शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इन प्रार्थना-पत्रों के दिये जाने की तिथि तथा उस सम्बन्ध में हुई जांच का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३०५ पर)

*१०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*११-१३—श्री रियासत हुसैन—

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

रायबरेली जिले में सई नदी पर पुल निर्माण

*१४--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में सई नदी पर जो नया पुल बन रहा है उसकी नींव में किस अनुपात से सीमेंट और बालू का मसाला डालने का आदेश विभाग की ओर से हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल--

आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३०६ पर)

*१५--श्री रतीपाल--

क्या सरकार को ज्ञात है कि इस प्रतापगढ़ रोड पर बन रहे पुल की नींव में जो मसाला दिया जा रहा है उसमें सीमेंट बहुत ही कम मात्रा में पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

सीमेंट निर्धारित अनुपात में ही मिलाया जा रहा है।

*१६--श्री रतीपाल--

उपरोक्त पुल के निर्माण में लगे हुए मजदूरों को कितना दैनिक वेतन दिया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल--

आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३०७ पर)

*१७-१९--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

बड़हलगंज-देवा सड़क पर टेस्ट वर्क का पैसा न मिलने की शिकायत

*२०--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें बड़हलगंज देवा रोड पर टेस्ट वर्क संबंधी पैसा न मिलने की कोई शिकायत वहां के प्रधानों द्वारा जिलाधिकारियों और सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त शिकायत क्या है तथा सरकार ने अब तक उस पर कौन-सी कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

पैसा न मिलने के संबंध में प्रधानों द्वारा जिला अधिकारियों के पास शिकायत की गई थी । पर इसके पूर्व ही संबंधित ओवरसियर ने रिपोर्ट की थी कि उन प्रधानों ने उससे जबरदस्ती गलत बिल बनवा लिये हैं । अतः बिलों के भुगतान के पूर्व जांच आवश्यक थी । जांच के अनुसार वास्तविक देय राशि ११४८ रु० पाई गई जिसके भुगतान के आदेश जिलाधीश द्वारा दे दिये गये हैं ।

अल्मोड़ा जिले में चन्दा वसूली के विरुद्ध शिकायत

*२१--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या नवम्बर, दिसम्बर, १९६२ व जनवरी, १९६३ में एस० डी० एम० बारा मंडल, जिला अल्मोड़ा द्वारा जो भूमि की हस्तान्तरण की आज्ञा देने पर कम से कम भूमि की कीमत का १० प्रतिशत रुपया चन्दे (एन० डी० एफ०) में जमा करवाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं ।

*२२--श्री हिम्मतसिंह--

क्या यह सही है कि अल्मोड़ा की अदालतों में इस दर्मियान नयाबाद ग्रांट तथा अमीन तस्दीकी के मामलों में अनिवार्य रूप से (एन० डी० एफ०) चन्दा जमा करवाया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं ।

*२३--श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री शिवनाथसिंह--

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२४-२५--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

[४ मार्च, १९६३ को प्रश्न १२०-१२१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*२६-२७--श्री शिवनाथसिंह--

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने वाली छात्राओं को वजीफा

*२८--श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने वाली छात्रा को सरकारी वजीफा दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो कानपुर जिले में १९५९ की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने वाली छात्रा को यह वजीफा क्यों नहीं दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--

जी हां । १९५९ में कानपुर जिले की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में जिस छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था वह कानपुर जिले से बाहर चली गई थी फलतः उसे छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ा ।

*२९--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो छात्रायें जिस जिले से जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण होती हैं और उसी जिले में आगे की कक्षा में शिक्षा पाती हैं तो क्या उपरोक्त वजीफा उन्हीं छात्राओं को दिया जाता है ? यदि ऐसा प्रतिबंध है तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--

यह छात्रवृत्ति जिले के स्तर पर दी जाती है अर्थात् केवल एक जिले की मेरिट के आधार पर दी जाती है। अतः इसे दूसरे जिले में स्थानान्तरित नहीं किया जाता ।

मछलीशहर, मुंगरा-बादशाहपुर में जमींदारी

*३०--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में मछलीशहर टाउन एरिया और मुंगरा-बादशाहपुर नोटीफाइड एरिया की जमींदारी अभी तक क्यों नहीं टूटी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा ३, ४ और ५ परिच्छेद के अधीन कार्यवाही पूरी की जा रही थी । केवल कृषि क्षेत्रों में ही जमींदारी समाप्त करने के विषय में अधिनियम बनाया गया है । उन क्षेत्रों के परिच्छेद का कार्य पूरा नहीं हुआ था । इसीलिये इन क्षेत्रों में जमींदारी समाप्त नहीं की जा सकी ।

प्रसार अध्यापक

*३१--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में प्रसार अध्यापकों की कितनी संख्या है तथा इसमें कितने स्थायी हैं तथा कितने अस्थायी हैं ?

आचार्य जुगलाकिशोर--

क--२५९१ प्रसाराध्यापक

ख--अभी सब अध्यापक अस्थायी हैं ।

*३२--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अस्थायी प्रसार अध्यापकों को स्थायी करने में सरकार को क्या कठिनाई है तथा इनका स्थायीकरण कब तक हो जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--

पुनर्व्यवस्था योजना अभी अस्थाई है । योजना के स्थाई होने के बाद ही प्रसाराध्यापकों के स्थायीकरण पर विचार किया जा सकता है ।

प्रसार अध्यापक

*३३--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने दिनों से कितने प्रसार अध्यापक शिक्षा कार्य कर रहे हैं और उनका वेतन-क्रम क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--

(क) सन् १९५४ ।

(ख) समय-समय पर संख्या भिन्न रही है। इस समय २,५९१ प्रसाराध्यापक हैं ।

(ग) अधिस्नातक वेतन-क्रम रु० ७५-५-१२०-८-२००,

स्नातक वेतन-क्रम रु० १२०-८-२००-१०-३०० ।

*३४--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि जिस उद्देश्य से सरकार ने कृषि प्रसार शिक्षा देने की योजना बनायी थी उसकी सफलता के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--

योजना को उद्देश्यानुसार चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

*३५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि प्रदेश के जो प्रसार अध्यापक विगत १० वर्षों से विभाग में रह कर सेवा कर रहे हैं उन्हें अब तक स्थायी नहीं किया गया है जब कि ३ वर्ष के बाद शासकीय घोषणानुसार उन्हें स्थायी हो जाना चाहिये था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें स्थायी रूप से मान्यता देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--

प्रसाराध्यापकों के पद अस्थाई हैं । जब तक वे स्थाई नहीं हो जाते उन पर काम करने वाले अध्यापकों को स्थाई करने का प्रस्ताव नहीं उठता है । पुनर्व्यवस्था योजना के स्थाई होने के बाद ही इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

रसड़ा जूनियर बालिका हाई स्कूल के उच्चीकरण की प्रार्थना

*३६--श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--

सरकार को विदित है कि जिला बलिया की प्रमुख तहसील रसड़ा में बालिकाओं की शिक्षा के लिये कोई हाई स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो क्या रसड़ा जूनियर बालिका हाई स्कूल को बालिका हाई स्कूल में परिवर्तन करने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--

जी हां ।

यह बालिका जूनियर हाई स्कूल अन्तरिम जिला परिषद्, बलिया द्वारा संचालित है, शासन द्वारा नहीं । इसलिये शासन द्वारा इसके उच्चीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

*३७-३८--श्री ऊदल--

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

राप्ती ब्रिज जांच कमेटी रिपोर्ट

*३९--श्री उग्रसेन तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री गोरखपुर जिले के राप्ती ब्रिज जांच कमेटी जो श्री घनानन्द पांडेय के नेतृत्व में गठित हुई थी उसकी रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है ।

जे० टी० सी० कालेज, सकलडीहा के छात्राध्यापकों को छात्रवृत्ति न मिलना

*४०--श्री गयाप्रसाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिलान्तर्गत राजकीय जे० टी० सी० कालेज, सकलडीहा में प्रथम वर्ष के छात्रों में से कितने ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है और क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--

४ छात्राध्यापकों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है क्योंकि नियमानुसार निर्धारित को ही छात्रवृत्ति दी जा सकती है ।

*४१--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

मद्यनिषेध योजना में परिवर्तन

*४२--श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राहिबिशन पालिसी के संबंध में राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार ने किसी प्रकार का परामर्श किया है ? यदि हां, तो गत जनवरी में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी क्या इस पर विचार किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसके निर्णय सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच मद्यनिषेध के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान समय-समय पर होता रहता है । गत माह मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया था जिसमें कोई नया महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किया गया । केवल मद्यनिषेध में सरकार के विश्वास की पुष्टि की गई तथा राज्य सरकारों से निवेदन किया गया कि मद्यनिषेध योजना को कार्यान्वित कराने के संबंध में उचित कदम उठाये जायें ।

*४३-४४--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४५--श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)--

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

कृषि कान्स्ट्रक्टिव एल० टी० अध्यापकों को अग्रिम बढ़ोत्तरी न मिलना

*४६—श्री मैनेजरसिंह तथा श्री कमलसिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दो वर्षीय कान्स्ट्रक्टिव एल०टी० क अध्यापकों को जो जब दो अग्रिम बढ़ोत्तरी दी जा रही है तो समान पद एवं वेतन पर कार्य करने वाले कृषि कान्स्ट्रक्टिव एल० टी० अध्यापकों को दो अग्रिम बढ़ोत्तरी क्यों नहीं दी जा रही है ? जब कि सरकार द्वारा ही कृषि के स्नातक के लिये कान्स्ट्रक्टिव एल० टी० की प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष निर्धारित की गयी है ?

*४७—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३ के मार्च तक जो कृषि स्नातक कान्सट्रक्टिव व एल० टी० पास करके अध्यापक के पद पर आ गये थे उन्हें अग्रिम बढ़ोत्तरी दी जा रही है और सन् १९५३ के बाद वाले कृषि कान्स्ट्रक्टिव एल० टी० अध्यापकों को क्यों दो अग्रिम बढ़ोत्तरी से वंचित किया जा रहा है ?

*४८—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिक्षा के पुनर्व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने वाले जो अध्यापक शिक्षा के स्थायी विभाग में समान पद पर कार्य करने हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये हैं, उन्हें शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाली अवधि की बढ़ोत्तरी क्यों नहीं दी जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मद्य निषेध योजना में परिवर्तन

*४९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्यों में मद्यनिषेध संबंधी नीति निर्धारण के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा नीति निर्धारण संबंधी कोई निर्देश प्राप्त हुये हैं ?

डाक्टर सीताराम—

केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है । उसने केवल राज्य सरकारों से आशा प्रगट की है कि वे ऐसे कदम उठावें कि जिनसे मद्य निषेध को वास्तविक सफलता मिले ।

*५०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

यदि हां, तो उनको ध्यान में रखते हुये तद्विषयक सरकार की वर्तमान नीति में क्या परिवर्तन किया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम—

राज्य सरकार ने इसी ध्येय से अपनी मद्य निषेध की नीति का अभिनवीकरण किया है तथा प्राचीन धार्मिक स्थानों में मादक वस्तुओं की पूर्ति को विनियमित करने का फैसला किया है ।

कानपुर तथा मेरठ में विश्वविद्यालय खोलने की योजना

*५१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर तथा मेरठ में विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

इस पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

*५२—श्री नाथूराम शिक्षक—

यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—

प्रश्न नहीं उठता ।

*५३--श्री नाथूराम शिक्षक--

यदि नहीं, तो वह कब तक स्थापित हो जायेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--

प्रश्न नहीं उठता ।

जालौन जिले में जूनियर हाई स्कूल

*५४--श्री विजयसिंह--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में कितने राजकीय जूनियर हाई स्कूल दिनांक १ जनवरी, १९६० के बाद ३१ दिसम्बर, १९६२ तक खोले गये और उनके लिये स्थान के निश्चित करने का आधार क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--

कोई नहीं । अतः स्थान के निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनरवा तथा महमूदपुर ग्राम सभा में चकबन्दी के अन्तर्गत छोड़ी गई भूमि

*५५--श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अनरवा, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी की आबादी हेतु छोड़ी गई भूमि चकबन्दी अधिकारियों ने प्रधान के भाई के नाम दर्ज कर दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह सत्य नहीं है कि ग्राम सभा अनरवा की आबादी हेतु छोड़ी गई भूमि चकबन्दी अधिकारियों ने प्रधान के भाई के नाम दर्ज कर दी है ।

*५६--श्री गिरजाप्रसाद--

(क) क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदपुर गांव सभा, परगना मोहनलालगंज, जिला लखनऊ की आबादी, खेल-कूद तथा घूरों के लिये निकाली गई भूमि पर प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा खेती हो रही है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में जिलाधीश, लखनऊ को कोई प्रार्थना-पत्र २९ दिसम्बर, १९६० को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

(क) गांव सभा महमूदपुर में खेल-कूद के लिये कोई भूमि नहीं छोड़ी गई । आबादी व घूरे के लिये छोड़ी गई भूमि में से कुछ भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अनियमित रूप से खेती होना पाया गया है । जिला अधिकारी इन अनाधिकार कब्जों को हटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

(ख) जी नहीं ।

भूमिधरी में जमा धन

*५७--श्री विजयसिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतावेंगे कि १ जुलाई, १९५२ से १ जुलाई, १९६० तक प्रदेश में कितना रुपया सरकार के खजानों में जमा हुआ है जो भूमिधरी के सम्बन्ध में है और उनकी सनदें जमा करने वाले व्यक्तियों को नहीं दी गई हैं और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

१ जुलाई, १९५२ से १ जुलाई, १९६० तक भूमिधरी सम्बन्धी केवल २,६९,३८९ रुपये की धनराशि ऐसी थी जिनकी सनदें जमा करने वाले व्यक्तियों को नहीं दी गई क्योंकि सनदों के फार्म राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद से देर में छप कर प्राप्त हुये ।

*५८-६०--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--
[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६१-६२--श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)--
[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६३-६५--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--
[हटा दिये गये ।]

आदर्श इण्टर कालेज, चन्दौसी के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*६६--श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)--
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आदर्श इंटर कालेज, चन्दौसी के अध्यापकों को एक वर्ष से अधिक समय का वेतन नहीं मिला है क्या वहां का एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त हो गया है परन्तु अभी तक सरकार ने ग्रांट नहीं दी है ? क्या सरकार उक्त विद्यालय से अध्यापकों की परेशानी को ध्यान में रख कर शीघ्र ग्रांट दिलवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर--
जी हां।

यदि विद्यालय का मैनेजर्स रिटर्न समय से प्राप्त हुआ तो अनुदान इसी वित्तीय वर्ष में देने का प्रयत्न किया जायगा।

*६७--श्री विशनलाल यादव--
[हटा दिया गया ।]

तहसील भोगांव के खिलाफ शिकायतें

*६८--श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री महरारसिंह (जिला फर्रुखाबाद)--
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील के मौजूदा तहसीलदार कितने अर्से से इस तहसील में हैं इस समय में विभिन्न प्रकार की कितनी शिकायतें उनके विरुद्ध प्राप्त हुई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--
१२ जुलाई सन् १९६२ ई० से। इनके विरुद्ध ९ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

*६९-७१--श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)--
[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*७२--श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--
[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

माध्यमिक विद्यालय, धानेपुर में कुप्रबन्ध की शिकायत

*७३--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)--
क्या सरकार को यह पता है कि श्री भैय्या हरिमान दत्त राम पांडेय माध्यमिक विद्यालय धानेपुर, जिला गोंडा के अध्यापकों को गत ८ माह से वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--
जी हां। जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा द्वारा आवश्यक जांच की जा रही है ।

*७४—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार को मालूम है कि उक्त विद्यालय के प्रबन्धक समिति के सदस्यों में मत-भेद हैं और प्रबन्धक समिति को निलम्बित करने के लिये कुछ सदस्यों का एक शिष्ट मंडल, उप-शिक्षा संचालक, गोरखपुर से दिनांक ३१ जनवरी, १९६३ को मिला और जिसने विद्यालय प्रशासन योजना की धारा २१ के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये एक प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां। विद्यालय के व्यवस्थापक से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है।

*७५-७६—श्री लखीसिंह—

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*७७-७९—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*८०—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल—

[६वें बुधवार के लिये प्रश्न २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

शामली नगरपालिका में ग्राम समाज की कथित भूमि

*८१—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शामली, जिला मुजफ्फरनगर में ग्राम समाज की भूमि का कितना रकबा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कुछ नहीं।

*८२—श्री अहमद बख्श—

क्या यह तथ्य है कि सरकार ने ग्राम समाज की भूमि को अपनी किसी विज्ञप्ति द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड शामली को प्रबन्ध के लिये नहीं दी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां।

*८३—श्री अहमद बख्श—

क्या सरकार को ज्ञात है कि इस भूमि के बड़े भाग पर कुछ व्यक्तियों ने अधिकृत अधिकार किया हुआ है? यदि हां, तो उसे 'वैकेट' कराने की दशा में क्या पग उठाये गये हैं और क्या कुछ कब्जे हटा दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता।

धनेशपुर ग्राम की बेसिक प्राइमरी पाठशाला

*८४—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर बिरनों ब्लाक, ग्राम धनेशपुर के बेसिक प्राइमरी पाठशाला को सरकार तथा ग्राम सभा द्वारा अलग-अलग कितनी रकम तथा सामान अनुदान के रूप में दिया गया था? —

आचार्य जुगलकिशोर—

अन्तरिम जिला परिषद्, गाजीपुर द्वारा २,५०० रुपये स्वीकृत किये गये हैं। संस्था के भवन निर्माण पर जो अतिरिक्त व्यय होगा वह गांव सभा लगायेगी।

*८५--श्री झिलमिटराम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पाठशाला किस साल बनी और पाठशाला बनाने की जिम्मेदारी किस व्यक्ति को दी गई थी? क्या पाठशाला बन कर तैयार हो गयी है?

आचार्य जुगलकिशोर--

पाठशाला के भवन निर्माण का उत्तरदायित्व ग्राम सभा तथा वहां के बी० डी० ओ० पर है। अभी पाठशाला बन कर तैयार नहीं हुई।

*८६--श्री झिलमिटराम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पाठशाला की जांच कराकर उसकी एक कापी वह सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

आचार्य जुगलकिशोर--

जांच कराई गई है। पाठशाला भवन अभी अपूर्ण है।

अतारांकित प्रश्न

अतर्रा-कमासिन सड़क पक्की करने की प्रार्थना

१--श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार को पता है कि जिला बांदा की तहसील नरैनी व बबेरू में धान की पैदावार अधिक है किन्तु अतर्रा मंडी तक किसान अपना माल सड़क खराब होने की वजह से नहीं ला पाते हैं, तो क्या सरकार अतर्रा से कमासिन तक की सड़क को पक्का करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल--

अतर्रा से बबेरू तक पक्की सड़क बनी हुई है। बबेरू से कमासिन तक सड़क निर्माण कार्य प्रगति में है।

नेबलट स्कूल, बाराबंकी केन्द्र के परीक्षार्थियों का परीक्षा फल रोकना

२--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार प्रथम सत्र (१९६३) के तारांकित प्रश्न संख्या ६४, दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार ने रिजल्ट कैंसिल किये जाने के पश्चात् आरोपों की छानबीन पूर्णरूप में करा ली है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और क्या सरकार पूर्ण जांच की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर--

इंटरमीडिएट बोर्ड द्वारा पूर्ण जांच के पश्चात् ही इस मामले में विद्यार्थियों के रिजल्ट कैंसिल किये गये थे। अतः बाद में पुनः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न का शेष भाग भी नहीं उठता।

बरहलगंज-डेरवा सड़क पर टेस्ट वर्क

३--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में बरहलगंज-डेरवा रोड पर ग्राम मैमरा, छपिया, भुजौना, खजुरी,रामगढ़, पिड़हनी खड़ेसरी और बुढ़नपुर में गत जून, जुलाई और अगस्त में कितने दिन टेस्ट वर्क चला है और हर गांव में कुल कितने-कितने मजदूरों ने अब तक काम किया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

(३) वांछित सूचना संलग्न तालिका 'क' में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३०८ पर)

४--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किस तारीख में हुआ है? यदि नहीं हुआ है, तो इसका कारण क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

(४) सम्बन्धित गांव सभाओं को भुगतान की गई तथा देय धनराशि का ब्योरा संलग्न तालिका 'ख' पर प्रस्तुत है।

देय धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में कुछ विलम्ब का कारण यह था कि किये गये काम की नाप आदि के विषय में सम्बन्धित ओवरसियर द्वारा शिकायत की गई थी कि उक्त गांव सभाओं के प्रधानों ने उससे गलत बिल बनवा लिये थे। इस शिकायत पर सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वारा जांच की गई जिसके पूरे होने पर ही देय धनराशि के भुगतान के आदेश जिला अधिकारियों द्वारा दे दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ. ३०६ पर)

५--श्री गणेशचन्द्र काछी--

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

बिलारी तहसील के तीन लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें

६--श्री रियासत हुसैन--

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि कौन-कौन लेखपाल ग्राम मझोली खास, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में रहते हैं और उनके हल्के उनके खानदानी गांव मझोली खास से कितनी-कितनी दूर हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

आलोच्य ग्राम के निवासी तीन लेखपाल--सर्वश्री अशफाक खां, निसार खां और अब्दुल रजाक हैं जो अपने-अपने हलके पर आबाद हैं। उनके हलके उक्त ग्राम से क्रमशः ७ मील, ६ मील, तथा ४ मील की दूरी पर हैं।

७--श्री रियासत हुसैन--

क्या राजस्व मन्त्री को यह मालूम है कि इन लेखपालों ने नाजायज आमदनी से अपनी हैसियत बहुत बढ़ा ली है और अपनी शक्ति को उस गांव की पार्टीबन्दी में लगाते हैं जिनको शिकायती दरख्वास्तें कुछ एम० एल० ए० और जनता के लोगों के द्वारा दी गई हैं तो उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सम्बन्धित लेखपालों के विरुद्ध जो शिकायती दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच हो रही है।

८-१०--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

[२२ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

मुसाफिरखाना तहसील में गांव समाजों की सम्पत्ति संबंधी मामले

११--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--

क्या सरकार को विदित है कि जनपद सुलतानपुर की तहसील मुसाफिरखाना के ग्राम समाज जामो की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के कारण श्री शिवप्यारे नामक व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट की गई थी और उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

१२---क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट गिरदावर कानूनगो की रसीद बही नं० २८७(१४) में दिनांक ११ मार्च, १९६२ को रिपोर्ट २११ (१) शिवप्यारे बनाम ग्राम समाज जामो के नाम से दर्ज है जिसमें तहसीलदार के पेशकार के हस्ताक्षर भी हैं? यदि हां, तो निर्णय न लिये जाने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। कार्यवाही न्यायालय के विचाराधीन है अतएव उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है।

१३---कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त तहसील के परगना गौरा जामो के कितने ग्राम समाजों की इस प्रकार की रिपोर्ट्स हैं जिन पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया है और इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इस प्रकार के ८ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

राजकीय जूनियर बालिका विद्यालय, तालबेहट का भवन न बन सकना

१४---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तालबेहट, जिला झांसी में राजकीय जूनियर हाई स्कूल बालिका विद्यालय, सन् १९१३ में खोला गया था, १९२६ और ३१ में भवन-निर्माण हेतु भूमि भी ली गयी थी, वह भूमि अब भवन निर्माण के लिए कम है जिसके कारण भवन नहीं बन सका है? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ५० वर्षों में दूसरी भूमि लेकर भवन क्यों नहीं बनवाया जा सका और अब कब तक बन सकेगा?

आचार्य जुगलकिशोर--

बालिका विद्यालय के लिए सभी दृष्टि से उपयुक्त एवं सुरक्षित भूमि प्राप्त न हो सकने के कारण अभी तक भवन निर्माण न हो सका।

वर्तमान राष्ट्रीय संकट के कारण यह कहना सम्भव नहीं कि कब तक भवन निर्माण हो सकेगा।

१५---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या विद्यालय की मौजूदा भूमि को सरकार बेंचने या किराये पर अथवा पट्टे पर देने जा रही है?

आचार्य जुगलकिशोर---

जी हां।

मऊरानीपुर में अदालतों की इमारतें

१६---श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊरानीपुर (झांसी) में एस० डी० ओ० कोर्ट व उससे सम्बन्धित अदालतों के लिए भवन बनवाने जा रही है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मऊरानीपुर में एस० डी० ओ० कोर्ट व उससे सम्बन्धित अदालतों के लिये भवन बनवाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था परन्तु राष्ट्रीय संकट के कारण यह स्थगित कर दिया गया है।

१७-१९---कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--

[२२ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

२०---श्री ऊदल---

[२२ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में नई तहसील न खुलना

२१--श्री चन्द्रबलीसिंह:--

क्या सरकार देवरिया जिला में रुद्रपुर में एक नयी तहसील का मुख्य स्थान बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो तहसील निर्माण का काम कब से प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो दूसरे जिलों की तहसील संख्या देखते हुये न निर्माण करने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता। अन्तिम भाग के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि दूसरे बराबर के जिलों में तहसीलों की संख्या देखते हुए देवरिया में और तहसील खोलने की आवश्यकता नहीं है।

मैनपुरी-कुसमरा सड़क

२२--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में दीवानी कचहरी से कुसमरा जाने के लिये जो पुख्ता सड़क सरकार बना रही है वह कब तक तैयार हो जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला मैनपुरी में इस प्रकार की कोई पक्की सड़क नहीं बनाई जा रही है।

२३-२५--कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)--

[४थे सोमवार के लिए प्रश्न ३२-३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष --

मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना है। जैसा कि मैंने कहा था माननीय झारखंडेराय जी से बात करने के बाद कल मैं इस पर अपना निर्णय दूंगा। कल से मेरा तात्पर्य है अगले दिन जब यह सदन बैठेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष --

एक कामरोको प्रस्ताव माननीय उग्रसेन जी का है। इस विषय पर इस सदन में विचार भी हो चुका है और वह विषय भी केन्द्रीय सरकार का है इसलिये मैंने उसको एलाउ नहीं किया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, हमारी सीमा पर चीनी फौजों का जमाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा को उससे खतरा पैदा हो गया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि अप्रैल में चीन का हमला होने वाला है। एक लाख चीनी फौजों का जमाव बाराहोती, नीती और नाना स्थानों पर हो रहा है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) --

यह एक ऐसा सवाल है जिस पर इस सदन में आपको बहस एलाउ करनी चाहिये क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की सीमा से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष --

अब मैं आगे बढ़ गया। अब आप विराजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

किस बात की इमर्जेंसी इस प्रदेश में है ?

श्री उपाध्यक्ष --

लोक सभा में उत्तर प्रदेश के बहुत से माननीय सदस्य हैं। वहां पर इस प्रश्न को उठाया जा सकता है।

श्री उग्रसेन --

१९ सितम्बर, १९६२ को डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने कहा था कि बाराहोती हमारा है। बाराहोती चीनी न ले लें, इसलिये सरकार को जागरुक करने के लिये यह प्रश्न लाया गया है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष --

मेरे पास नियम ५२ की ५ सूचनायें आयी हैं। मैंने सभी को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष --

अब माननीय रसद मन्त्री अपना वक्तव्य देंगे।

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी) --

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय काशीनाथ जी ने चीनी के विषय में और माननीय हिम्मत-सिंह जी ने तेल, साबुन, मिट्टी के तेल, चाय, तम्बाकू आदि के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित किया था। इन चीजों पर पहली तारीख से सचमुच में ही कीमतें बढ़ गयी हैं। किस मात्रा में बढ़ी हैं इसका कुछ दिग्दर्शन मैं माननीय सदस्यों को करा देना उचित समझता हूं। जैसे बनस्पति घी, डालडा वगैरह जो पहले ४५ रु० ६२ नये पैसे फी टीन मिलता था वहां उसकी कीमत ४६ रु० ७५ नये पैसे फी टीन हो गयी। सिगरेट पर भी इसी प्रकार से बढ़ोत्तरी हुई है कि १ रुपये के बजाय उसकी कीमत कहीं कहीं पर एक रुपया २५ नये पैसे हो गयी है। इसी तरह से काफी में भी लगभग १२-१३ नये पैसे की बढ़ोत्तरी हुई है। मैच बाक्सेज में भी इस तरह से बढ़ोत्तरी हुई है कि जहां पहले फी दर्जन ६२ नये पैसे के हिसाब से मिलता था वहां अब ७५ नये पैसे मिलता है, इस तरह से इसमें भी करीब १३ नये पैसे फी दर्जन की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह से नहाने का साबुन भी फी किलोग्राम १ रु० १९ पैसे का हो गया है एक रुपया के बजाय। इस तरह से कीमत बढ़ी तो जरूर है जिसकी तरफ हमने केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया था कि चीजों की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो रही है।

इसी प्रकार चीनी के सम्बन्ध में भी है पर इसमें जो बढ़ोत्तरी हुई है वह उतनी नहीं है। पिछले ६-७ महीने की फीगर्स जो मैंने लिये हैं उनसे भी पता चलता है कि चीनी की कीमत में बढ़ोत्तरी तो हुई है, मगर जिस दशा में हमने केन्द्रीय सरकार ने उस पर से कन्ट्रोल उठा लिया उस हिसाब से कोई ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। खासतौर पर अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमत बढ़ी है। जैसे देहरादून में २८ फरवरी, १९६२ को चीनी की कीमत १०५ रु० पर क्विंटल थी जो मार्च, १९६३ में ११३ रुपये २५ नये पैसे पर क्विंटल हो गयी है। इस तरह से इसमें थोड़ी ही बढ़ोत्तरी हुई है। करीब १९ जिले हैं, जैसे मेरठ, सहारनपुर, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, बनारस आदि जहां कीमत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन इनमें एक दो स्थान ऐसा है, जैसे फर्रुखाबाद वहां कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, और जगहों में थोड़ी बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। मगर फिर भी हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर दिया है और वहां लाइसेंसिंग हो चुकी है। और अब हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिख दिया है कि उसके डिस्ट्रिब्यूशन या प्राइस कन्ट्रोल के सम्बन्ध में हम आगे क्या कदम उठावें और यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने चीनी के सम्बन्ध में कहा कि वह ब्लैक में चली जाती है या इस देश के बाहर कहीं जा रही है। अब "ब्लैक" का शब्द तो बड़ा व्यापक है, उस के लिये मैं क्या कहूं, लेकिन जहां तक चीनी के बाहर जाने की बात है, मेरे खयाल में उसके लिये यह शब्द सही नहीं कहा जा सकता है। वह इसलिये भी कि जब उसके प्राइस पर या उसके मूवमेंट पर हमारा कोई कन्ट्रोल ही नहीं है तो शिकायत करने की कोई बात ही नहीं उठती और शिकायत करने में उसमें कोई अन्तर नहीं आ सकता। मगर अब हमारी बातचीत गवर्नमेंट आफ इंडिया से चल रही है कि इस प्रकार का कोई कानून लागू किया जाय या न लागू किया जाय, और यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। गवर्नमेंट आफ इंडिया को हमने पुनः इस पर लिखा था कि आमतौर पर चीजों के दाम बढ़ गये हैं और उसका उत्तर जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दिया वह मैं सुना देना उचित समझता हूं।

गवर्नमेंट आफ इंडिया की मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स ने यह नोटिफिकेशन कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा कीमत किन चीजों पर बढ़ाया जा सकता है— जैसे—मिट्टी का तेल, वेजिटेबिल प्रोड्यूस, यानी जिसे बनस्पपति घी कहते हैं, वाशिंग सोप और प्रिन्टिंग और राईटिंग का जो पेपर है वह ऐसेंशियल आर्टिकिल्स प्राइस कन्ट्रोल आर्डर सन् १९६२ का था जिस को सन् १९६३ में संशोधित किया गया और इस एसेंशियल आर्टिकिल्स प्राइस कन्ट्रोल आर्डर, सन् १९६३ के अनुसार कोई भी होलसेलर या रिटेलर उपर्युक्त सामान को उन दामों से अधिक पर नहीं बेच सकता जो कि उसका औसत मीजान या टोटल पर होता है। एक तो यह है कि उस चीज की कीमत और जो उसमें जोड़ी जायगी वह आर्डर में अटैच की हुई है। वह चीजें कि जिन पर स्पेशल ड्यूटी एक्साइज की जोड़ी गई है और टोटल में जो कुल मिलाकर जोड़ने की है वह इस तरह से है जैसे कि किरोसीन में १ बन्द टिन पर जो कि १८.५ लिटर का होता है उसपर २ रुपया ४० नया पैसा बढ़ाया जा सकता है और तेल की एक बोतल जो पौन लिटर की होती है उस पर...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष —

सदन में बातें बहुत हो रही हैं, शांति से सुनें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री जी क्या कह···

श्री उपाध्यक्ष —

आप शांत रहें तभी तो समझ में आयेगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

मैं कह रहा था कि एक बोतल तेल पर १० नया पैसा बढ़ाया गया है और जो १ टिन घटिया किस्म का मिट्टी का तेल है उस पर १ रुपया ७० नया पैसा बढ़ाया गया है और उसकी एक बोतल जो पौन लिटर की है उस पर ७ नया पैसा बढ़ाया गया है। इस से अधिक अगर कोई चार्ज करेगा तो वह इस आर्डर के बमूजिब गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इसी तरह से बनस्पति के एक टीन.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

शान्ति से आप सुनें, बातें न करें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बनस्पति का १६.५ किलो का जो टिन है उस पर १ रुपया ७ नया पैसा बढ़ाया गया है, जो ४ किलो का टिन है उस पर २५ नया पैसा बढ़ा है, २ किलो के टिन पर १३ नया पैसा, १ किलो के टिन पर ७ नया पैसा और खुले बनस्पति में १ किलो माल पर ६ नया पैसा बढ़ाया गया है। कपड़े धोने का जो साबुन का बार है जो ४५ तोले का या ५२५ ग्राम का है उस पर केवल २ नया पैसा बढ़ाया गया है। और १ साबुन की केक या बट्टी पर ४ नया पैसा बढ़ाया गया है १ किलो पर। एक कागज के रिम पर जिसका वजन कि ४ किलो है उस पर ६ नया पैसा

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

बढ़ाया गया है, अगर घटिया किस्म की कागज की वेराइटी है तो उस पर २.२ नया पैसा प्रति किलो बढ़ाया गया है। जो सामान मौजूद है उसमें पिछले या आज के सामान का प्रश्न नहीं है, कुल सामान जो है चाहे वह एक्साइज डयूटी से पहले का हो या अब का हो सब पर बढ़े हुये दाम चार्ज किये जा सकते हैं। इसके अन्तर्गत हर दुकानदार को अपनी दूकान पर खुले आम बाहर एक बोर्ड लगाना होगा और उस पर वह लिस्ट लगानी होगी जिसमें कुल स्टाक के सामान और उसकी कीमत लिखनी होगी, पिछली कीमत भी दिखानी होगी और नई कीमत जो बढ़ी हुई है वह भी दिखानी होगी। हमने इस तरह के आर्डर्स करीब करीब सब जिलाधीशों को शाया कर दिये हैं। मैं समझता हूं कि जो हम लोगों ने बढ़ाया था उसमें चीनी के अलावा सभी चीजों में अन्तर हुआ है। सिगरेट के बारे में मैं बता चुका।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

यह तो केवल खाद्य वस्तुओं के बारे में था।

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

अब हर चीज का जवाब देना मेरे लिये तो मुश्किल है, लेकिन हर एक के लिये मैंने लिस्ट पहले ही पढ़ दी थी, उस वक्त शायद आप ध्यान नहीं दे रहे थे।

अब जहां तक सिगरेट की बात है, उसमें गोल्डफ्लेक के लिये १ रुपये के स्थान पर १ रुपये २५ नये पैसे चार्ज कर रहे हैं और कैप्स्टन के २० वाले पैकेट के १ रुपया प्रति पैकेट ले रहे हैं।

एक सदस्य—

दाम बढ़े हैं या नहीं, यह बताइये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वह तो मैंने खुद ही कहा कि बढ़े हुये हैं। लेकिन उसके लिये यह है कि हर दूकान पर बोर्ड रहेगा। उसमें जो पिछली प्राइस चीजों की है वह लिखी हुई होंगी, उसके अतिरिक्त ड्यूटी जो लागू होगी उस पर वह और जो नई प्राइस होगी वह लिखी होगी। अगर उसके खिलाफ कोई चार्ज करेगा तो उसका प्रासीक्यूशन होगा। दूकानदारों के यहां जब आप जायेंगे तो आपको लिस्ट लगी हुई मिलेगी जिसमें पुरानी कीमत, ड्यूटी बढ़ाकर नई कीमत लिखी होगी।

चीनी के बारे में जैसा मैंने कहा कि उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिये क्योंकि अब कंट्रोल के जमाने वाले स्तर तक चीनी की कीमत पहुंचना चाहती है। जब वह वहां तक पहुंच जायगी तो लोगों की परेशानी बढ़ेगी। मैं सरकार की पालिसी स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते हैं कि कभी भी कंट्रोल लाना पड़े परन्तु उपभोक्ताओं के कष्ट निवारणार्थ अगर कंट्रोल लगाना पड़ता है तो सरकार की मजबूरी हो जाती है। इसीलिये मैं चीनी के दूकानदारों से कहता हूं कि उनको सतर्क होना चाहिये क्योंकि अगर कोई कदम सरकार को उठाना पड़ता है तो यह उनकी जिम्मेदारी होगी। गवर्नमेंट आफ इंडिया को भी हमने लिखा है और इस समय मैं उन दूकानदारों से दोबारा कहना चाहता हूं कि उन्हें सावधान हो जाना चाहिये।

†श्री रामायणराय—

माननीय प्रश्नकर्ता ने मंत्री जी को यह सूचना दी थी कि कुछ उपभोग्य वस्तुयें दूसरे देशों में जा रही हैं। मंत्री जी ने अभी बताया कि इन चीजों के मूवमेंट पर नियंत्रण नहीं है इसलिये यह सवाल ही नहीं उठता है। मान्यवर मैं उनकी सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं सवाल की शक्ल में कि आज भी ५०० रुपया बोरा चावल और ५० रुपया बोरी सीमेंट तिब्बत के बार्डर में बिक रहा है। यही हाल मिट्टी के तेल का है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये कोई व्यवस्था करेंगे कि यह चीजें जो हमारे लिये आवश्यक हैं विदेशों में न जायं ?

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमन्, मुझे तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि ५० रुपये बोरी सीमेंट बिकने की बात कही जा रही है। यह तो मेरे दिमाग में नहीं आता।

श्री रामायणराय--

यह वस्तुस्थिति है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हो सकता है, अगर वह सोना हो गया है तो मैं नहीं कह सकता, वरना ५० रुपये बोरी सीमेंट, यह मुमकिन बात नहीं है। रह गयी, मूवमेंट की बात, मैंने कहा है कि गेहूं और दीगर अनाजों पर इंटर-स्टेट मूवमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब रहा इंटर-कंट्री का मामला, तो देश के बाहर नहीं जा रहा है...

श्री रामायणराय--

माना गांव से जा रहा है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं कहता हूं नहीं जा रहा है, एक दाना नहीं जा रहा है, कोई ट्रेड इस साल नहीं हुआ है। "सुन पाई बेच खाई" वाली बात न कहिये। चावल का यहां से बिहार जाने का सवाल था। मैं खुद बनारस गया था और मुख्य मंत्री भी गये थे मैंने वहां के कलेक्टर तथा अन्य लोगों से बातें कीं और कहा कि उस घाट से अगर कोई एक दाना चावल का बाहर जाता है तो उसको बन्द किया जाय। हमने स्ट्रिक्ट प्रावीजन किया है और अगर आप एक सबूत दिखा दें तो मैं आप की तारीफ़ करूंगा, मगर जनरल तरीके से कहना ठीक नहीं है।

श्री रामायणराय--

आप एक सबूत की बात कह रहे हैं, मैं मंत्री जी को इस बात के लिये दावत देता हूं कि नैपाल की सीमा जो हमसे लगी हुई है वहां हमारे साथ चलें और एक नहीं हजारों सबूत दे सकता हूं कि खाद्य सामान दूसरे देशों को जा रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरी लिखित शिकायत थी कि देहरादून और सहारनपुर से पंजाब और दिल्ली के चीनी व्यापारी भारी मात्रा में चीनी की खरीद कर रहे हैं जिससे वहां के लोगों में पैनिक फैला हुआ है और ऐसा लगता है कि सारी चीनी पश्चिमी जिलों की दिल्ली और पंजाब को चली जायेगी। मंत्री जी ने कहा सबूत दें। मैंने लिखित सबूत दिया कि बिल्थरा रोड घाट से हमारे यहां से चावल नेपाल जाता है और इसकी शिकायत हमने डी०आई०जी० को की थी और इस सिलसिले में एक थानेदार भी वहां से हटाया गया, और मंत्री जी के यहां भी बलिया सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से भेजा गया कि बलिया से चावल नैपाल बराबर जा रहा है। इस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उनका कहना कि देहरादून और सहारनपुर से चीनी जा रही है मैंने कब कहा कि नहीं जा रही है, क्योंकि मूवमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

चीनी देहात में १ रु० ६ आना सेर बिक रही है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने बता दिया कि बाहर जाने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, और इसकी ओर हमने केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि ऐसी अवस्था पर हम पहुंचने वाले हैं कि जहां हमें इसके मूवमेंट और प्राइस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जहां तक सबूत का प्रश्न र व्यापारी कोशिश करता है स्मगलिंग की। मगर हमारे चौकन्नेपन से वह रुका कि नहीं?

श्री काशीनाथ मिश्र---

बलिया से बिल्थरा घाट रोड से सीमर बाजार से सलेमपुर होते हुये जो नैपाल जा रहा है उसके बारे में बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने जवाब तो दे दिया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर कि गोरखपुर जिले के नौतनवां बाजार से मिट्टी का तेल और चीनी मेरवा के रास्ते भुटवन होते हुये नैपाल जा रहा है और नौगढ़ से कसहवा होकर भैरवा के रास्ते और हवाई जहाज से नैपाल और चीन सामान जा रहा है, इसके बारे में प्रधान मंत्री ने ४ मार्च को श्री भगवत नाथ झा के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्पेसिफिक तरीके से कहा है कि नैपाल के रास्ते चीन को सामान जा रहा है जिस पर प्रदेशीय सरकार को रोकथाम करनी चाहिये । तो मंत्री जी ने इस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

पहली बात तो यह है कि जैसा आप कह रहे हैं कि चावल वहां जा रहा है तो वहां क्यों जायगा वहां तो सस्ता है. . . . . .

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मैं चावल की बात नहीं कर रहा हूं । मैं चीनी और मिट्टी के तेल की बात कह रहा हूं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं चीनी की बात कह रहा हूं । जहां तक मिट्टी के तेल का सवाल है तो बर्माशेल और कैलटेक्स वाले ही नैपाल के लिये तेल भेजते हैं तो वह गोरखपुर हो कर नहीं जायगा तो आसमान से होकर तो जायगा नहीं । वैसे इस चीज को देखने की जरूरत है उसे हम देखेंगे ।

जहां तक चीनी का सवाल है मैं कह नहीं सकता जो कुछ थोड़ी बहुत जाती होगी और उसकी बाबत जानकारी करूंगा ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि हमारे प्रदेश से लगे हुये पहाड़ के लिये हिस्से में चावल और सीमेंट महंगा बिकता है, लिहाजा आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट से और बलिया जिले में बिल्थरा रोड से चावल बड़ी मात्रा में पहाड़ी एरिया में स्मगलिंग हो रहा है ब्लैक के लिये ताकि महंगे दामों पर बेच कर व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमा सकें, इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

गवर्नमेंट को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है । ५ मील का एक एरिया हमने बार्डर पर बनाया था और हमने इन चीजों को एरिया में ले जाना बन्द कर दिया था, लेकिन बलिया, गोरखपुर ने बड़ा जोर डाला कि थोड़ा-सा रिलेक्सेशन दे दिया जाय तो मजबूर हो कर थोड़ी सी सहूलियत देनी पड़ी, अब आप फिर मजबूर कर देंगे तो वह सहूलियत बन्द कर दी जायगी ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

बाजार में यह देखा जा रहा है कि कपड़े पर जो छपा हुआ मूल्य है उस पर वह नहीं मिल रहा है और दुकानदार बतलाते हैं कि उनको एक्स मिल रेट पर ब्लैक देना पड़ता है तो इस दिक्कत को दूर करने के लिये सरकार ने कोई उपाय किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कपड़े पर कंट्रोल नहीं है और जो प्राइसेज लिखी हुई हैं वे वालेंटरी हैं उनको वह मानें या न मानें और किसी कानून में वह नहीं आते। गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा था, परन्तु अब तक उस पर उन्होंने कोई ऐक्शन नहीं लिया है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

बाजार में चीजों के दाम बढ़ गये हैं और दूकानदार ज्यादा दाम वसूल कर रहे हैं तो सरकार कोई ऐसा आदेश देगी कि जो जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुयें हैं उनके मूल्यों की लिस्ट लिख कर दूकानों पर टांग दी जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने जवाब दिया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि चीजों के दाम बढ़े हैं, लेकिन जिन्होंने लिस्ट में दी गई शेड्यूल कीमत से अधिक दाम बढ़ाये हैं उनके विरुद्ध क्या वह डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स के मातहत कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने अर्ज किया कि जो शेड्यूल आया है जिसका कि विवरण अभी आपके सामने पढ़ा गया। उसमें ड्यूटी लगाने और एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद जितनी बढ़ी हुई कीमत है उसमें और दूसरी कीमतों में बहुत थोड़ा-सा अन्तर है, लेकिन अब कोई उस शेड्यूल के खिलाफ काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि जब सरकार अपनी नीति का ऐलान पहले ही कर देती है जैसे केन्द्रीय सरकार ने ऐलान किया कि मिट्टी के तेल की कमी है, लोग कम खर्च करें तो फौरन ही मिट्टी के तेल का अकाल पड़ गया। उसी प्रकार सूबे में जब सरकार किसी चीज की कमी का एलान पहले कर देती है तो वह चीज कम हो जाती है तो मैं सरकार से चाहूंगा कि वह किसी चीज की कमी का ऐलान या दाम बढ़ने का ऐलान पहले ही न कर दिया करें, क्योंकि व्यापारी उसे स्टाक कर लेता है और ब्लैक में बेचने लगता है जैसे कि मिट्टी के तेल की बोतल १ रुपये, सवा रुपये तक मेरे जिले मथुरा में बिकी है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

किसी चीज की पूर्व सूचना नहीं देना चाहिये यह उचित हो सकता है। अगर अगले साल बाढ़ आ जायगी और आपका जिला डूबने लगेगा तो क्या उसका हम ऐलान न करें ? ऐसा शाप नहीं दे रहा हूं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। तो सावधान करना कोई बुरी बात नहीं है। जहां तक यह बताने का प्रश्न कि फलां चीजों की कमी है, हम अगर यह कहें कि हमारे पास स्टाक नहीं है, डिमांड ज्यादा है तो यह तो अर्थ शास्त्र का एक नियम है कि उसकी कमी बढ़ जायगी, मगर बाज दफा इमरजेन्सी में यथार्थ बात बतानी पड़ती है जिससे जनता सावधान हो और सही स्थिति के मुताबिक अपने आप को तैयार कर ले।

श्री रामायणराय—

मान्यवर, एक दूसरा निवेदन करना है .....

विभिन्न समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष---

मैं एक सूचना दे दूं पहले और वह यह है कि उत्तर प्रदेश लाभ पद विषयक संयुक्त समिति में श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह, सदस्य, विधान सभा की मृत्यु के कारण उनके रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु एक सदस्य, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६-१६ सदस्यों, लोक लेखा समिति के २१ सदस्यों, प्राक्कलन समिति के २५ सदस्यों तथा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के २ सदस्यों तथा बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीडियेट एजूकेशन के दो सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यक्रम श्री अध्यक्ष की अनुमति से निर्धारित किया गया है :

(१) नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय । .. १८ मार्च, १९६३ के सायंकाल ५ बजे तक ।

(२) नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय । .. २० मार्च, १९६३, को १२ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।

(३) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय । .. २२ मार्च, १९६३, को सायंकाल ५ बजे तक ।

(४) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान, दिनांक २६ मार्च, १९६३ को विधान वाचनालय, में १२ बजे से ५ बजे तक होगा ।

२---उपर्युक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा किया जायगा। इन निर्वाचनों से संबंधित नामनिर्देशन पत्र नोटिस आफिस से प्राप्त हो सकते हैं।

१९६३-६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान ---अनुदान संख्या १८---चिकित्सा तथा अनुदान संख्या १९---जन-स्वास्थ्य

†श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, अब सम्भवतः आप वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के आय-व्ययक पर विचार करने का आदेश देने वाले हैं। मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि मुझे इस वर्ष यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि विभागीय बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व जो साहित्य माननीय सदस्यों को मिलता रहा है वह साहित्य इस वर्ष हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं ऐसा समझता हूं और आप स्वयं भी इसको स्वीकार करेंगे कि बिना उस साहित्य के जो रचनात्मक विवाद होना चाहिये, वह संभव नहीं हो रहा है। इस संबंध में आप सरकार को आदेश देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं यह अर्ज करूंगा कि वाकई में जो रिपोर्ट्स दी जाती थी उनसे बड़ी सुविधा मिलती थी माननीय सदस्यों को और अगर यह सुविधा अब भी सरकार की तरफ से दी जाय तो यह अच्छा ही होगा और इससे माननीय सदस्यों को बड़ा लाभ पहुंचेगा और वे विवाद में अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)---

परियोजनायें और प्रगति नाम की एक रिपोर्ट फरवरी, १९६३ में बांटी गयी थी। उसमें सारी चीजें लिखी हैं। उसके अलावा तो और किसी चीज की जरूरत मालूम नहीं होती ।

श्री रामायणराय---

प्रगति का ब्योरा नहीं.....

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय रामायणराय जी, मैंने अपील कर दी है सरकार से, अब आप बैठ जाइये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––

श्रीमन्, माननीय नरसिंहनारायण पांडेय हमारे दल के सदस्य हैं । वे गोरखपुर गये थे और वहां से आकर उन्होंने बताया है कि उनकी जिन्दगी का बड़ा खतरा है । इसमें वहां के अधिकारी और एक मंत्री का हाथ बताया जाता है । वे इस हफ्ते वहां जा रहे हैं । अगर उनकी जिन्दगी को कोई खतरा हुआ तो बहुत भारी बात पड़ जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष––

यह कोई सूचना की बात नहीं है ।

श्री उग्रसेन––

श्रीमन्, यह तो बहुत सूचना की बात है । इसी तरह से बहुत से सदस्य मार डाले गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष––

उसके लिये यह उपयुक्त स्थान नहीं है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)––

श्रीमन्, जब से विधान सभा का सत्र प्रारम्भ हुआ है ४/५ शुक्रवार बीत गये हैं । हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को गैर-सरकारी दिवस होना चाहिये । इस पर आपकी व्यवस्था नहीं हुई और हम जो गैर-सरकारी लोग हैं उनके प्रस्तावों या विधेयकों पर विचार होने का कोई मौका नहीं मिल रहा है । इसके लिये आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदन का निश्चय है कि विरोधी दल के नेताओं से मिलकर जो टाइमटेबिल बजट व १ बनाया जाता है उसमें सबकी सम्मति होती है । इसलिये जब तक बजट चल रहा है उस वक्त तक यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री उग्रसेन––

बजट के समाप्त होने के बाद ये दिन दे दिये जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष––

अभी बहुत समय है, देखा जायेगा ।

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––

श्रीमन्, आपके द्वारा मेरी प्रार्थना यह है कि अभी जो माननीय नरसिंहनारायण के खिलाफ नोटिस बंटी थी जिसको आपने विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें प्रेस का नाम नहीं है । आप जानते हैं कि यह प्रेस ऐक्ट के खिलाफ है । मैं निवेदन करूंगा कि आप इसकी इंक्वायरी करायें कि यह नोटिस किस प्रेस में छपा है और ऐसे प्रेस के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय रामसुन्दर जी, यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति में आ गया है । वह उसकी पूरी बात देखेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

श्रीमन्, विशेषाधिकार समिति में प्रेस के संबंध में कोई चर्चा नहीं है । आप उलझा देते हैं यह नई बात है । यह प्रेस ऐक्ट में है कि जब कोई नोटिस किसी प्रेस में छपे तो उस पर उसका नाम होना चाहिये ।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--
जो बात छूट गई है वह भी तो आ सकती है। उसमें चर्चा हो सकती है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--
श्रीमन्, मैं एक मिनट चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--
बिराज जाइये।

†श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या १८--चिकित्सा के अन्तर्गत ६,५१,१४,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, यदि आज्ञा हो तो दूसरी मांग भी पेश कर दूं?

श्री उपाध्यक्ष--
जी हां।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--
उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ५,६६,६२,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इन मांगों का संबंध है, इनका ब्योरा बजट में दे दिया गया है, जो लिटरेचर हमने बांटा है। अब मैंने कटौती के प्रस्तावों को देखा तो वास्तव में वे इन अनुदानों की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव होने चाहिये, क्योंकि इमर्जेन्सी के कारण इसमें कुछ कमी की गई है और यदि यह प्रथा न होती कि नीति पर आलोचना करने के लिये कटौती के प्रस्ताव होते हैं तो मैं समझता हूं कि सारे माननीय सदस्य यह प्रस्ताव करते कि इसमें कुछ रकम बढ़ा दी जाय। अब जहां तक रकम का संबंध है वह तो कोई बात नहीं है। अब नीति के विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी नीति यह है कि कम से कम रुपये में ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों की अच्छे से अच्छे तरीके से सेवा की जाय। यह तो हमारी नीति है। हम इस नीति को किस तरह से पूरी करना चाहते हैं उस की व्यवस्था हमारे बजट में दी हुई है जिसका कुल ब्योरा हमने दे रखा है। जो कटौती के प्रस्ताव हैं, उनमें जहां तक नीति की आलोचना की बात है वहां मैं यह निवेदन करूंगा कि नीति की आलोचना केवल आलोचना की गरज से न की जाय, नीति की आलोचना ऐसी की जाय कि जिससे लाभ हो सके। जो आलोचना की जायगी उस पर मैं विचार करके फिर उत्तर पेश करूंगा, क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है कि बहुत सी आलोचनायें और शिकायतें ऐसी होंगी जो केवल गलतफहमी पर होंगी। उनकी सफाई पेश की जायगी। तो शायद माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे। जो आलोचनायें आम हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कह नही सकता। अगर ऐसी कोई शिकायतें हों, अगर कोई ऐसे सुझाव हों जो स्पेसिफिक हों तो उनके लिये रजिस्टर खोल दिया है। यह सरकार गणतन्त्रीय सरकार है। उन सुझावों को पूरा करने की कोशिश की जायगी। और जहां तक हो सकेगा, जितने साधन जुटाये जा सकते हैं, उनसे उनको पूरा किया जाय यह कोशिश की जायगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इन दोनों मांगों को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा विवाद किया जायगा जिसमें गर्मागर्मी न हो। ठंडे दिल से सुझाव पेश किये जायं। हर सदस्य अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि है और उसको वकालत करने का अधिकार है। लेकिन वकालत इस तरह से की जाय जिसमें मुकदमा जीतने की कोशिश हो गर्मागर्मी से दलील में कोई कूब्वत नहीं आ जाती। दलील के साथ, ठंडे दिल के साथ जो विचार पेश किये जायेंगे उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८--चिकित्सा तथा अनुदान संख्या १९--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक-एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी खड़े हुये हैं, मैंने सोचा कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा पर १०, १५ मिनट कुछ अपने विचार प्रकट करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने दोनों मूव कर दिये न ?

श्री श्यामलाल--

जी हां। लेकिन दो ही मिनट में उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन में पहली चीज यह कही कि हमारा लक्ष्य प्रदेश की जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना है। उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम बम्बई जाना चाहते हैं और कलकत्ता जाने वाली गाड़ी पर बैठे हों तो बम्बई कैसे पहुंच जायेंगे ? लक्ष्य आप का सुन्दर है, लेकिन साधन जो हैं वे बढ़िया नहीं हैं । श्रीमन्, किसी भी देश का स्वास्थ्य उस देश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का मजमुआ है ।

सामूहिक दृष्टिकोण से भी देखना है कि और हमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी देखना है । लक्ष्य हमारा सुन्दर है कि हम सम्पूर्ण देश को स्वस्थ रखना चाहते हैं। सुन्दर से सुन्दर खाना मिले, सुन्दर से सुन्दर, हट्टे-कट्टे देश के लोग हों, लेकिन उसी के साथ फौरन आपको यह भी देखना होगा कि देश में जितने भी वर्ग हों, जितने भी सेक्शंस हो, जितने भी व्यक्ति हों, उन सबके स्वास्थ्य और शुद्ध खराक की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट होना चाहिये । श्रीमन्, स्वास्थ्य के लिये तीन चार चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है--(१) शुद्ध पानी, (२) शुद्ध भोजन, (३) शुद्ध वायु, और (४) शुद्ध दवा । और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मोटी बातें यह चार हैं जो स्वास्थ्य के लिये बहुत ही जरूरी चीजें हैं । अब हम थोड़े में इन चारों की व्याख्या करके आगे बढ़ेंगे ।

पहले तो मैं लेता हूं पानी। श्रीमन्, मुझे दक्षिण भारत में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां दो साल रहा । वहां एक बहुत सुन्दर शहर है जिसका नाम ट्रिवेंड्रम है । वहां पर एक लाज में मैं रहता था। पानी की व्यवस्था वहां पर ऐसी थी कि अन्धेरा हुआ सूर्य डूब चुका और इधर नलों में गन्दा पानी आना शुरू हो गया, अब जो आदमी उस पानी को लेकर खाना पकायेगा, उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। यह मैंने एक दूसरे राज्य की बात बतायी। लेकिन श्रीमन्, देश के अगर किसी एक राज्य में कोई घटना घटती है तो उस तरह की घटना दूसरे राज्यों में भी घट सकती है, इसमें किसी को शंका और सन्देह करने की गुंजाइश नहीं है । लखनऊ, कानपुर, आगरा ऐसे शहरों में पानी बड़ा शुद्ध है, हम किसी प्रकार इसकी आलोचना नहीं करते । लेकिन लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस में ही नागरिकों को शुद्ध जल मिले इतना ही काफी नहीं है । हमारा देश गांवों का देश है जहां किसान रहते हैं, जहां मजदूर रहते हैं, जहां गरीब रहते हैं. . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, पानी की सप्लाई का सम्बन्ध तो म्युनिसिपैलिटी से है न ?

श्री श्यामलाल--

श्रीमन्, शहर में शुद्ध पानी है, लेकिन देहात में पानी की क्या व्यवस्था है, मैं उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने रखता हूं । हमारे बस्ती जिले में एक गांव है भिटहाभिखारी। वहां पर एक गुरदीनदास नाम का आदमी है, आप नोट कर लीजिये, माननीय मंत्री जी. . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आपको नोट से मतलब नहीं है, आप कहते चलिये, नोट तो यहां हो रहा है ।

श्री श्यामलाल--

लगभग साल भर हो गया श्रीमन्, और उसको तालाब का पानी पीना पड़ रहा है । मैंने जिले के अधिकारियों को कई दफा सूचना दी कि एक नागरिक की जिन्दगी का सवाल है, उसके स्वास्थ्य का सवाल है, लेकिन जिले का अधिकारी उस नागरिक के स्वास्थ्य को बिलकुल दुतकार दे, मैं कहता हूं कि वह स्वास्थ्य विभाग की कमी है और उस जिले के अधिकारी निकम्मे हैं ऐसा मैं कहूं तो अनुचित नहीं होगा । यह तो मैंने एक छोटा-सा उदाहरण रखा । इस तरह की बातें प्रदेश के बहुत से गांवों में होती होंगी जिसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है ।

दूसरा आता है भोजन । इस पर तो ज्यादा विवाद करने की जरूरत नहीं है कि भोजन ही मुख्य चीज है । किसी भी व्यक्ति और किसी भी राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिये भोजन उतना ही आवश्यक है उतना ही अनिवार्य है जितनी कि वायु ।

हमारे देश और प्रदेश में भोजन की क्या विशेषता है इसके सम्बन्ध म मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं । अभी ४, ६ दिन हुये अखबार में हमने पढ़ा कि बम्बई में कितने आदमी ऐसा भोजन खा गये कि वे मौत के मुंह में चले गये । अब प्रश्न यह होता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में बतलायें । उत्तर प्रदेश के बारे में क्या बतलाऊं । आज अगर आटा खरीदने जायं तो आटा शुद्ध नहीं मिलता है । चावल खरीदने जायं तो वह चावल को पुराना कहकर भले ही दे दे, लेकिन उसको खाने पर बुखार आ जाता है । घी खरीदने जाइये और ८ रुपये सेर शुद्ध घी लेने का आप चाहे जितना प्रयास करें, लेकिन उसमें भी दालदा मिला हुआ होता है । दूध खरीदने के लिये जायं और महंगा से महंगा दूध लेने की कोशिश करें तब भी शुद्ध दूध नहीं मिलता है । पहले तो यह कहा जाता था कि दूध में पानी ग्वाले मिलाते हैं, लेकिन अब ऐसा देखा जाता है कि ग्वाले पानी में दूध मिलाने लगे हैं । यह हमारे प्रदेश की विशेषता है । हमारे यहां सैनिटरी इन्सपेक्टर क्या करते हैं यह हमारी समझ में नहीं आता है । एक सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वह कि जितने भी बड़े-बड़े शहर हमारे प्रदेश में हैं उनमें होटल और रेस्ट्रां का प्रबन्ध सरकार के हाथ में हो । शहर में देहात के लोग बहुत आते हैं और भोजन की व्यवस्था ठीक न होने की वजह से वह होटल में चले जाते हैं और वहीं पर खाना खाते हैं । वहां पर उनको २, ३ रोज की सूखी रोटी, बासी रोटी दे दी जाती है । बासी चावल उनको खाने के लिये दिया जाता है । बासी सब्जी उनको दे दी जाती है, जिसकी वजह से वह बीमार पड़ जाते हैं । मैं आपके द्वारा स्वास्थ्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन रेस्ट्रां और होटलों पर आप लाइसेन्स करने की कृपा करें । ऐसे होटल, ऐसे रेस्ट्रां और प्रोप्राइटर जो गन्दे हों, होटल गंदे हों, रेस्ट्रां गन्दे हों जहां पर गन्दा खाना परसा जाता हो उनके लाइसेन्स साल के अन्त में फौरन रद्द कर देने चाहिये । यदि इस प्रकार की पद्धति जारी की गई तो २, १ साल में होटल और रेस्ट्रां सब शुद्ध हो जायेंगे और वहां पर शुद्ध भोजन मिलने लगेगा । यह छोटी-सी बात है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा ।

अब मैं वायु के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । भोजन के बाद वायु का नम्बर आता है । अगर बाद में नहीं आता है तो उससे कम महत्व इसका नहीं है । वायु देहात की शुद्ध हो सकती है, लेकिन बड़े-बड़े शहरों की वायु शुद्ध नहीं होती है । मैंने पिछले साल परिवहन के अनुदान पर बोलते हुये कहा था कि जितनी बसें चलती हैं, जहां पर डिजेल आयल की बसें चलती हैं वह सारे शहर को गन्दा कर देती हैं । मैं अपने मुख्य मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी मेरे साथ कार पर चलें । अगर शहर का वातावरण दूषित है और वहां पर डिजेल आयल का धुआं चारों तरफ फैलता है तो उससे आपकी कार भी गन्दी हो जायगी और उसकी हवा भी खराब हो जायगी, क्योंकि उसके कारण दुर्गन्ध आ सकती है ।

अब चौथी बात मैं दवा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में संक्षेप में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर दवाओं में भी एडल्ट्रेशन हो तो वह प्रदेश कहां जायगा ? कुछ समझ में नहीं आता । इसके सिलसिले में मुझे श्रीमन्, एक कथा याद आ गई । वह कथा नहीं है बल्कि एक तथ्य है । वह इसी कानपुर शहर की

घटना है। आज से कुछ महीने पूर्व मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक व्यक्ति था जो बड़ा निराश होचुका था। वह आत्म हत्या कर लेना चाहता था। तो वह एक डाक्टर के पास गया और उससे कहा कि हमें जहर दे दीजिये, क्योंकि मैं अपने जीवन से आजिज आ गया हूं और मर जाना चाहता हूं। उससे प्वाइजन खरीदा और खा लिया, परन्तु वह दूसरे दिन मरा नहीं और उठकर अपना काम करने के लिये तैयार हो गया। तो आप देखें कि आज जहर में भी अल्ट्रेशन हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष––

आप समय का भी ख़याल रखें आपका समय कम रह गया है।

श्री श्यामलाल––

श्रीमन्, अभी तो मैंने २–३ प्वाइंट ही कहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र––

श्रीमन्, वह बड़ी मौलिक बातें कह रहे हैं थोड़ा समय और दे दें।

श्री श्यामलाल––

श्रीमन्, एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने माननीय मन्त्री जी से और इस आदरणीय सदन से भी कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितना जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा पर व्यय होता है, वह अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है। ऐसा नहीं होना चाहिये। अन्य राज्यों के अनुसार ही हमारे यहां भी परसेन्टेज में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। आप देखें, दूसरी बात जो कि महत्वपूर्ण है और वह यह है कि.....

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)––

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस आदरणीय सदन की यह परम्परा रही है कि जो ग्रान्ट्स पर बहस होना तय होता है, उसको विरोधी पक्ष आपस में ही तय कर लेता है कि कौन ग्रान्ट किस पार्टी के सदस्य मूव करेंगे। इस प्रकार से आपस में हम लोग बांट लेते हैं। यह परम्परा १०–१२ वर्षों से रही है और पार्टी मीटिंग में पार्टी का नेता इस बात को तय कर देता है कि उसके दल का कौन-सा आदमी उस ग्रान्ट को मूव करेगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त आपकी तरफ से कुछ गलती हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी के जिस सदस्य को यह जिम्मेदारी दी गई थी, वह तैयार होकर आये हुए हैं। अचानक माननीय श्यामलाल जी खड़े हो गए। वह इसको मूव कर दिये हैं। यह बहुत गड़बड़ी हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष––

यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। माननीय श्यामलाल जी अपने को डिप्टी लीडर कहते हैं। माननीय श्यामलाल जी भाषण जारी रखें।

श्री श्यामलाल––

श्रीमन्, यह बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने आपत्ति की है। हमारे यहां तय हो गया था कि मैं मूव करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय केवल अब २–३ मिनट ही रह गया है, आप जल्दी समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल––

जो कटमोशन मूव करना है, उसको.....।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

श्रीमन्, जैसा कि अभी माननीय राय जी ने कहा, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि आपक पास हमारे माननीय खेमचन्द जी गए थे, बल्कि एक हफ्ते पहले गए थे इसी कट मोशन के लिये। फिर भी जो आप ने कहा है, उससे मैं समझता हूं कि हम लोगों को बड़ा दुख होता है। कट-मोशन तैयार होना चाहिये, उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिये। वह नहीं है। वह बड़ी गड़बड़ी हो रही है परन्तु.....

श्री श्यामलाल---

श्रीमन्, जो हमारी पार्टी के माननीय राहत मौलाई जी हैं, उनसे कन्सल्ट कर लिया गया है। पता नहीं यह सब कैसे और क्यों होता है। खैर, अब मैं पुनः विषय पर आता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नीति स्वास्थ्य विभाग की है, वह बहुत सुन्दर नहीं है। हमारे यहां पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयां मिलती हैं। लेकिन सरकार ऐसे लोगों को ग्रांट दे देती है जो कि एप्रोच कर ले जायें। ऐसा नहीं होना चाहिये और सरकार की एक फिक्स्ड नीति होनी चाहिये कि किस नीति के अनुसार कितनी ग्रांट किसको देगी। हमारे यहां लखनऊ में आयुर्वेदिक कालेज है, वहां पर पहले बी० एम० बी० एस० की डिग्री दी जाती थी परन्तु अब आयुर्वेदाचार्य की डिग्री दी जाने लगी है। कोर्स एक है और हर चीज एक है फिर भी सर्विसेज में भिन्नता बरती जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिये। श्रीमन्, पारसाल जन-चिकित्सा पर वाद-विवाद के समय मंत्री जी ने कहा था कि डाक्टरों की देहातों में कमी है, हाई पावर कमेटी नियुक्त की गयी है। उसकी क्या रिपोर्ट आयी, हम नहीं जानते। आज भी वही वातावरण देहातों में है जो गत वर्ष था। आज भी उतनी ही डाक्टरों की कमी है। दूसरे, शहरों में तो एम्बुलेन्सेज हैं, लेकिन देहातों में नहीं हैं। हम चुनकर देहात से ही आते हैं और जब एलेक्शन आता है तभी देहात से काम पड़ता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं और उपेक्षा की दृष्टि से देहात को देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये। वहां भी एम्बुलेंसेज की व्यवस्था और मरीजों का उपचार उसी प्रकार से होना चाहिये जैसा कि शहरों में हुआ करता है। देहातों में अगर एम्बुलेंसेज हैं भी तो वे डाक्टर द्वारा अपने प्रयोग में ही लायी जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हो गया। माननीया सुशीला रोहतगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कल्याणकारी राज्य में चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैंने आशा की थी कि विरोधी पक्ष की ओर से जो कोई सदस्य बोलेंगे वह गम्भीरतापूर्वक अपनी राय इस अनुदान पर प्रकट करेंगे, लेकिन जो भाषण अभी हुआ, और चाहे जो कुछ हो यह साबित हो गया कि माननीय सदस्य दक्षिण भारत में रहे हैं---२ वर्ष, नहीं तो ४ वर्ष रहे होंगे। क्योंकि उनकी मुद्राओं से जाहिर हुआ कि भारत नाट्यम उनमें अवश्य चलता है। मैं उनको बधाई देते हुए कहूंगी कि अगर किसी बजट पर हम विचार करते हैं तो उसके पहले की पृष्ठ-भूमि को हमें अपने ध्यान में रखना होगा। हमें देखना पड़ेगा कि पिछले १० वर्ष में चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में क्या किया गया है। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगी। १० वर्ष पहले सिर्फ ७० लाख का बजट चिकित्सा और १२५ लाख का जन-स्वास्थ्य पर था जो आज बढ़ कर १२ करोड़ हो गया है। डाक्टर्स की कमी पहले भी बहुत थी और अब भी है, परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद में ६,७०० डाक्टर्स जरूर थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद ८,००० हुए और आशा की जाती है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर ९,५०० हो जायेंगे। जो नया कदम उठाया है कि चारों मेडिकल कालेजेज में २५ प्रतिशत नये स्नातकों का प्रवेश हो, यह अच्छा कदम है। मेरा खयाल है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो जायगा। नर्सेज की कमी बहुत ज्यादा है, इसके लिये कई दफा आवाज बुलन्द हुई है। फैमिली प्लानिंग के बारे में देखा जा रहा है कि २५ क्लिनिक शहरों में और १५० क्लिनिक देहातों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए और इस विषय को महत्वपूर्ण समझते हुए हमारा लक्ष्य है कि ५० क्लिनिक

शहरों में और १,५०० देहाती क्षेत्रों में बन जायं। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगी कि जब हम अपने प्रदेश के आंकड़े देश के आंकड़ों से मिलाते हैं तो उनमें कोई मुकाबला नहीं है, हम बहुत पीछे हैं। अगर हम यह देखें कि हेल्थ की मद में पर कैपिटा हम कितना इनवेस्ट करते हैं तो १० साल पहले ५१ नये पैसे लगते थे और उसको बढ़ाते-बढ़ाते १ रुपया ५१ नये पैसा कर दिया गया। पिछले साल जब कि बजट का ५.६ परसेंट इस मद पर खर्च होता था वह इस वर्ष ५.३ हो गया, यानी १० नये पैसे प्रति व्यक्ति इस साल कमी हुई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार सरकार वारफेयर में देश को बाहरी आक्रमण के विरुद्ध तैयार करती है उसी प्रकार बाहर के दुश्मन से ज्यादा भयानक हमारे अन्दर का दुश्मन है, इसलिये शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार को अधिक महत्व देना चाहिये। यह सरकार का प्रयत्न तभी सफल होगा जब विरोधी दल के भाई इसमें अपना मनोबल देंगे और कटौती का प्रस्ताव न लाकर के एक साथ हो जायेंगे और इस अवसर पर सरकार को हिम्मत प्रदान करेंगे ताकि जो हमारा व्यय ५.३ परसेंट है वह बढ़ कर २५ प्रतिशत हो जाय। एक बात और कहूंगी। पहले १० लाख की आबादी पर यह देखा जाता था कि देश में जब २६ अस्पताल थे, हमारे उत्तर प्रदेश में १७ थे। अब वह बढ़कर २९ हो गये हैं। इसके अलावा आप देखें कि डाक्टरों की संख्या सारे देश में ४,३०० पर १ डाक्टर है, जब कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ २० ही हुए, जबकि हमारे यहां ९,३०० पर एक है। अब वह बढ़ कर ३,६०० पर एक होगी। अगर तृतीय योजना का लक्ष्य पूरा भी हो जाय, तब भी वह ३,०६० पर एक ही होगी, जब कि मोरे कमेटी की सिफारिश है कि हर ५०० व्यक्तियों पर एक शय्या होनी चाहिये। तो यह लक्ष्य बहुत कम है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमारे विरोधी भाइयों को चाहिये कि वे इसमें सहयोग दें और जो जगह-जगह रोग हैं, उनको दूर करने में हमारी मदद करें।

यह सही है कि डाक्टरों की तादाद बढ़ी है, यद्यपि उनका अनुपात कम है। मेरा निवेदन है कि उसी तरह सरकार ट्रेन्ड कम्पाउडर्स को भी बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार करे। प्लानिंग कमीशन हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि हर ३ डाक्टर्स पर एक ट्रेन्ड कम्पाउन्डर होना चाहिये। इन बातों पर सरकार को ध्यान देना होगा। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार इन सब बातों को अपने आब्जेक्टिव्ज में रखे हुए हैं और उस दिशा में चल रही है कि––

"No individual shall fail to secure adequate medical care because of his inability to pay for it."

सरकार इस सब लक्ष्य की ओर चल रही है। हर चीज को सामने रख कर हमारी सरकार प्रगतिशील है।

मलेरिया रोग की रोकथाम के लिये काफी प्रयास किया गया है। वह काफी कन्ट्रोल में आ गया है। हर साल पहले एक हजार पर १०.७१ व्यक्तियों की मृत्यु होती थी, अब वह घट कर ०.७८ हो गयी है। उत्तर प्रदेश में इसके लिये ६७ यूनिट्स चालू हैं, और आशा है तृतीय योजना में बिलकुल ही काबू में आ जायगा। इसके अलावा स्माल पाक्स, फाइलेरिया, ट्युबरक्लोसिस, लेप्रोसी आदि बीमारियों के खिलाफ भी आन्दोलन चल रहा है। बी० सी० जी० ट्युबरक्लोसिस का इलाज माना गया है, किन्तु उसमें अब तक १६ यूनिट्स काम कर रही थीं, पता नहीं क्यों अब सरकार ने उनको घटा कर १२ ही कर दिया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी जब जवाब दें, तो मैं आशा करूंगी, इसके कम करने के कारणों को भी बताने की कृपा करेंगे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि ज्यों-ज्यों औद्योगीकरण बढ़ेगा, सभ्यता बढ़ेगी, उसी तरह से इस बीमारी का रेश्यो भी बढ़ेगा। इसलिये यह जरूरी है कि इसकी रोकथाम के लिये उचित कदम उठाये जायं। इसके लिये ४० नयी डिस्पेन्सरीज खोलने की योजना थी। केन्द्रीय सरकार ने पहले प्लान में इसके लिये ६५ लाख रुपये, दूसरी प्लान में ५ करोड़ रुपये और तीसरी में ५० करोड़ रुपये रखे हैं। मैं कानपुर क्षेत्र से चुन कर आयी हूं, जब कभी भी वहां का नाम आता है तो एक दूसरी ही तस्वीर हमारे दिमाग में वहां के बारे में आ जाती है।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

वही टैक्स इवेजन की बात, टैक्स वसूल न होने की बात, उद्योगपतियों की बात, हमारे दिमाग में आ जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि वह हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है और वहां की प्रतिनिधि होने के नाते मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगी कि वे, वहां पर जो टी० बी० है, उसके लिये शीघ्रातिशीघ्र डोमीसियलरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें ताकि टी० बी० का जो कलंक आज कानपुर में है वह जल्दी से जल्दी दूर हो सके। इस संकटकालीन परिस्थिति में अस्पताल बनाना आसान नहीं और अगर बना भी तो कई वर्ष लगेंगे और तब तक सैकड़ों माताओं और बहनों का सिंदूर मिटने से बच सके तथा बच्चों में जो इसका इन्फेक्शन फैलता है वह रुक सके। क्योंकि मैं कानपुर की प्रतिनिधि होने के नाते माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करती हूं, नहीं वहीं भिक्षा मांगती हूं कि वे शीघ्र से शीघ्र इसका प्रबन्ध करें और आइसोलेशन वार्ड का भी काम शीघ्र चालू किया जाय और जो उसका मौजूदा अनुदान है, उसको और ज्यादा किया जाय। इसके साथ ही साथ जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि आधुनिक विज्ञान के जमाने में यह आवश्यक नहीं है कि मरीज जाकर अस्पताल में इलाज कराये, बल्कि मरीज का इलाज घर पर ही हो जाना चाहिये। तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि टी० बी० के लिये डोमेस्टिक इलाज को प्राथमिकता दी जाय और वार फुटिंग पर इस कार्य को शुरू किया जाय।

लेप्रोसी के लिये हमारे यहां एक करोड़ रुपया रखा गया है। एक जापानी फर्म है जो लाखों रुपया लगाकर उत्तर प्रदेश में एक लैपर हास्पिटल खोल रही है। लेकिन कानपुर में जो लेपर हास्पिटल है उसके बारे में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसका अनुदान महापालिका ने भी रोक दिया है और सरकार ने भी बन्द कर दिया है। जो लोग इस रोग से ग्रसित हैं उनको खाने और दवा की बहुत तकलीफ हो रही है। सरकार इस ओर शीघ्र कदम उठाये जिससे मरीजों के जीवन में आशा की लहर दौड़ जाये।

यह खुशी की बात है कि सरकार जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रयत्नशील है। लेकिन जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्योर ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। केन्द्रीय सरकार ने ८९ करोड़ रुपया इसके लिये रखा है।

स्लम क्लीयरेन्स को भी प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी हेल्थ सर्विस का ध्यान देना चाहिये। यह ठीक है कि १४ बड़े जिलों में हेल्थ आफिसर्स रखे हैं, लेकिन आंख, चेस्ट आदि के inspection की भी ज्यादा जरूरत है और वे समय-समय पर होने चाहिये। इसके अतिरिक्त बच्चों की एक समस्या मैल-न्युट्रीशन की है। जिस प्रकार से हमारे देश में पिछड़ापन और गरीबी एक ऐतिहासिक तथ्य है उसी प्रकार से हमारे बच्चे भी अन्डर नरिश्ड हैं। इसका एक इलाज हो सकता है और वह यह कि बच्चों को मिड डे मील दिया जाय। जिस प्रकार से स्कूलों में गेम्स की फीस ली जाती है उसी प्रकार से एक नामीनल फीस मिड-डे-मील के लिये भी ली जाय। इससे बच्चों की मैल-न्यूट्रीशन की समस्या किसी हद तक हल हो जायगी।

मेटरनिटी की ओर सरकार ने ध्यान दिया और ४० नयी डिस्पेंसरियां उसने खोली हैं। इसके अलावा सरकार ने फूड एडल्ट्रेशन की ओर भी ध्यान दिया है। इसी के साथ-साथ दवाइयों में मिलावट रोकने के लिये हमारे यहां एक ड्रग कन्ट्रोल ऐक्ट है, लेकिन फिर भी फिगर्स यह बताती हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में मिलावटी दवाइयां बाजार में बेची गयीं। ३५ प्रासीक्यूशन हुए, ११ कनविक्शन्स हुए और १४ हजार फाइन हुए। लेकिन ड्रग कन्ट्रोल ऐक्ट को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिये महाराष्ट्र, गुजरात और केरल की भांति हमें अलग से एक ड्रग कन्ट्रोल आर्गनाइजेशन बनाना चाहिये।

आज के जमाने में फैमिली प्लानिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा प्रदेश कितना ही उन्नति क्यों न करे, लेकिन इस बढ़ती हुई आबादी के कारण, जिसका अनुपात करीब-करीब उतना ही है जितना कि उन्नति का, वह उन्नति दिखायी नहीं पड़ती। जब कि हमारी राष्ट्रीय

आय ४१ बढ़ी है, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में २०.६ बढ़ी है लेकिन इसके साथ ही साथ १६.७ हमारी आबादी बढ़ गयी है। इससे हमारी की हुई उन्नति बराबर ही हो जाती है। मुदालियर कमेटी ने इसके बारे में सुझाव दिया था कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अन्तर्गत इसके लिये एक अलग विभाग बनाया जाय। इसलिये अगर हमें भविष्य में अपनी योजनाओं के फल को महसूस करना है तो हमें बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिये कदम उठाने होंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि इसके लिये एक अलग मिनिस्ट्री की स्थापना की जाय अपने प्रदेश में भी।

इन शब्दों के साथ मैं सब दलों से निवेदन करूंगी कि जन-स्वास्थ्य की ओर सरकार को आगे बढ़ने में मदद देने के लिये उन्हें कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिये और इस मद में और भी ज्यादा रुपया बढ़ाने का प्रस्ताव लाना चाहिये जिससे सरकार इस ओर और भी ज्यादा तेजी से अगले वर्ष में बढ़ सके।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने बहुत अर्से के बाद मुझे इस सदन के समक्ष अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध में आपके समक्ष अपनी बात मैं प्रत्यक्ष शब्दों में रखने का इच्छुक हूं। मैं यह मानता हूं कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा विभाग की तरफ से जन-स्वास्थ्य के लिये प्रान्तव्यापी प्रबन्ध है और सरकार की ओर से दवाइयों का प्रचुर मात्रा में प्रबन्ध किया जाता है। रोगियों के लिये रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था तथा उनके उपचार की जितनी भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है, सरकार अपनी समझ से कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार की ओर से रोगियों को अच्छा करने के लिये इन्तजामात किये जा रहे हैं, परन्तु मैं सरकार से कहूंगा कि जो इन्तजामात सरकार की ओर से हो रहे हैं उनकी अवहेलना करके जो इन्तजामात स्थानीय अधिकारियों की तरफ से किये जा रहे हैं, उसकी खास वजह प्रान्तीय और स्थानीय अधिकारियों में आपस में गुटबन्दी का होना है। प्रान्तीय अधिकारी मालिस करके मन्त्रिमण्डल को अपने काबू में किये हुए हैं और जिलों के चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारियों को मनमानी करने की छूट दिये हुए हैं। इसलिये वे जो कुछ भी इन्तजामात दवाइयों व मरीजों के लिये कर रहे हैं, उसमें उनके अन्दर दो भावनायें व्याप्त हैं और उन पैसा पैदा करने व बड़े लोगों और सरकारी अधिकारियों की ही ठीक दवा करने वाली दो भावनाओं को लेकर इलाज की परिपाटी चलायी जा रही है। यही कारण है कि इतने इन्तजामात के बाद भी मरीजों के मरने की संख्या दिन पर दिन दुगुनी और चौगुनी होती चली जा रही है।

मान्यवर, मैंने देखा है कि इलाज का जो प्रबन्ध किया जा रहा है, वह इलाज प्रथम तो हर जगह उपलब्ध नहीं है लेकिन जहां अस्पताल हैं वहां डाक्टर लोग अच्छी दवाइयां या तो पैसे देने वाले बड़े लोगों को देते हैं या सरकारी अधिकारियों को देते हैं और जिस गरीब तबके व बैकवर्ड एवं हरिजन वर्ग के कल्याण की बात सरकार १५ वर्ष से करती आ रही है, उस वर्ग के लोगों को इन अच्छी दवाइयों के देने में हमेशा नेगलेक्ट किया जाता है। मान्यवर, मैंने स्वयं देखा है कि टी० बी० के मरीज, लेपरोसी के मरीज तथा मलेरिया के मरीज अधिकतर गरीब तबके के ही लोग होते हैं जिनको सख्त मेहनत करना पड़ती है और जो अपनी भूख मिटाने के लिये तम्बाकू व बीड़ी पी पीकर भूखे दिन रात काम करते हैं वे ही अधिकतर इन रोगों के बीमार हो जाते हैं। और जब ये लोग बीमारी के शिकार बन कर अस्पतालों में दाखिल होने जाते हैं तो अव्वल तो उनके वहां दाखिल होने में ही कठिनाई पैदा की जाती है और किसी से ४, किसी से ६ और किसी से १० रु० लेकर उनकी भर्ती भी की जाती है––और वे किसी तरह से भर्ती हो भी गये तो वहां उनको दवा अच्छी नहीं मिलती, भोजन अच्छा नहीं मिलता, जिससे वे अच्छा होने के बजाय मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। मैं इस बारे में आंकड़े दे सकता हूं और दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि कोई माननीय अधिकारी किसी एक अस्पताल को लेकर जांच करें तो मैं सिद्ध कर सकता हूं कि वहां की अधिकतर दवायें घूस देने वालों, पैसा देने वालों को ही मिलती हैं और

[श्री रघुवीरसहाय कैथवार]

गरीबों तक नहीं पहुंचती। दवाओं को बेचने की बात और उन के दुरुपयोग की बात रोज होती है। मैं अपने जिले फतेहपुर की बात आप के सामने रखता हूं और मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें और इस पर आप एक जुडीशियल इन्क्वायरी बिठा दें और जो यहां तक देखेगा कि किस तरह से वहां एक टूटे हाथ के मरीज के २ एक्सरे लिये जाते हैं व साधारण चोट के मरीज के २ एक्सरे लिये जाते हैं और एक एक्सरे तो उस मरीज को दे दिया जाता है और एक रख लिया जाता है और फिर अगर कोई दूसरा वगैर हाथ टूटा मरीज आता है और उस से पैसा तय हो जाता है तो टूटे हाथ का एक्सरे उस को दे दिया जाता है। जिस मरीज का अंग टूटा है लेकिन जो उनकी (डाक्टरों) की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता उस को टूटे हाथ का एक्सरे न दे कर बिना टूटे हाथ का एक्सरे दे दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि एक आदमी का फोटो कैसे बदला जा सकता है, लेकिन मैं अर्ज करूं कि हाथ टूटा है दो एक्सरे हुए एक टूटे हाथ वाले को दे दिया और एक रख लिया, फिर दूसरा मरीज आया जिस का हाथ नहीं टूटा है और उस ने डाक्टर साहब की इच्छा की पूर्ति कर दी तो उस को वह दूसरा वाला टूटे भाग का एक्सरे दे दिया क्योंकि हर आदमी के हाथ की तो अलग कोई पहचान एक्सरे में होती नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि अस्पताल अच्छी चीज है और वहां सरकार की तरफ से दवाओं की कोई कमी नहीं है लेकिन चूंकि सरकार डाक्डर की आखें देखती है जो प्रान्तीय डाक्टर मन्त्रियों के बंगले पर पहुंच कर उन की सेवा करते रहते हैं उनकीं बातें सत्य मान लेते हैं इसीलिये सरकार की तरफ से यही जवाब दे दिया जाता है कि मर्ज की बात तो डाक्टर ही जान सकते हैं। मैं एक बार एक कैंसर के मरीज को लेकर पटना गया और ३ दिन तक मारा-मारा फिर लेकिन उस मरीज को वहां अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। उसके बाद वहां केहेल्थ मिनिस्टर जो पंडा जी थे मैं उनके पास गया और उनसे कहा, उन्होंने खुद आकर अस्पताल में कहा और उस को भर्ती कराया। इस पर उन से डाक्टर साहब ने कहा कि यह मरीज तो बचने के काबिल नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पर डाक्टर से कहा कि यह तो आप का कर्तव्य है कि आप उस को बचाने का हर मुमकिन उपाय करें। फल यह हुआ कि वह १५ दिन में अच्छा हो गया। आज ध्येय ही डाक्टरों का यह है कि किसी तरह से रकम पैदा करने को मिले। जहां आप इतनी सुविधायें दे रहे हैं, जहां गरीबों के लिये केजन सेवा के लिये और देश के कल्याण के लिये यह सब कर रहे हैं और पद दलित वर्ग के लिये हर तरह के अनुदान देते हैं। तो मांगा गया धन चाहे आप डबल कर लें परन्तु उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उस को अवश्य रोकें और कोशिश करें कि वह गरीबों के हित में उपयोग हो और वे भी उसका लाभ उठा सकें। ऐसा होगा तो हम सभी दल सरकार को बधाई देंगे और कहेंगे कि वाकई में सरकार बधाई की पात्र है और यह वास्तविकता भी है कि सरकार गरीबों के कल्याण की ही बात करती रहती है।

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग का भी यही हाल है। उस में भी तमाम तरह के इन्स्पेक्टर, वैक्सीनेटर और हाउस विजिटर्स वगैरह हैं। यह सब के सब पैसा पैदा करने के चक्कर में रहते हैं और बिना उसके वह गरीब की बात नहीं सुन सकते, साधारण मनुष्यों के पास वह नहीं जायेंगे। नर्सेज की बात मैं क्या करूं। वह डाक्टरों से भी आगे बढ़ी हुई हैं, वह केवल मरीजों के दिल बहलाने के लिये होती हैं, उन को फैशन बढ़ाने की आसायश चाहिये जिसके लिये अगर पैसा न दिया जाय तो मैं अर्ज करूं कि वह मरीज को गलत दवायें देती हैं। एक केस टी० बी० सैनिटोरियम, कानपुर में हुआ। वहां मेरा एक मरीज ८ आने से भी अधिक अच्छा हो चला था। लेकिन एक डाक्टर व नर्स ने गलत दवायें उसको दीं और उस बेचारे को मौत के घाट उतराना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

मान्यवर, जिला अस्पताल फतेहपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों के कारनामों का रहस्योद्घाटन के लिये ५ मिनट का समय और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष --

नहीं, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर) --

उपाध्यक्ष महोदय, किसी राष्ट्र की ताकत का अन्दाजा वास्तव में उसके स्वास्थ्य के स्तर से ही नापा जा सकता है। यह सही है कि हमारे प्रदेश की सरकार हमारे सीमित साधनों के रहते हुये चिकित्सा और स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करने का प्रयत्न कर रही है उसके लिये वह हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। यह आप जानते हैं कि इमरजेंसी के जमाने में जो पहली कटौती की गयी है वह ज्यादातर इसी के ऊपर डाली गयी है। बावजूद इसके कि जो कुछ भी उन सीमित साधनों के जरिये से हो सकता था वह किया जाता रहा है और किया जा रहा है। स्वच्छता की और जल-वितरण की योजनाओं और मलेरिया उन्मूलन योजना के द्वारा मलेरिया जसे भयंकर रोग पर काबू पा लिया गया है। इस वर्ष जो चेचक उमूलन योजना बनाई गई है वह अभी तो केवल १७ जिलों में चलाई गई है और आशा है कि पूरे प्रदेश में चलाई जावेगी और इस भयंकर रोग पर भी काबू पा लिया जायगा।

हमारे प्रदेश में डाक्टरों की बहुत कमी ह। बहुत अस्पताल खुले हुये हैं लेकिन उनमें डाक्टर नहीं पहुंच पाये हैं। इस दिशा में गवर्नमेंट ने जो हमारे मौजूदा मेडिकल कालेजेज लखनऊ, आगरा, कानपुर इलाहाबाद में हैं उसके अन्दर ३० प्रतिशत अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने की योजना बनायी है। इससे हमारे डाक्टरों की कमी की पूर्ति कुछ होगी लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर आयुर्वेदाचार्य, जैसे बी० एम० बी० एस० की डिग्री दी जाती है, की डिग्री उसी तरह से दी जाती है। यह तो आप जानते ही हैं कि यह आयुर्वेद हमारी देशी प्रणाली चिकित्सा की हैं लेकिन आधुनिक साधनों के भी उसमें कोर्सेज आफ स्टडीज रखे गये हैं। उसमें सर्जरी वगैरह सब सिखाया जाता है और मैंने जहां तक देखने का प्रयत्न किया है मुझे मालूम हुआ है कि बी० एम० बी० एस० की डिग्री जो लखनऊ से दी जाती है उससे आयुर्वेदाचार्य की डिग्री का कोर्स कम नहीं है। ऐसी सूरत में जब डाक्टरों की बहुत कमी है तो मैं मंत्री महोदय से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदाचार्य की डिग्री को बी० एम० बी० एस० की डिग्री के बराबर मान्यता दी जाय और इस डिग्री वालों को भी उसी तरह से सब अस्पतालों में जाने के लिये दरवाजे खोले जावें जैसे बी० एम० बी० एस० डाक्टर्स के लिये ह क्योंकि ट्रेनिंग जो उनकी होती ह वह उनसे किसी तरह से कम नहीं है। ५ साल का उनका भी कोर्स होता है और जो दाखिले की क्वालिफिकेशन उनके लिये हैं वही आयुर्वेदाचार्य के लिये भी हैं। इसलिये ऐसा करना अनुचित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष --

अब आप २ बजे के बाद बोलियेगा। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय सदन १ बजे स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपालसिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री महावीरसिंह --

म कह रहा था कि डाक्टरों की कमी की पूर्ति करने के लिये आयुर्वेदाचार्य की डिग्री जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से दी जाती है उसको बी०एम०बी०एस० के बराबर मान्यता दे दी जावे इससे डाक्टरों की ही कमी पूरी नहीं होगी बल्कि देशी चिकित्सा प्रणाली को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कहा गया हास्पिटल्स खोले जायं, डाक्टरों की तादाद बढ़ायी जाय, शैयायें, कम्पाउन्डर्स, नर्सेज दवाइयां बढ़ायी जायं, तो यह सब साधनों पर निर्भर करता है। सीमित साधनों की देख कर प्रादेशिक सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है।

मेरे बुलन्दशहर जिले में खुर्जे में एक जनाना अस्पताल है जो बहुत पुराना है उसकी इमारत की एक भी छत ऐसी नहीं है जो लोक न करती हो और वारोन्डा तक में लोग रहते हैं और मरीज लोग बाहर पड़े रहते हैं दरख्तों की छाया में गरमी, सरदी, और बरसात में पड़े रहते हैं। अतः

[श्री महावीरसिंह]

मैं मन्त्री जी से कहूंगा वह उसकी ओर ध्यान करें। वहां के एक सेठ जी ने डेढ़ लाख रुपया देने का वायदा किया है उसको ले कर आसानी से उस इमारत को बनाया जा सकता है ताकि जनता की तकलीफ दूर हो।

माननीय श्री श्याम लाल जी ने बहुत सी बातें कहीं, मालूम पड़ता था वह सरकार की फूड पालिसी की आलोचना कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि बम्बई जाना चाहते थे लेकिन कलकत्ते की गाड़ी में बैठ गये। ऐसी बातों से कोई लाभ नहीं होता। सही सुझाव देने चाहिये और जो सीमित साधन हैं उनको देखते हुये अपनी मांग प्रस्तुत करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसमें तो अनुदान को बढ़ाने का प्रस्ताव आना चाहिये था क्योंकि मानव सेवा का काम यह विभाग करता है।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा) —

अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुदान संख्या १८ और १९ के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे भारत में ८० फीसदी लोग देहात में रहते हैं और २० फीसदी शहरों में रहते हैं। देहात अधिक अन्न उपजाये, अधिक सरकार को रुपया दे किन्तु उसके स्वास्थ्य के प्रति सरकार का ध्यान बिलकुल नहीं है और बजट में बहुत कम पैसा उनके लिये रखा गया है। ज्यादा धन बड़े-बड़े शहरों के लिये है। यह सरकार का रवैया वही पुराना है जो अंग्रेजों के समय में था। कुछ नहीं बदला, शहरों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे देहात के लोग आते हैं शहरों में और उनको शुद्ध भोजन नहीं मिलता। सरकार इस मामले में बिलकुल फेल है। सड़क के किनारे मिठाई की दूकानें खुली होती हैं। पूड़ी, रोटी उन पर बनती है। आटे में मिट्टी मिल जाती है अथवा पूड़ी व मिठाइयों में धूल मिल जाती है तो वह धुल नहीं सकती। स्वास्थ्य विभाग इस तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देता। अक्सर यह होता है कि शहर के किनारे सड़कों पर तपेदिक के बीमार बहुत मिलेंगे। देहात वाले शहर आते हैं तो उनको शुद्ध भोजन नहीं मिलता।

घी में रंग मिलाने की बहुत अर्से से हमारी सरकार ने कोशिश की लेकिन रंग नहीं मिलता। मिठाई में रंग मिल जाता है लेकिन वेजिटेबिल घी के लिये रंग नहीं मिल सका। बड़े-बड़े मिल मालिकों का सम्बन्ध सरकार से रहता है और उनके दबाव के कारण रंग नहीं मिलता, न रंग मिलेगा। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह घी के लिये रंग की व्यवस्था करे ताकि शुद्ध घी खाने को मिले।

देहातों में दूध जितना है वह भी शहरों में, डेरी न होने से, शहरों में चला जाता है। लिहाजा देहातों में घी, दूध नहीं मिलता और देहात का घी, दूध शहर वाले खा जाते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि देहात के दूध के लिये विशेष रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाय और शहर वाले अपने डेरी फार्म स्वयं खोलें और अपने बल पर दूध, घी का इस्तेमाल करें।

मैं सरकार से औषधियों के बारे में कहना चाहता हूं। देहातों में कोई औषधालय नहीं खोले गये और न खोले जाने की उम्मीद है। सारा धन इलाहाबाद और लखनऊ के अस्पतालों में खर्च कर दिया जाता है और किया जा रहा है, यहां तक कि अच्छी-अच्छी दवायें हमारे गरीब किसानों को नहीं मिलतीं। जो कीमती दवायें बाहर से आती हैं वे सब सफेदपोश समाज को मिलती हैं। गरीब आदमी अगर इत्तिफाक से शहर के अस्पताल में जाता है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, न अच्छी तरह से उसका इलाज होता है। हां, अलबत्ता मिनिस्टर साहबान का अगर कोई सिफारशी होता है तो उस पर ध्यान दिया जाता है अन्यथा नहीं। अस्पतालों में रिश्वत भी बहुत चलती है। बड़े-बड़े अस्पतालों में कोई दवा, कोई इलाज बगैर फीस के नहीं होता। डाक्टर साहब कहते हैं कि हमारे घर में मुआयना कराइये। तो इसमें सुधार की जरूरत है।

अब देहाती एरिया के बारे में मैं सुझाव देता हूं। देहात में अस्पताल, आयुर्वेदिक कालेज खोले जायं। हमारी सरकार ने औषधियां बनाने के लिये कोई अनुसंधानशाला सिवा एक, दो के नहीं बनाई हैं। उनमें भी नकली दवायें होती हैं अथवा कुछ इन्जेक्शन बनते हैं। ज्यादातर औषधियां विलायत से आती हैं, जर्मनी से आती हैं। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे आंकड़े बतलाने की कोशिश करेंगे कि विदेशों से कितनी औषधियां आती हैं और यहां कितनी बनती हैं ?

मैं बांदा जिले में तीन स्कूल चलाता हूं इन्टर कालेज, डिग्री कालेज और आयुर्वेदिक कालेज। आयुर्वेदिक कालेज का भार मैं स्वयं वहन करता था, लेकिन अब जनता ने उसका भार ले लिया है अब वह अच्छी हालत में है और उसका औषधालय भी है। अतर्रा में एक छोटा सा अस्पताल है लेकिन अगर दोनों का मुकाबला करें तो अतर्रा में मरीजों की संख्या अधिक है और वहां कम है। वहां कम होने का कारण यह है कि वह अस्पताल अन्तरिम जिला परिषद् का है। उसमें इनी-गिनी तीन, चार सौ रुपये की दवाइयां साल भर में देते हैं। उससे क्या हो सकता है ? अतर्रा की आबादी बढ़ती जाती है। वहां १८ धान की मिलें हैं, तीन कालेज हैं और वह उत्तर प्रदेश में धान की सब से प्रमुख मन्डी भी है। अगर सरकार उचित समझे तो उसे अपने हाथ में ले ले ताकि वहां औषधियां मिलने लगें।

इसके अलावा देहरादून, सहारनपुर और हिमालय की तराई में तो कुछ औषधियां मिलती हैं लेकिन बांदा जिले में कालंजर और चित्रकूट में औषधियां अधिक मिलती हैं और अतर्रा आयुर्वेदिक कालेज में मैंने बहुत सी औषधियां लगाई भी हैं और उसमें हम जगह भी देने के लिये तैयार हैं। लखनऊ में जो आपने खोल रखा है वह न के बराबर है। जितनी औषधियां मैं अब तक वहां लगा चुका हूं उससे बहुत कम यहां हैं। अगर सरकार वहां तवज्जह दे तो एक अच्छा औषधियों का संग्रहालय खुल सकता है। वहां औषधियां बनाने का भी कार्य किया जा रहा है और मशीनें वगैरह मंगा ली गयी हैं। अगर सरकार सहयोग दे तो अतर्रा में एक अच्छा संग्रहालय औषधियों का हो सकता है। अगर कोई दूसरी जगह के लिये कहे तो मैं उसके लिये भी सहमत हूं, लेकिन जहां जगह मिल जाय और दूसरी सुविधायें उपलब्ध हों वहां खोलना चाहिये।

उत्तर प्रदेश में कहीं शोधशाला नहीं है। लखनऊ में कुछ है लेकिन न के बराबर है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि औषधियों का शोध करने के लिये शोधशाला खोलें जायं और जितना धन देहात से सरकार को मिलता है उसी अनुपात से सरकार देहातों और शहरों में खर्च करें।

करवी में एक अस्पताल है। उसको ए-१ बना दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, आजादी के बाद अगर पिछले १५ साल का महकमा स्वास्थ्य का जायजा लिया जाय तो सख्त से सख्त और मुखालिफ से मुखालिफ आदमी को भी यह मानना पड़ेगा कि हमारे महकमा स्वास्थ्य ने पिछले १५ सालों में तरक्की की है और शहरों और गांवों को एक नयी जिन्दगी दी है। यह ऐसा काबिले तारीफ अमर है जिसे हर शख्स को मानना ही पड़ेगा। मौजूदा बजट को देखते हुये हमें मिनिस्टर साहब का इन्तहाई शुक्रगुजार होना चाहिये कि बावजूद इसके कि इस वक्त मुल्क की ताकत को मुस्तहकम करने की जरूरत है और हमारी सरहदों की हिफाजत की जा रही है, और उन पर ज्यादा से ज्यादा इखराजात किये जा रहे हैं हमारा इस साल का बजट पिछले साल के बजट से ५५ लाख रुपये का ज्यादा है। इससे मालूम होता है कि हमारी गवर्नमेंट महकमे सेहत की तरफ, जो इन्सान को जिन्दगी और मौत का मसला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[बेगम किश्वर आरा]

है, उस पर ज्यादा तवज्जुह दे रही है। जब टैक्सेज के बिल इस ऐवान में आते हैं तो लोग गरजते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और नाराज होते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते हैं कि टैक्सेज से जो रुपया लिया जाता है अगर वह न लिया जाय तो वह रुपया लक्जरी पर, ऐश पर फिजूललियात पर खर्च हो जाय। हमारी गवर्नमेंट एक तरफ से अवाम से लेती है और दूसरी तरफ अवाम की सेहत के लिय पैसा मुनासिब तरीके से खर्च कर देती है। इस तरह से हमारी गवर्नमेंट एक एजेंट की तरह से काम कर रही है। एक तरफ तो वह लोगों से पैसा टैक्स की शक्ल में लेती है और दूसरी तरफ वह लोगों की सेहत और असायश पर खर्च कर देती है।

टी० बी० के मुतालिक कहा गया कि यह मर्ज हमारे सूबे में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह सही है कि इस मोहलिक मर्ज जो रोकने के लिये और खत्म करने के लिये सरकार को इन्तहा कोशिश करने की जरूरत है। कोढ़ का मर्ज भी किसी भी हालत में कम अहम नहीं है। इसके वास्ते हमारी गवर्नमेंट एक सर्वे कराये जिससे मालूम हो कि हमारे सूबे में कितने आदमी इस मर्ज में मुब्तला हैं। इसकी सर्वे कराई जायगी तो नतीजा अच्छा बरामद होगा। इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि हर अस्पताल में इस मर्ज के लिये एक वार्ड कायम किया जाय और उसमें इस मर्ज का इलाज होता कि इस मर्ज से लोगों को निजात मिल सके। यह मर्ज बराबर बढ़ता चला जा रहा है और इस मर्ज के इलाज के लिये हमारे सूबे में कुल एक ही अस्पताल है जो इतने मरीजों के इलाज के लिये बेहद नाकाफी है।

दूसरी बात यह है कि होम्योपैथी के इलाज का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। यह बहुत सस्ता इलाज है और जनता इससे मुतमईन भी है। इस सिस्टम के लिये जरूरत इस बात की है कि जब तक इस सिस्टम के डाक्टर्स फारेन से ट्रेन्ड नहीं किये जायेंगे तक तब हमारे मेडिकल कालेजों का स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं हो सकता है। इसके लिये अलहैदा वार्ड और डाक्टर मुकर्रर किये जाने चाहिये। लेकिन सब से पहले इस बात की जरूरत है कि होम्योपैथी की तालीम का ठीक और मुनासिब इन्तजाम होना चाहिये। मामूली दर्जे के जो बरायनाम स्कूल हैं जो रुपया देकर सनदें बेचते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिये और ऐसे डाक्टरों से जनता को बचाना चाहिये जो अवाम की सेहत और रुपया को बरबाद करने के जराये हैं।

दूसरी बात यह है कि देहात में एक अस्पताल होता है, उसमें एक डाक्टर होता है। जब वह छुट्टी पर चला जाता है या तब्दील हो जाता है और उस वक्त वहां पर कोई डाक्टर नहीं रहता है जिससे जनता को बड़ी मुश्किल पेश आती है। इसलिये कम से कम हर अस्पताल में दो डाक्टर रहने चाहिये ताकि ऐसा वक्त न आये कि कोई डाक्टर ही न हो। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दो रिजर्व डाक्टर रहने चाहिये ताकि वे फोरी काम कर सकें और देहात के लोगों को कम्पाउन्डरों से नजात मिल सके। अगर रिजर्व डाक्टरों का इन्तजाम नहीं किया जा सकता हो तो कम से कम समझदार कम्पाउन्डरों को डाक्टरी की ट्रेनिंग दी जाय और वे डिप्लोमा हासिल करें और वे मजबूरी के वक्त में काम कर सकें। इसके अलावा यह है कि जो डाक्टर गवर्नमेंट मुलाजिमत में हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत न दी जाय। जब वे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो अपना वक्त पैसा कमाने में सर्फ करते हैं और तनख्वाह सरकार से लेते हैं। वे लोग अपने वार्ड का काम नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर यह बात कही जाती है कि डाक्टरों की कमी है इस वास्त उनको निजी प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जा सकता है। तो बात यह है कि अगर डाक्टरों की कमी है तो जो २५ फीसदी दाखले की सहूलियतें गवर्नमेंट दे रही है उसको बढ़ा कर ५० फीसदी क्यों न कर दिया जाय ताकि डाक्टरों की इफरात हो जाय। जब डाक्टरों की इफरात हो जाय तो सख्ती से पाबन्दी कर दी जाय कि प्राइवेट प्रैक्टिस न करें। हमारी वजारत के जरिये वाकई जनता के लिये बहुत से सहूलियतें फराहम की जा रही हैं, लेकिन जब हमारे मिनिस्टर साहबान और डिप्टी मिनिस्टर साहबान दौरे पर जाते हैं तो वह अपने दौरे का एलान न करें क्योंकि जब इतला करके जाते हैं तो शफाखानों में पहले से सफाई और दूसरे इंतजामात कर दिये जाते

हैं और खराबियां छिप जाती हैं। मैं निहायत आजिजी के साथ गुजारिश करूंगी कि अगर दौरे का ऐलान न किया जाय तो इससे सही अन्दाजा शफाखानों की हालत का हो जायगा। हमें चन्द्रगुप्त, नौशेरवां और रफी अहमद किदवाई के नक्शे अमल पर चलना चाहिये जो जब दौरे पर जाते थे तो दौरे का ऐलान नहीं करते थे। दौरे के ऐलान से मुआयने का मकसद फौत हो जाता है--उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वह समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है।

दूसरी बात यह है कि हमारे रामपुर में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल है। उसमें बिस्तरों का इन्तजाम बहुत कम है। अगर बेड बढ़ा दिय जायं, जो हमारी सिविल डिस्पेंसरी है उसको हास्पिटल बनाने का मतालबा बहुत दिनों से किया जा रहा है। अगर सिविल डिस्पेंसरी को हास्पिटल बना दिया जाय तो रामपुर की पब्लिक याद करती है और आइन्दा भी याद करेगी। काफी दिनों से इस मामले में उनको उम्मीद दिलायी गयी, अगर वह हास्पिटल नहीं बनायी जायगी तो वहां की पब्लिक याद ही करती रहेगी और मैं यह शेर पढ़ती रहूंगी --

इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई।

*श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) ---

अधिष्ठाता महोदय, आज जो स्वास्थ्य मन्त्री जी ने चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य के बारे में मांगें प्रस्तुत की हैं मैं उनके इस कार्य की सराहना करता हूं। जो उन्होंने इस स्वतन्त्र युग में १५ अगस्त, १९४७ के बाद प्रगति की है वह काबिले तारीफ है। चिकित्सालयों की स्थापना की गयी, जन-स्वास्थ्य के नाम पर आज करोड़ों रुपया बरबाद किया जा रहा है, लेकिन देखना यह है कि इस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जन-स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों रुपया जो सरकार व्यय कर रही है उससे जन साधारण को कितनी राहत मिली है अथवा नहीं? मैं तो इस विचार का हूं कि जब से यह चिकित्सालय स्थापित किये जा रहे हैं रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। चिकित्सा मन्त्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि आखिर क्या वजह है कि जब चिकित्सा के नाम पर इतना प्रयास कर रहे हैं तो व्यक्ति का स्वास्थ्य क्यों गिरता जा रहा है? रोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आज कुछ रोग ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। बड़े-बड़े शहरों में कुछ ऐसे अस्पताल स्थापित किये गये जिनमें सारे सामान मुहइया किये गये एक्सरे और दीगर सामान। लेकिन देहात की तरफ आप क्यों नहीं देखते, जिनमें कहीं डाक्टर हैं तो कम्पाउन्डर नहीं, कम्पाउडन्र हैं तो डाक्टर नहीं। डाक्टर और कम्पाउन्डर हैं तो दवायें नहीं, और अगर यह तीनों हैं तो मरीजों के लिये चारपायी नहीं। आप इस ओर ध्यान दें। शहरों में बलरामपुर या हैलेट हास्पिटल जैसे अस्पताल स्थापित करके जनस्वास्थ्य की विशेष तरक्की नहीं की जा सकती। तरक्की तब होगी जब ग्रामीण क्षेत्र में आप स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था करें। मैं तो इस विचार का हूं कि जो आपने अस्पताल स्थापित कर रखे हैं ज्यादा बेहतर हो कि आप इनको समाप्त कर दें। आप प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ ध्यान दें। आज तो डाक्टर देहात में काम कर रहे हैं वह ऐसे ही जैसे कमरे में कोई कच्चा टट्टी कर दे और कोई मेहमान आ जाय और गलती से उससे कह दें कि कमरे में चले आओ, टट्टी के ऊपर एक थाली रख दें जिससे समझ में आये कि कमरा बिलकुल साफ सुथरा है। लेकिन अगर वह मेहमान थोड़ी देर बैठ जाय तो टट्टी तो टट्टी ही है, बदबू शुरू हो जायगी। ठीक वही डाक्टर कर रहेहैं। कोई बीमारी हो सुई लगा दो। जुकाम हो सुई लगा दो, बुखार हो सुई लगा दो। कैसी सुई है पता नहीं। उसने ऊपर इलाज कर दिया, बुखार और जुकाम बन्द कर दिया, लेकिन अन्दरूनी मर्ज को नहीं देखा कि आखिर उत्पन्न कहां से हुआ। जब तक इसकी तरफ ध्याम नहीं देंगे तब तक स्वास्थ्य का ढांचा बिगड़ता चला जायगा।

आज जहां सब विभागों में भ्रष्टाचार है यह भी झूठ नहीं है--शहर का मै नहीं जानता--लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हर किस्म के मरीज आते हैं, होता यह है कि डाक्टर को रिश्वत दे दी तो ३२५ का मामला है ३२४ हो गया, ३०२ का ३०७ हो गया। इस तरह की घटनायें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकिशोर वर्मा]

होती हैं। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि बहुत सारे ऐसे मन्त्री हैं, जैसे चिकित्सा मन्त्री, अच्छे वकील हैं, लेकिन डाक्टर नहीं हैं। हम किसी डाक्टर की शिकायत करते हैं तो डाक्टर की रिपोर्ट पर जवाब दे देते हैं। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है जो इस डिपार्टमेंट को जानने वाला हो, ऐसे हमारे मन्त्री हों। केवल शहरों में अस्पताल कायम करने से जन-हित नहीं होगा। अस्पताल उस क्षेत्र में उपलब्ध होने चाहिये, जहां ग्रामीण क्षेत्र की साधारण जनता उससे लाभ उठा सके।

आपने मलेरिया उन्मूलन कम्पेन चलाया। आपने डंका पिटवाया कि मलेरिया का उन्मूलन हो गया लेकिन जब डाक्टरों ने रिपोर्ट दी कि मलेरिया बन्द नहीं हुआ तो आपने हर दीवार पर यह लिखवा दिया कि मच्छर बने रहेंगे लेकिन मलेरिया नष्ट हो गया। वास्तविकता यह है कि बहुत अंशों में मौजूद है। मच्छर इतने ज्यादा हो गये हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पहले कुछ जरूर कभी थी, अब बड़े-बड़े हो गये हैं। अब आपने सैनिटरी इन्स्पेक्टर जो नियुक्त कर रखे हैं जन-स्वास्थ्य के नाम पर हर ब्लाक में उनका काम क्या है ? उनका काम यह है कि वह अपने क्षेत्र के हर बाजार में जायं, वहां के लाइसेंसदार दूकानदारों की एक सूची बनायें और उनसे माहवारी एक कोटा तय कर लें और वह कोटा बराबर उनसे लेते रहें। अगर कोई भला आदमी उससे इन्कार करे तो उसका सैम्पिल भरा जाय, अगर घी असल हो तो उसे बेजीटेबिल बता दिया जाय। किराने की दूकानों से भी वह पैसे लेते हैं क्योंकि उनका भी लाइसेंस है। अभी कानपुर जिले में सिंहासनपुर में गया तो मालूम हुआ कि वहां के सैनिटरी इन्सपेक्टर का दो हजार रुपये कोटा मासिक का आता है। और आप देखें कि किसी-किसी सैनिटरी इन्सपेक्टर के यहां तो तमाम सैम्पिल आ जाते हैं और किसी के यहां बिलकुल नहीं आते हैं। तो आप इस तरफ तवज्जह करें कि आखिर यह बात क्या है ? मेरा खयाल ऐसा है कि इस दिशा में आप थोड़ा ध्यान दें तो इसमें बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। बिना रिश्वत के तो आज कहीं कोई विभाग नहीं है, लेकिन आप तो स्वास्थ्य के मन्त्री हैं, आप देखें कि आपके विभाग में तो न किसी प्रकार की कल्पना की जा सकती है और न होनी चाहिये, लेकिन है और बहुत जोरदार है। तो आप उसको रोकने की दिशा में प्रयास कीजिये।

अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा उस तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके लिये मैं अभी कह रहा था कि दवाखाने नहीं होने चाहिये लेकिन वह मेरी अपनी निजी राय है। जहां तक जनता की राय का प्रश्न है जनता चाहती है कि उसके यहां दवाखाने खोले जायं। मैं फतेहपुर जिले के टप्पा बाजार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां केवल एक चिकित्सालय है। वहां ब्लाक की ओर से जिन चिकित्सालयों की स्थापना होनी चाहिये थी वह भी नहीं की गई। जाफरगंज क्षेत्र वहां ऐसा है कि जो एक तरफ जमुना नदी और दूसरी तरफ रिन्द नदी से घिरा है। और वह २०–२५ मील का क्षेत्र ऐसा है कि जहां यातायात की कोई सुविधा नहीं है। यद्यपि मुझे बताया गया है कि शासन ने उसके लिये निश्चय कर लिया है और ब्लाक कमेटी ने भी उसके लिये प्रस्ताव किया है, लेकिन मैं चाहता हूं आप उसमें शीघ्रता करें। इन शब्दों के साथ मैं आपके इस प्रयास की सराहना करता हूं और जिस दिशा में मैंने आपका ध्यान खींचा है मुझे उम्मीद है कि आप जैसे चतुर मन्त्री अवश्य उस दिशा में प्रयास करेंगे और उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर) —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो सदन में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा अनुदान पेश किया गया है उसके समर्थन में और जो कटौती का प्रस्ताव है उसके विरोध में अपने विचार प्रकट करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जिन सीमित साधनों में हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया है और वास्तव में वह सुविधायें बढ़ी हैं उसके लिये प्रदेशीय सरकार का स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा मन्त्रालय, उसके कर्मचारीगण तथा माननीय मुख्य मन्त्री और स्वास्थ्य मन्त्री धन्यवाद के पात्र हैं। श्रीमन्, यदि हम देखें पिछले दस, पन्द्रह साल के इतिहास

को तो हमें ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में चाहे वह वाटर सप्लाई की बात हो, स्वच्छ पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे दवा की सुविधायें देने की बात हो, चाहे अस्पतालों की बात हो, हर क्षेत्र में अनेक काम हुये हैं। इसके मानने में कोई हर्ज की बात नहीं है कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से या देश से स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें देने में कुछ पीछे रहा है। लेकिन हमारी सरकार के सामने कुछ मजबूरियां रही हैं। हमारी मुख्य मजबूरी तो यह है कि हमारे यहां की पर कैपिटा इन्कम कम है। लेकिन इस मजबूरी के रहते हुये भी हमारी सरकार ने एक ऐसे सुसंगठित और व्यवस्थित ढंग से कार्य किया है कि जो प्रशंसनीय है।

आज हम देखते हैं कि १९६१-६२ में इस प्रदेश में १० लाख आदमियों पर २० अस्पताल हैं और २९४ के पीछे एक बेड है। उसी प्रकार से देश के अन्दर १० लाख पर २९ अस्पताल हैं और ३६० की पीछे एक अस्पताल है। देश की आमदनी को देखते हुये यह कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि दूसरी पंजवर्षीय योजना में हमारे यहां ८ हजार डाक्टर थे। अब सरकार ने उनमें वृद्धि करने का निश्चय किया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां ९,५०० डाक्टर हो जायेंगे और उसी प्रकार से बेड्स की संख्या भी ५,५०० तक पहुंच जायगी। जिस प्रदेश में आबादी ज्यादा है और १ लाख १२ हजार गांवों में फैला हुआ प्रदेश है वहां पर एक एक आदमी को सुविधा पहुंचाना जटिल काम है। हम देखते हैं कि प्रदेश में २, ३ काम बहुत ही अच्छे हुये हैं। मलेरिया उन्मूलन और फाइलेरिया को मिटाने का काम बहुत ही बड़ा काम हुआ है। हमारे यहां एक बीमारी होती थी जिसको फाइलेरिया कहते हैं। उसको दूर करने में सरकार ने प्रशंसनीय काम किया है। मैं आपको बताऊं कि हमारा क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर घर-घर मलेरिया से पीड़ित लोग रहते थे और दूसरे संक्रामक रोग से लोग बीमार रहते थे और उनको काफी शिकायत रहती थी, लेकिन आज सरकार ने जो व्यवस्था की है उससे वह सब शिकायत दूर हो गई है और दूर होती जा रही है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि अगर सरकार के पिछले कार्यक्रम को देखा जाय तो उससे भी पता चलेगा कि सरकार ने कितना कार्य इस दिशा में किया है। मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि यह जो बुकलेट सब विभागों के प्रोग्रेस की दी गई है, इसमें इन सब बातों का चर्चा किया गया है। पिछले वर्ष हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने १२३ नये भवन निर्माण किये और कुछ मरम्मत का काम भी किया है। इसके अलावा हम दन्त चिकित्सा की व्यवस्था भी करना चाहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में हमारी व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मालूम होगा कि जब अपने देश पर इमरजेन्सी आई तो सरकार ने उसमें एक नया मोड़ लिया। आज सरकार ने मेडिकल कालेजों में २५ फीसदी की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। मेरठ में नया मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था बनाई जा रही है। इस प्रकार से जो हमारे सीमित साधन हैं उनका प्रयोग सरकार कर रही है और करेगी। अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं। मिर्जापुर जिले के दूधी क्षेत्र की ऐसी स्थिति है कि जहां पर आदिवासी रहते हैं। वहां के रहने वाले व्यक्ति आज भी भूत टोना का शिकार होते हैं। यह तभी दूर हो सकता है कि जब उनके लिये दवाइयों की सुविधा की जाय। हमारे यहां ५०, ६० मील की दूरी पर भी कोई अस्पताल नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे यहां बभनी और सागोबांध कुला डोमरी में अस्पताल की व्यवस्था करें। इस सुविधा से उनके स्वास्थ्य को ही लाभ नहीं होगा बल्कि वहां के लोगों का मानसिक परिवर्तन भी होगा और वह दूसरे कामों को भी स्वीकार करने के लिये तैयार हो सकते हैं। जहां तक वाटर सप्लाई की बात है यह खुशी की बात है कि पिछले १५ साल से सरकार ने गांवों में कुएं बनाने का प्रयत्न किया है। हमारे यहां पानी की अत्यन्त आवश्यकता है। वहां लोग १, २ मील से पानी लाकर पीते हैं और वह भी किसी कुएं से नहीं, बल्कि नदी नाले से लाकर पीते हैं। गर्मी के दिनों में पानी लाने के लिये कितनी परेशानी उठानी पड़ती है यह और भी मुश्किल की बात हो जाती है। इसके अलावा अभी कुछ लोगों ने चर्चा किया कि हमारे यहां डाक्टरों की कमी है। यह बात सही है कि डाक्टर कम हैं लेकिन उसके लिये सरकार प्रयत्नशील है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो आयुर्वेदिक कालेज

[श्री रामप्यारे]

हैं, उस से जो पास करके लड़के निकल रहे हैं वे उन कम्पाउन्डरों से अच्छे हैं जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं। इसलिये सरकार को उन डाक्टरों को अस्पतालों में रखने की व्यवस्था करनी चाहिये। इसके अलावा एक बात मैं अपने क्षेत्र की और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र की आबादी पौने दो लाख है। वहां पर कोई लेडी डाक्टर नहीं है। सरकार ने रिहन्ड डाम में व्यवस्था की है लेकिन वहां की व्यवस्था से उस क्षेत्र के लोग फायदा नहीं उठा पाते। अतः दुद्धी में जो तहसील का हेडक्वार्टर भी है, एक लेडी अस्पताल की व्यवस्था की जाय, साथ ही मेरे क्षेत्र में जितने अस्पताल हैं उनमें डाक्टर अवश्य भेजे जायं। वह तो वहां के मजदूरों की, वहां के कर्मचारियों की और वहां के आस-पास के लोगों के लिये ही काफी होता है। मैं दुद्धी के लिये पुनः एक बार यह अनुरोध करना चाहता हुं कि वहां पर नये लेडी अस्पताल की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। इसके अलावा सरकार को २ अस्पताल एक बभनी दूसरा कुलडोमरी में जो खोलना है और जो इस वर्ष ५ अस्पताल खोलने जा रही है, उसमें जरूर व्यवस्था करे और मुझे विश्वास है कि सदन के कोई भी माननीय सदस्य इसके खिलाफ नहीं होंगे और सभी इससे राजी होंगे।

(श्री काशीनाथ मिश्र का नाम पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य--

आप मुझे भी तो बोलने का मौका दें। मुझे क्यों नहीं बोलने देते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य को चेयर की बातों में रख देना उचित नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय रामप्यारे जी के भाषण को बड़े ही ध्यान से सुना। परन्तु उनका भाषण स्वयं ही विरोधाभास से भरा था। पहले तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद दिया परन्तु बाद में उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में यहां अस्पताल नहीं हैं, और यहां पर दवाइयों का इन्तजाम नहीं है। यह विरोधाभास क्यों ? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल उन्हीं के ही क्षेत्र का सवाल नहीं है, यह तो सारे प्रांत का सवाल है और सारे प्रदेश की यही समस्या है।

श्री रामप्यारे--

जरा उसम स्पष्टीकरण करें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रामप्यारे जी, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं उनकी भावनाओं का स्पष्टीकरण करूंगा। मैं समझता हूं कि सारे प्रदेश में सरकार की योजनायें चलती हैं और जो सरकार की खाद्यान्न की नीति है तथा और भी जो नीतियां हैं, यह उसी का असर है कि हमारा यह स्वास्थ्य और चिकित्सा का प्रशासन गया गुजरा है। यह सिद्ध है कि यह दोनों विभाग अलग नहीं होने चाहिये। दोनों के अलग रहने पर कोई भी मंत्री इसका प्रबंध सुचारु रूप से नहीं कर सकते हैं। आप देखें कि जब हमारी और योजनायें ठीक से नहीं चल पायेंगी तो वह बेचारे क्या करेंगे। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि खासकर यह हमारी गुप्ता जी की सरकार तो दुनियां की सरकारों में अजीबोगरीब सरकार है। दुनिया के किसी भी मंत्रिमंडल में आप यह नहीं पायेंगे कि चिकित्सा और स्वास्थ्य यह दोनों विभाग अलग रख दिये गए हों। परन्तु हमारे यहां यह दोनों अलग हैं। आप देखें कि माननीय गुप्ता जी ने अपने हाथ में चिकित्सा विभाग ले लिया है और जन स्वास्थ्य माननीय महावीर प्रसाद जी को दे दिया है। अभी तो माननीय गुप्ता जी बैठे थे और अब कहीं चले गये हैं। जिस तरह से यहां पर यह दोनों विभाग अलग-अलग हैं, उसी प्रकार से सारे प्रदेश में आपको बता दूं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य

का कोई संबंध नहीं है जब कि दोनों के संबंध में बिना काम चल ही नहीं सकता है । मर्ज कुछ होता है और दवाई कुछ मिलती है । वास्तव में यदि आप सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करेंतो पायेंगे कि बीमारी कुछ होती है और दवाई कुछ दी जाती है साथ ही साथ यह दोनों दो खाने बने हुए हैं । बीमारी से दवाई का कोई ताल्लुक नहीं है । वह भी मंत्रिमंडल के मुताबिक ही चलते हैं । मैं यह अनुरोध करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य की प्रदेश में कोई उन्नति हो, और वह सुव्यवस्थित नीति से चल सके दो दोनों मुकहमों को एक के अन्दर रखना होगा । आप देखें कि होमियोपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, इन तीनों को एक ही डाक्टर संचालित करता है । इस प्रदेश में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि जो सबसे बड़ा डाक्टर है एलोपैथिक का वही है आयुर्वेदिक का और वही सबसे बड़ा एलोपैथिक का डाक्टर मान लिया जाता है । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि दवा दारू का प्रबंध मानवता के साथ है । इसमें गरीब आदमी तो सबसे अधिक परेशान है । अगर वह बीमार होता है तो दवाई की जो हालत होती है वह इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से छिपी नहीं है और मंत्री जी तो जानते हैं खास कर इस लखनऊ शहर, में उनकी क्या दशा है । आपके यहां पर जो बलरामपुर अस्पताल हैं और जो सिविल अस्पताल है, वहां पर रातों-दिन साधारण आदमी धक्के खाते रहते हैं । ऐसा कानून बना दिया गया है कि इस सदन के माननीय सदस्य और मंत्री जी लोगों का इलाज मुफ्त होता है । वहां पर बड़े-बड़े अफसर लोग ही लाभ उठाते हैं साधारण लोगों को उनसे कोई भी लाभ नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सदन में बातें बहुत हो रही हैं । माननीय सदस्य जरा शांत रहें ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं, मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपसे चाहे कोई कुछ भी कहे और कैसी भी अच्छी बात कही जाय परन्तु आप यही कह देंगे कि साधन हमारे पास मुहइया नहीं है । परन्तु फिर भी मैं आपसे यह नम्र निवेदन करूंगा कि आप दवा दारू का ऐसा इन्तजाम करें कि जिससे आम जनता को उससे लाभ हो । मैं आपसे यही कहंगा कि आप चिकित्सा और स्वास्थ्य इन दोनों का राष्ट्रीयकरण कर दें । साथ ही साथ यह भी कहंगा कि एक डाक्टर को आप नौकरी के साथ प्राइवेट प्रैक्टिस करने की भी इजाजत न दें । अगर कहेंगे हम असमर्थ हैं जो मौजूदा साधन हैं उनके अन्तर्गत तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि कम से कम जिनकी आमदनी हजार रुपया महीना हो उनसे मना कर दें कि सरकारी अस्पतालों में न जाया करें और इलाज व्यक्तिगत तरीके से करा लें । मिनिस्टरों को तो खासतौर से मुफ्त दवायें नहीं मिलनी चाहिये, क्योंकि मंत्रिगणों से ही लखनऊ और प्रदेश के डाक्टर परेशान रहते हैं और आम लोगों की दवाई नहीं कर पाते । इसलिये साधारण आदमी का इलाज करने के लिये हमें एक सुव्यवस्थित कानून बनाना होगा जिससे जो टूटे-फूटे साधन हमारे हैं उनसे ही हमें सहायता मिल सके । हमारे यहां ३–४ ऐसे राजकीय औषधालय हैं जहां डाक्टर नहीं हैं । एक तरफ मंत्री जी ने इस सदन में कहा कि डाक्टर नहीं मिले, लेकिन हमें मालूम है कि लखनऊ के अन्दर पहले आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी, स्टेट आयुर्वेदिक कालिज में, जब माननीय सी० बी० गुप्ता हेल्थ मिनिस्टर थे । उस समय उन्होंने बी० एम०बी० एस० का क्लास खोला था । जब माननीय सम्पूर्णानन्द आसीन हुए तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और बी० एम० बी० एस० का क्या संबंध है, अब आपको आयुर्वेदाचार्य कहा जायगा । ठीक है, आयुर्वेदाचार्य कह दिया गया, उनको भी संतोष हुआ । अब गुप्ता जी की सरकार बन गयी और गुप्ता जी कहते हैं उनसे की तुम सम्पूर्णानन्द के बच्चे हो, तुम्हारा कोई स्थान हमारी सरकार में नहीं है । कोर्स वही है, जो पहले था वही आज भी पढ़ रहेहैं, लेकिन बी० एम० टी० एस० वालों को पी० एम० एस० टी० में ले लेते हैं और आयुर्वेदाचार्य को कोई मान्यता नहीं । मैं कहना चाहूंगा कि देहातों में जो भी टूटे-फूटे औषधालय काम कर रहे हैं, जो बेचारे डिग्री लेकर डाक्टर

[श्री काशीनाथ मिश्र]

पड़े हुए हैं उनको उन औषधालयों में भेजने की कृपा करें तो गरीबों की भलाई हो सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करने जा रही है । मैं महावीरप्रसाद जी से जो काफी संजीदा हैं, कहूंगा कि गुप्ता जी से नोंक-झोंक करके, लड़ाई करके अगर मनवा सकें कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के अन्दर जो पास किये हुए विद्यार्थी हैं उनको भी मान्यता दें और नियुक्ति करें तो अच्छा हो सकता है।

पारसाल मैंने बलिया डिस्पेंसरी के बारे में जो बड़ा अस्पताल है कहा था । वहां आजतक बिजली नहीं लग पायी । आप जो भी दवा-दारू करते हैं, डाक्टरों का इन्तजाम करते हैं अगर रोगियों के रहने के लिये सुविधा नहीं है तो जो चिकित्सा और दवाई होती है वह बेकार हो जाती है । तो विद्युतीकरण की योजना में आप खयाल रखें कि औषधालयों और डिस्पेंसरीज में कम से कम उन सुविधाओं को अवश्य मुहइया करें । पूर्वी जिले सबसे पिछड़े जिले हैं, दवा-दारू को सुचारुरूप से चलाने के लिये गोरखपुर में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री एक मेडिकल कालिज स्थापित करने की योजना बनवायें तभी वहां डाक्टर पैदा कर सकेंगे ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा अपने स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । इससे पहले हमारे प्रदेश में बहुत कम अस्पतालों और औषधालयों की संख्या थी और अधिकतर बड़े-बड़े शहरों में सरकारी अस्पताल थे और कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से दो-चार गांवों में थे । गांववासियों की कभी यह परवाह नहीं की गयी कि उनको भी बीमारी होती है, परन्तु जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारे राज्य की स्थापना हुई, हमने देखा कि हमारी सरकार ने २–२, ४–४ मील की दूरी पर अस्पताल खोले । जहां पर डाक्टर नहीं थे, वहां पर डाक्टर पहुंचाये गये । जो पहले हमारे गांववासियों को बीमारियां होती थीं, वह आज नहीं रही हैं । काफी संख्या में आज डाक्टर वहां भेजे गये हैं । मलेरिया जैसी बीमारी अब वहां नहीं है । वह काफी कम हुई है । आज जितने मच्छर यहां पर दारुलशफा में एम० एल० एज० के कमरे में हैं, उतने देहात में नहीं हैं । दारुलशफा में स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों को नष्ट करने का उतना काम नहीं किया, जितना कि देहात में । आपको मालूम है कि इस विभाग के अधिकारियों ने काफी परिश्रम करके इस काम में उन्नति की है और जनता में आज काफी संतोष है । आज १५ साल के काल में कितने ही मेडिकल कालेज खोले गये हैं जिससे जनता प्रसन्न हुई है । माननीय मुख्य मंत्री जी, जहां-जहां अस्पताल खुले हैं, वहां पर स्वयं गये हैं और कहां पर खुलना चाहिये, वहां पर जमीन आदि को देखा है । इन सब कार्यों के लिये वे बधाई के पात्र हैं । एक नहीं कई मेडिकल कालेज आज खोलने का उनका विचार है और वे उसके लिये कटिबद्ध हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा डाक्टर्स पैदा किये जा सकें । इतना होने पर भी माननीय विरोधी दल के सदस्य आलोचना करते हैं । उनका तो काम ही हर विभाग की आलोचना करना है, किसी न किसी तरह की शिकायत करना है । डाक्टर कितना ही अच्छा इलाज क्यों न करे, उनको तो शिकायत करना ही है । श्रीमान्, बलरामपुर अस्पताल में जितनी दवाई यह लोग लाते हैं उतनी शायद ही कोई लाता होगा, लेकिन फिर भी यह यही कहते हैं कि वहां का इन्तजाम अच्छा नहीं है । जब कि सबसे अच्छा वहां का इन्तजाम है । सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन जितना ही ठीक करती है, उतनी ही यह लोग आलोचना करते हैं । इसलिये मैं, श्रीमान्, आपक द्वारा इस कार्य के लिये अपनी सरकार को बधाई देता हूं ।

इसके साथ, मेरा एक नम्र निवेदन है । जहां शहरों में इतने अस्पताल हैं, वहां पर दवाई ठीक तरह से मिलती है या नहीं, इसको सरकार को देखना चाहिये । डाक्टर समय से आते हैं या नहीं, इसकी भी देखभाल होनी चाहिये । जो आपके सचिव वगैरह हैं, उनको इन चीजों को देखते–भालते रहना चाहिये । जो मरीज अस्पताल पहुंचने में असमर्थ होता है, उसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज घर पर डाक्टर को दिखाने के लिये १५-१६ रुपये फीस देनी पड़ती है। मगर वे गरीब जिनके पास यह फीस देने के लिये नहीं है, वे कैसे दिखा सकते हैं। उन गरीबों को फीस से बचाइये और डाक्टरों को बाध्य कीजिये कि वे उनके घरों पर जाकर भी देखें जैसे शहरों में अमीरों के घर जाकर देखते हैं।

हमारे जिले में टी० बी० के अस्पताल में बेड्स बहुत कम हैं। जो जिला सबसे बड़ा हो और जिसकी जन संख्या भी सबसे अधिक हो, वहां कम से कम ४ गुना बेड्स करने चाहिये, और ५०, ६० लाख रुपया सालना मेरठ में खर्च करना चाहिये जहां से १५, १६ करोड़ रुपया सालाना लेते हो।

इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरठ में मेडिकल कालेज खोलने का निश्चय किया है और वहां की जनता उनकी आभारी है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्यामलाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने छोटे से वक्तव्य में अपने उद्देश्यों को बताते हुए अपनी बात समाप्त कर दी। वह स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े सैनानी रहे हैं और उनका मैं बड़ा आदर करता हूं। इस वर्ष के लिये उन्होंने करीब १२ करोड़ रुपये की मांग रखी है। उन्हें बतलाना चाहिये था कि उनके विभाग नें क्या-क्या काम किये हैं। न इसके बारे में कोई वर्किंग रिपोर्ट दी गई है और न मंत्री जी ने ही विभागीय कार्यों पर प्रकाश डाला है। माननीय सदस्य अपने मन से ही बजट को ही देख कर सारी बातें कह रहे हैं। यह सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी चला रही हैं। यह बहुत प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। साथ ही एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली भी चल रही हैं। लेकिन इन दोनों में सरकार ने सौतेली मां का सा व्यवहार कर रखा है। जितना प्रोत्साहन सरकार एलोपैथिक प्रणाली को देती है उतना आयुर्वेदिक को नहीं देती। आयुर्वेदिक को सरकार ने बिलकुल नेगलेक्ट किया है। मैं मेडिकल साइंस का मास्टर तो नहीं हूं लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है यह मैं कह सकता हूं। यह अवश्य है कि उसके द्वारा थोड़े समय में राहत मिल जाती है। इसमें ऐसी औषधियां अवश्य आई हैं, जो आराम तो तुरन्त करती है पर हानि-कारक बहुत होती है। जैसे सल्फर ड्रग्स और ऐन्टी-बायोटिक्स हैं। शल्य चिकित्सा यानी सरजरी को मैं यह अवश्य मानता हूं कि एलोपैथी बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गई है। आयुर्वेद उतना आगे नहीं बढ़ा है। उसका कारण सरकार की उपेक्षा दृष्टि है।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

एक प्वाइंट आफ रिक्वैस्ट है। क्या यहां सोना भी जरूरी है ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय चन्द्रसिंह जी, यदि आपकी तबियत अच्छी न हो तो आप कृपया लाबी में चले जावें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

यहां उनके लिये एक चारपाई मंगा दी जाय और गद्दा लगवा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय उग्रसेन जी, यह आपके लिये शोभा नहीं देता है इस तरह कहना।

श्री उग्रसेन---

मैं मंत्रियों को जगाऊंगा और इसकी जितनी निन्दा हो सकती है उतनी करने के लिये तैयार हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मगर आप यह कहें कि यहां चारपाई मंगा दी जाय, यह आपके लिये शोभा नहीं देता ।

श्री विजयसिंह—

श्रीमान्, मेरे समय का भी ध्यान रखा जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है ।

श्री विजयसिंह—

मैं यह कह रहा था कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है । डाक्टर लोग इसमें दवाइयों का एक्सपेरीमेंट करते रहते हैं । मेडिसिन्स भी अपना रूप बदल-बदल कर विदेशों से आती रहती हैं और डाक्टर साहब उन्हें एक ही मर्ज पर बराबर Test करते रहते हैं। Allopathic में सलफर ड्रग्स और इन्जक्शन्स का बहुत व्यवहार बढ़ गया है और इलाज बहुत खर्चीला है । आयुवदिक ट्रीटमेंट सबसे सस्ता है और इसमें फिक्स्ड प्रेस्क्रिप्शस होते हैं । जितने हमारे नुस्खे ऋषियों के बनाये हुए थे वे ही आज तक चले आ रहे हैं । यह बात अवश्य है कि आयुर्वेदिक नुस्खों में मात्रा में कमी-बेशी होती रहती है लेकिन वे बदलते नहीं हैं । हमारे यहां से ८ आने और रुपये सेर की जड़ी-बूटी बाहर देशों में जाती है और वही विदेशों से अंग्रेजी दवाइयों का रूप धारण करके बहुत महंगी बिकती हैं । सर्पगंधा हमारे यहां एक बूटी होती है जिसके विदेशों से सर्पेन्टाइना टेबलेट्स बनकर आते हैं । अदरक का सीरप जिन्जर बन कर आता है । इलायची से टिन्कचर कारडिको बनकर हमारे यहां विदेश से आता है । आयुर्वेदिक मैडिसिन्स अधिक असर करती हैं और सस्ती भी हैं । एलोपैथिक की दवाइयां बहुत मंहगी हैं और गरीबों के लिये उन्हें प्रयोग में लाना असंभव हो जाता है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह आयुर्वेदिक पद्धति को नेगलेक्ट न करे । आज कल गांव-गांव में नये रोगों को वैद्य लोग भी समझ लेते हैं और वे अस्पताल तक आ ही नहीं पाते ह, और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । वैद्य कानूनी अड़चन के कारण उसका इलाज भी नहीं कर पाता है अतः—मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह वैद्यों को फिर रजिस्टर करे जैसे कि पहले होता था और उन्हें सेवा करने का मौका दें ।

हमारी विधान परिषद् के अध्यक्ष माननीय धुलेकर जी, ने आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी झांसी में स्थापित की है । मेरा निवेदन है कि सरकार उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करे । वहां के विद्यार्थियों को विशेष सुविधा दे। लखनऊ में भी एक आयुर्वेदिक कालेज है । वह है तो आयुर्वेदिक का लेकिन उसका इन्तजाम एलोपैथी के डाक्टरों के हाथ में दे रखा है । इस दशा में कैसे उसकी तरक्की हो सकती है ? मेरा सुझाव है कि उस कालेज को आयुर्वेदिक मैडिसिन वालों के हाथ में दें और उसके लिये ग्रांट भी अधिक दें ताकि आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ावा मिल सके ।

उत्तर प्रदेश में हमारे यहां दो स्टेट फार्मेसीज हैं, एक रानीखेत की कोआपरेटिव फार्मेसी और दूसरी लखनऊ की है । ये दोनों प्रदेश में दवाइयों की पूर्ति नहीं कर पाती हैं । सरकार को इधर भी ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है ।

हमारे देहातों में डिसपेंसरीज के खाली होने का मुख्य कारण यह है कि डाक्टर लोग वहां जाना पसन्द नहीं करते । जैसे पुलिस और जेल में डाक्टरों के लिये जाना अनिवार्य होता है, मैं चाहता हूं कि उनके लिये देहात में भी जाना अनिवार्य हो। जितनी सर्विस वे देहात में करें उनको डबल service शहर में आते ही काउन्ट करें और उन्हें देहात के लिये Special allowance भी दें और देहातों में रहने को medical' officer quarters बनवायें तभी डाक्टर देहातों में जायेंगे ।

अब मैं अपने जिले की कुछ बात कहना चाहता हूं । जालौन जिले में ग्राम मैंड, तहसील कौंच, में एक बिल्डिंग डिस्पेंसरी के लिये, गवर्नमेन्ट डिस्पेंसरी के लिये, दी गई थी करीब ४०,००० रु० की । सरकार ने ८,००० रुपया वहां के मेडिकल अफसर के लिये क्वार्टर बनवाने के लिये मंजूर किया लेकिन वह आज तक नहीं बनी है । मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसकी ओर ध्यान

देने की कृपा कर । दूसरी बात एम० एल० एज० का कोटा जो डिस्ट्रिक्ट्स में रहता है, उसकी अच्छी व्यवस्था नहीं है । उसे खत्म किया जाय । या तो वह गरीबों को बांट दिया जाय या एम० एल० एज० को ठीक तरह से दिया जाय । उसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को मिलना आवश्यक है, ताकि माननीय सदस्य उसे इस्तेमाल कर सकें अभी बहुत से माननीय सदस्य उससे अनभिज्ञ होंगे । मान्यवर, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी सरकार ने दो प्रकार की नीति कर रखी है । वहां पर तीन फैकल्टीज मेडीसिन के अन्तर्गत हैं । एक तो मेडीसिन की फैकल्टी है, दूसरी ऐंशिमेंट मेडीसिन की फैकल्टी है और तीसरी फैकल्टी आयुर्वदिक की है जो क्रमशः एम० बी० बी० एस०, बी० एम० बी० एस० तथा आयुर्वेदाचार्य के कोर्स को देखती है । नम्बर दो B.M.B.S. कोर्स को पास करने वालों को सरकार एम० एस० और एम० डी० की परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं देती है । जब दोनों (M.B.B.S. & B.M.B.S.) की क्वालिफिकेशन बराबर समझी जाती हैं तो (B.M.B.S.) उनको परीक्षा देने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती है ? सरकार इस संबंध में एक व्यवस्था कर सकती है कि एक रिफ्रेशर्स कोर्स का वह प्रबन्ध करे जिस कोर्स को पास करने के बाद उनको एम० डी० की डिग्री परीक्षा में बैठने की स्वीकृति दी जाय ।

एक और बात कहनी है कि पंजाब की गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था की है वह यह कि जो Doctor या मेडिकल अधिकारी लड़ाई पर जाते हैं या जाना चाहते हैं उनकी वहां की सर्विस civil service में आने के बाद डबल काउन्ट कर ली जायगी । यह सुविधा इस प्रदेश में भी होती तो ज्यादा अच्छा होता । इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम भजन (जिला खीरी)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसकी मुआफिकत और विरोधी दल की ओर से पेश किये गये कटौती के प्रस्ताव की मुखालिफत करता हूं । यह सभी लोगों को विदित है कि जब अंग्रेज भारत से बाहर गये उस वक्त हर तरह से यहां की हालत खस्ता थी । उसके बाद से हमने दावा दारु के मामले में काफी तरक्की की है, अस्पताल भी बढ़े हैं । उनकी संख्या तिगुनी चौगुनी हो गयी है । हमारे प्रदेश पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है । ताउन, हैजा और मलेरिया तो करीब-करीब जड़ से उखड़ गये हैं, टी० बी० का मर्ज भी आखिरी सांस ले रहा है और बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है । इसके साथ ही साथ हमारे यहां की औसत जिन्दगी भी बढ़ी है तथा जो बहुत से बच्चे बचपन में मर जाते थे, उसमें भी कमी हुई है । इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग का कार्य बहुत खूबी के साथ आगे बढ़ रहा है । लेकिन इमरजेंसी पीरियड हमारे रास्ते में हायल हो गया है । अगर इमरजेंसी न होती तो इस समय में हम ज्यादा रुपया सर्फ कर सकते थे । फिर उतना रुपया इस पर खर्च नहीं किया जा रहा है जितना हमें करना चाहिये ।

गवर्नमेंट की ओर से मेरठ, गोरखपुर और झांसी में मेडीकल कालेज खोले जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो और कालेज इस वक्त मौजूद हैं उनमें भी सवाई तादाद में भर्ती की जायगी । ये सब इस बातें की निशानी है कि हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं । लेकिन फिर भी जिस तेजी से अस्पताल खुल रहे हैं उतनी तादाद में हमें डाक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, गांवों के अस्पताल बिना डाक्टरों के पड़े रहते हैं । लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की क्रियाशीलता को देखते हुये हमें परेशान नहीं होना चाहिये ।

इसके साथ-साथ मैं गवर्नमेंट से इस्तदुआ करूंगा कि जिस प्रकार शहरों की तरक्की हो रही है, शहरों में अस्पताल खोले जा रहे हैं, उसी प्रकार से देहातों में खोले जाने चाहिये, यद्यपि खोले जा रहे हैं लेकिन शहरों के मुकाबले में कम खोले जा रहे हैं । इसलिये हमारी यह प्रार्थना है कि देहात की तरफ भी अवश्य ध्यान दिया जाय ।

इसके अलावा हमारे देश और प्रदेश में आजकल कुष्ट रोग काफी तादाद में बढ़ रहा है और हमारे लिये यह एक बड़े अपमान की चीज है । हालांकि हमारी सरकार इस बीमारी को रोकने के लिये काफी प्रयत्नशील है और उसके लिये काफी इन्तजाम कर रही है लेकिन इस काम

[श्री रामभजन]

में और तेजी लाने की जरूरत है । अगर इस काम में तेजी नहीं लायी जायेगी तो हमें ऐसा मालूम होता है कि आगे चलकर हमारी नस्ल पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । इसलिये इस बात की जरूरत है कि कुष्ठ रोग को रोकने की तरफ हमारा काफी ध्यान जाना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ हम एलोपैथिक इलाज के लिये काफी कोशिश कर रहे हैं और मजबूर होकर कर रहे हैं क्योंकि कोई आयुर्वेदिक इलाज कराना ही नहीं चाहता । इसलिये गवर्नमेन्ट के लिये भी मुसीबत है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि आयुर्वेदिक इलाज भी काफी तरक्कीयाफ्ता है और उसने भी आज संसार में अपनी एक खास जगह हासिल कर ली है, इसलिये गवर्नमेन्ट को चाहिये कि वह आयुर्वेद को अपने यहां मुनासिब स्थान दिलावे । आज चूंकि हमारे यहां अच्छे किस्म के वैद्य नहीं हैं इसलिये जनता भी उन पर विश्वास नहीं करती । इसलिये सरकार को चाहिये कि वह काफी ऊंचे स्तर के वैद्यों को तैयार करके अपने यहां के अस्पतालों में स्थान दे जिन पर जनता का काफी विश्वास हो । इसी तरह अच्छे किस्म के हकीमों को भी तैयार करे जिन पर लोग विश्वास करें । इस तरह से हम उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं । इसके साथ ही साथ जन स्वास्थ्य विभाग का खाने पीने की चीजों से भी काफी सम्बन्ध है । आज जिस तरह से खाने पीने की चीजों में मिलावट चल पड़ी है अगर उसे यह विभाग रोकने में सफल हो गया तो यकीन कीजिये आज हमारे प्रदेश में जितनी बीमारियां पैदा होती हैं उनमें काफी कमी हो जायगी । हमें आशा है कि हमारे मिनिस्टर साहब इस बात की तरफ अवश्य ध्यान देंगे ।

इसके अलावा एक चीज और भी रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में है । पहले भी मैंने इस पर काफी जोर दिया था और आज भी कहता हूं कि आज देहातों में, दुनिया भर के नातजुर्बेकार लड़के भी, जिनको किसी बात का शऊर तक नहीं है, वे बिना कुछ समझे बूझे ही हर केस में इंजेक्शन लगा दिया करते हैं और देहात की जनता भी कुछ ऐसी भावना की हो गयी है कि जब तक किसी रोग में इंजेक्शन न लगा दिया जाय उसे इत्मीनान ही नहीं होता । तो मेरी यह भी प्रार्थना है कि मिनिस्टर साहब ऐसे नातजुर्बेकार लोगों पर काफी निगरानी रखें और उनकी अच्छी तरह से देख रेख करावें और कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे उनको ऐसे कामों से रोका जाय ।

अब मैं अपने जिला खीरी की कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस जिले का रकबा बहुत लम्बा है और वहां जंगलों की तादाद काफी होने की वजह से तथा तराई एरिया होने की वजह से भी वहां मलेरिया की काफी शिकायत रहती है । हमारे लखीमपुर खीरी में ही जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां हर तरह की सहूलियत जनता को मिलती हैं । गोलागोकर्णनाथ जिले का दूसरे नम्बर का कस्बा है जो शहर की तरफ से ही है । वहां अन्तरिम-जिला परिषद् की तरफ से एक अस्पताल चल रहा है । मोहम्मदी जो तहसील का हेड क्वार्टर है और जिसकी आबादी काफी है, वहां अन्तरिम जिला परिषद् की एक डिस्पेंसरी चल रही है । मेरी प्रार्थना है कि वहां स्टेट डिस्पेंसरी के अलावा एक जनाना अस्पताल भी खोलने की जरूरत है। मैं आखिर में अपने मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं जो बहुत ही योग्यता के साथ अपने काम को कर रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि इस काम में और तेजी लायी जायगी और उससे हमारी सारी समस्यायें आप से आप हल होती जायेंगी ।

*श्री प्रेमसिंह——

आला हजरात, जनाब किबला वजीर तनदुरुस्ती से मैं अर्ज करता हूं——"इश्क आसा' नमूद अव्वल, वले उफ्ताद मुश्किल हा ।" यानी इश्क जाहिरा आसान मालूम होता है, लेकिन वैसे बहुत मुश्किल है । इसी तरह से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्ट व मेडिकल डिपार्टमेन्ट का काम भी बहुत मुश्किल नजर आता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

अगर देखा जाय तो मोटे तौर पर तीन बातें मेरे विभाग में आती हैं । उसको मैं तीन हिस्से में डिवाइड करता हूं । पहला हिस्सा तो है प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी रोकने वाला यानी हर तरह की बीमारियों को दूर करने वाला और तीसरा यह कि जो हम लोग हैं वह ठीक से पैदा हों और बच्चे आसानी से दुनिया में आ सकें और जच्चा बच्चा की सही हिफाजत हो सके । इन चीजों के बाद जरा गौर से सुनें और तीनों चीजों में आखिरी बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाय, सब से ज्यादा यही अहम है क्योंकि अगर बच्चा नहीं है तो औरत भी नहीं है मर्द भी नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है और न यह दुनिया के मजे हैं और वह न हों तो फिर खुदा जाने यह मेडिकल किस के लिये है । मैं आप की तवज्जह मुखातिब करूंगा कि यह नजरिया होना चाहिये कि सन्तान पैदा हो लेकिन कम हो, खूब तन्दुरुस्त हो और जहीन हो और एक अच्छा इन्सानों का समाज हो । लाल बत्ती हो गई है तो खत्म किये देता हूं । एक शेर कहे देता हूं 'इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया,
वर्ना हम भी आदमी थे काम के ।"

हम एम० एल० ए० अब हो गये, इसका यानी एम० एल० ए० का मतलब क्या है यह मैं बता दूं इजाजत हो तो लेकिन नहीं कहूंगा जाने दीजिये । हमारे सूबे में अभी न तो काफी जच्चा खाने हैं न काफी दाईयां हैं । मैं अपने क्षेत्र की कहता हूं कि हमारी बीबी के भी अगर बच्चा इत्तिफाक से हो गया खुदा न करे तो बड़ी दिक्कत होगी ।

एक सदस्य—

आप परिवार नियोजन नहीं कर रहे हैं ।

श्री प्रेमसिंह—

जी मेरी शादी सन् ५४ में हुई और एक ही बच्चा अभी तक है, सोचता हूं यही कि प्रिवेन्ट करे रहूं, आगे भगवान मालिक है ।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आज एक विचित्र स्थिति में मुझे इस अनुदान के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त करना पड़ रहा है । प्रारम्भ से ही इस सदन में जो भी विचार व्यक्त किये गये वह और वर्षों से थोड़ा भिन्न थे । आम तौर से होता यह रहा है कि विभिन्न पद्धतियों के बारे में हम वाद-विवाद करते रहे हैं कि हमारे प्रदेश में और देश में कौन-सी पद्धति प्रचलित होना चाहिये लेकिन कुछ सदस्यों को छोड़कर मैं समझता हूं कि दोनों ओर के बोलने वाले लोगों ने किन्हीं दूसरी समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । श्रीमती रोहतगी जी का मैं बहुत आभारी हूं जिन्होंने कि एक बहुत ही महत्वपर्ण प्रश्न की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । उन्होंने अपने तर्क-पूर्ण भाषण में यह सिद्ध किया कि आज की स्थिति में जिन मांगों में बजट की धनराशि को कम किया गया है उन में कमी नहीं होनी चाहिये थी । जो साहित्य हमें विभाग की तरफ से दिया गया है उसके पीछे जब हम देखते हैं तो हमारा यह विश्वास और भी प्रबल हो जाता है कि और विभागों-में भले ही कटौती की जाती, लेकिन कम से कम हमें हेल्थ और मेडिकल की ग्रान्ट्स को कम करना न चाहिये था । कौन नहीं जानता कि लड़ने वाली सेना अगर उस के सहयोगी डाक्टर और इंजी-नियर्स न हों तो वह बेकार सिद्ध होती है । आज की रणनीति से जानकारी रखने वाला हर व्यक्ति इस को जानता है । अगर आपत्कालीन स्थिति भी थी तो उसका भी यह तकाजा था कि इस विभाग के बजट में कटौती न की गई होती । आप ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि आज की आपत्कालीन स्थिति में डाक्टरों की आवश्यकता अधिक पड़ गई है ।

केन्द्रीय सरकार की बात जाने दीजिये, पी० एम० सी० की डिवीजंस आपने खुद बढ़ाई है । जब पी० ए० सी० की पोस्टिंग बार्डर पर होती है या उत्तराखंड की ओर होती है तो उसके साथ डाक्टर्स चाहियें, उसके साथ चिकित्सा के अन्य साधन चाहियें । फिर मेरी समझ में नहीं आता कि एकानामी कमेटी ने कैसे इस विभाग के बजट में कटौती की । मान्यवर, पिछले वर्षों में जब कभी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामायणराय]

विवाद हुये होंगे हर बार यह कहा गया है कि जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, बंगाल का सम्बन्ध है या बम्बई का सम्बन्ध है प्रत्येक राज्य के बजट में औसत जो इस विभाग का है उसमें यह राज्य अन्य राज्यों से पीछे रहा है और जो औसत हम ६ प्रतिशत पहले खर्च भी करते थे उसे भी घटाकर हमने शायद अब ५ प्रतिशत कर दिया है । तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस कटौती को समाप्त कराइये । सरकार की ओर से वस्तुस्थिति के खिलाफ यह कार्य हो रहा है । मैं आशा करता था कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जिस समय अनुदान को सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो पिछले वर्ष जो उन्होंने घोषणा की थी और जिस घोषणा के चलते एक उच्चस्तरीय आयोग की नियुक्ति उन्होंने की थी, उस आयोग ने अब तक क्या किया है, उसके कारनामों से हमको अवगत करावेंगे । लेकिन जिस साहित्य को भी हम देखते हैं उसमें केवल इतना संकेत मिलता है कि भविष्य में चल कर शायद वह आयोग डाक्टरों की कमी की समस्या के सम्बन्ध में अपने अनमोल सुझाव देगा । मैं हैरान हो जाता हूं । डाक्टरों की कमी की समस्या कोई ऐसा वेद का सूत्र नहीं है जिसके भाष्य में वर्षों लग जाय । एक तरफ आप कहते हैं कि डाक्टर की आज अनिवार्य आवश्यकता है दूसरी तरफ उनकी कमी का जहां तक प्रश्न है उसके उपायों पर विचार करने में आप वर्षों लगाते हैं। इस पर विचार करने में आपको क्यों इतनी दिक्कत होती है ? डाक्टर एक प्रण्य की भांति है, एक बिकनेवाली कमोडिटी के रूप में है । जो खरीददार उसको ज्यादा पैसा देगा वहां वह चला जायगा, वहां वह बिकेगा । बहिन सुशीला जी ने बतलाया कि पिछले वर्ष में हमने इतने हजार डाक्टर पैदा किये । हमारे मेडिकल कालेजों की संख्या इतनी अधिक हो गयी है । यह सही है कि हमारे मेडिकल कालेजों ने बहुत अधिक स्नातक पैदा किये, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे स्नातक आज राज्य की सेवाओं में हैं ? नहीं हैं । जैसे ही कोई व्यक्ति एम० बी० बी० एस०, एम० एस० या एम० डी० कर लेता है वह फौरन रेलवे सर्विस में चला जाता है या पड़ोस के अन्य राज्यों में चला जाता है । अन्य सर्विसेज का भी यही हाल है । नर्सेज की भी यही हालत है । तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि डाक्टरों की कमी के प्रश्न को दार्शनिक रूप में विचार न कीजिये, बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से उस पर विचार कीजिये तो यह अभाव जल्द दूर हो सकता है । मैं कतई इस विचार का नहीं हूं कि आप मेडिकल कालेजेज अधिक न खोलें, इनसे आपको मदद मिलेगी, लेकिन जो खोलने का ढंग है, जिस सिद्धान्त पर वे खुले हुये हैं वह इस समस्या के हल करने में सहायक नहीं हो सकते हैं । मैंने पिछले वर्ष यह सुझाव दिया था कि अगर मेडिकल कालेज खोलते हैं तो ऐसे क्षेत्रों में खोलिये जहां डाक्टर जाने से हिचकते हैं । मेरठ का डाक्टर देवरिया जाने से घबड़ाता है कि कहीं वह फ इलेरिया या मलेरिया का शिकार न हो जाय । तो ऐसे क्षेत्र में आपको मेडिकल कालेज खोलने का फैसला करना चाहिये था । जो पिछली सरकार थी उसने यह घोषणा की थी कि गोरखपुर में एक मेडिकल कालेज खोला जायगा । मैं कोई क्षेत्रीय भावना से ओतप्रोत होकर यह विचार नहीं व्यक्त कर रहा हूं बल्कि इस दृष्टि से कि डाक्टर्स अधिक से अधिक हर क्षेत्र में मिल सकें । मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मेडिकल कालेज खोलने के पहले बहुत बड़ा हास्पिटल होना चाहिये । ठीक है होना चाहिये, लेकिन जो आपने अभी निश्चय किया है उसके लिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरठ में जो अस्पताल है, मेरठ से कोई स्पर्द्धा नहीं है, लेकिन जो वहां खुला हुआ है पहले से, लेकिन जो हस्पताल ऐग्जिस्ट करता है उससे कम बैड्स हैं क्या गोरखपुर में ? वहां क्या रोगियों की सेवा कम होती है ? इसके अलावा बारबार सदन में कहा मैंने कि जहां तक पी० एम० एस० सर्विसेज का सवाल है, यह जो नाना प्रकार के डाक्टर बना रखे हैं पी० एम० एस० (१) और (२) यह भी एक कारण है डाक्टरों के अभाव का । अभी टी० टी० कृष्णामाचारी ने एक बयान शाया किया था और उन्होंने चीन के हमले को धन्यवाद देते हुये कहा था कि हम कम से कम इस मामले में चीन के आभारी हैं कि उसमे हमारी आंखें खोल दीं । आंखें इसलिये खोल दीं क्योंकि अभी तक हमने अपने ऐक्सपर्ट्स को आई० ए० एस० अफसर के अधीन कर रखा था। तजुर्बे से पता चला है कि जब तक विशेषज्ञों के ऊपर, खास कर इंजीनियर्स और डाक्टर्स पर आई० ए० एस० अफसर रहेंगे कदापि हम किसी दिशा में प्रगति नहीं कर सकते हैं । मैं कहना

चाहता हूं कि मेडिकल एजूकेशन के अलावा, जनस्वास्थ्य के अलावा जो सबसे बड़ा सवाल है वह इन मेडिकल कालेजों में और अस्पतालों में काम करने वाले छोटे कर्मचारियों का है उनकी समस्याओं का भी ध्यान विभाग को रखना चाहिये । आप पता गायें, मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की इमरजेंसी पीरियड में नर्सेज की आवश्यकता प्रतीत हुई, डुग्गी पीटी गई, समाज सेवा संस्थाओं से आग्रह किया गया लेकिन वांछित संख्या में नर्सेज प्राप्त नहीं हो सकीं । क्या कारण है ? आज भी जो नर्सेज ट्रेनिंग ले रही हैं इनमें बहुत बड़ी संख्या दक्षिण भारत की छात्राओं की है । तो क्यों ऐसा हो रहा है ? इसलिये हो रहा है कि उनका पुरस्कार उचित नहीं है, उनकी सेवा के नियमों में कुछ वांछित सुधार की आवश्यकता है और अन्त में मैं पुनः मंत्री जी से कहूंगा अगर आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो हमारे उन पी० एम० एस० (२) डाक्टर्स के ऊपर से जिनके सर पर मेडिको लीगल की तलवार लटकती रहती है, गांवों के अस्पताल में काम करना चाहते हैं मारपीट हो जाती है तो दरोगा जी पहुंचते हैं और कहते हैं स्माल को ग्रीवियस कर दीजिये । कुछ समाज के दलाल लोग पहुंच जाते हैं । और अगर वैसा नहीं करता है तो रात को उसका बोरिया बिस्तर ले कर चोर चम्पत हो जाते हैं । अगर इन परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देंगे तो इस समस्या के साथ कदापि न्याय नहीं कर सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं । हैल्थ डिपार्टमेन्ट का काम बड़ा सराहनीय रहा है और उसका सबूत इस विभाग की सेवायें रही हैं, उसके लिये मैं हैल्थ मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं । यह सेवायें बड़े बड़े मेलों में देखने को मिली हैं । दूसरे हमारे यहां गांवों में मलेरिया से सैकड़ों आदमी उसके शिकार हो जाया करते थे और यह विभाग ही ऐसा है जिसने गांव गांव में जा कर घर घर पर जनता की सेवा की है । उसका काम बड़ा प्रशंसनीय रहा है । इसी तरह से चेचक उन्मूलन चल रहा है तथा बी० सी० जी० वालों ने भी सेवा की है ।

अब मैं थोड़ा बहुत मेडिकल कालेज के एडमीशन के बारे में कहना चाहता हूं । देहातों में अस्पताल कम हैं और जो हमारे मेडिकल कालेज में लड़के पास कर लेते हैं वह देहातों में जाना नहीं चाहते । इसके लिये एक सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं कि देहात की आबादी के अनुपात से किसान के लड़कों को मेडिकल कालेज में भरती किया जाय और जो मेडिकल कालेज से पास हो जायं उनके लिये अनिवार्य कर दिया जाय कि देहात में सेवायें करें, दो, चार साल । बी० ए० पास लड़कों को तो परिवार नियोजन में ले लिया जाता है लेकिन अब जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं उनको नहीं लिया जाता है हालांकि ५ साल तक वे शिक्षा पाये होते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के लिये भी रिसर्च स्टेशन खोले जायं ताकि आयुर्वेद में उन्नति हो सके।

श्री अधिष्ठाता––

आप कृपया धीरे-धीरे बोलें, बहुत जल्दी बोल रहे हैं जिससे लिखा नहीं जा सकेगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम––

मैं उस क्षेत्र से आया हूं जो बिलकुल ही पिछड़ा और अविकसित है। यह क्षेत्र है खेड़ा बक्षेड़ा जो जिला शाहजहांपुर में तहसील तिलहर और जलालाबाद का हिस्सा है । इसी क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं । इस क्षेत्र में ज्यादा नदियां है, नाले हैं, इसमें राम गंगा बहुगल, सोत तथा अरल नदियां है। बरसात में १०,२०,५० गांव शहर और तहसील से कट आफ हो जाते हैं। जब देहातों में बीमारी फैलती है तो जिला अधिकारियों से संबंध रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जिलाधीश भी जहां तक उनकी जीप पहुंच पाती है वहीं तक वे जाते हैं। इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि एक औषधालय इस क्षेत्र में खोला जाय जिससे वहां की जनता को बीमारी से राहत मिल सके । फिर अस्पतालों की व्यवस्था शहर में है । देहात में नहीं है जहां कि ८० प्रतिशत काश्तकार रहते हैं जो कि शहर में आ कर इलाज कराना एफोर्ड नहीं कर सकता लिहाजा देहाती क्षेत्र के लिये जो कि हमारे समाज की रीढ़ है, जिनके पास पैसा नहीं है, साधनों की नितान्त कमी है, वहां औषधालय खोले जायं जिससे वहीं इलाज हो सके ।

[श्री सुरेन्द्रविक्रम]

देहात में शिक्षा की बहुत कमी है । कालेज की शिक्षा वहां नहीं होती । ज्यादा से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल तक बहुत से लोग पढ़े हुए हैं और बहुत से लोग अपने बच्चों को इसलिये नहीं पढ़ा पाते कि उनके पास साधन नहीं ह । इसलिये मैडिकल कालेजेज में उनकी आबादी के अनुपात से सीटें रिजर्व की जायं जिससे देहात के भाई भी डाक्टर बन सकें । मैं इतना कह कर इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी की ओर से जो अनुदान १८ और १९ पेश हुए हैं और विरोधी पक्ष की ओर से उन पर जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं। मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात का आश्वासन दिया था और यह कहा कि वे सारे प्रदेश और देश को स्वस्थ रखना चाहते हैं लेकिन दुख की बात है कि सरकार प्रदेश की जनता की प्राथमिक आवश्यकतायें और उसके जीवन को स्वस्थ रखने में असमर्थ रही है। आज देखा जाय तो खाद्य सामग्री जिससे मनुष्य हृष्ट पुष्ट रह सकता है आदमी को नहीं मिल पाती है । आज देहातों में घी, दूध या और प्रकार की खाद्य सामग्री भी शुद्ध रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है । जनतंत्र का युग है और सभी जानते हैं कि हमारे देश की सारी जनता, लगभग ८० प्रतिशत देहात में रहती है और हम यह कहते हैं कि नियोजन के आधार पर हम देश में बड़ी-बड़ी योजनायें चला रहे हैं । मैं नहीं समझ पाता हूं कि नियोजन किन लोगों के लिये चलाया जाता है । आखिर नियोजन तो उन्हीं लोगों के लिये होता है जो पिछड़े हुए होते हैं । लेकिन अगर देखा जाय तो हमारा यह नियोजन उल्टे प्रकार का है । यह ऊपर से चलता है । ८० प्रतिशत देहात की रहने वाली जनता उससे लाभान्वित नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि देहातों में जो अस्पताल हैं उनमें अधिकतर डाक्टर नहीं हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी एक बार इसी सदन में कहा था कि प्रदेश के लगभग चार, पांच सौ अस्पतालों में डाक्टर नहीं पहुंच पाते हैं । इसका कारण यही है । कि आज के एम० बी० बी० एस० डाक्टर देहातों में जाना नहीं चाहते हैं । हमारी सरकार यह भी नहीं समझ पायी कि आखिर ये डाक्टर वहां क्यों नहीं जाना चाहते । मैं समझता हूं आजकल देश में ऐशपरस्ती की बढ़ती हुई भावनाओं के कारण ही वे देहातों में जाना पसन्द नहीं करते । अगर आप देखें तो ठीक रूप से हम इस मर्ज को पकड़ भी नहीं पाये हैं ।

आज भी देहातों में पुराने अनुभवी वैद्य हैं और उनको किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र नहीं मिला है । मेरा सुझाव है कि उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जायं । आज भी देहात की जनता विशेष रूप से आयुर्वेदिक प्रणाली में विश्वास रखती है और अधिकतर परिवार मेरा तो ऐसा विश्वास है कि लगभग ६०, ७०, ८० फीसदी देहात के परिवार ऐसे हैं जिनमें आयुर्वेदिक प्रणाली के आधार पर बहुत सी चिकित्सा उनके घरों में ही होती ह। आज अगर किसी एलोपैथिक दवाखाने से वे दवा लेने जाते हैं पहले तो उन्हें दवा मिल ही नहीं पाती है और वे स्वयं समझ भी नहीं पाते हैं कि किस प्रकार की दवा है । अगर देश में आयुर्वेतिक ढंग से चिकित्सा हो तो उससे हमारा तालमेल भी बैठ सकता है और उनको घरेलू जीवन में बहुत सी जानकारी भी प्राप्त हो सकती है । देहात के लोगों को कितनी परेशानी होती है इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं देता हूं । मैं बाराबंकी जिले के रामसनेही घाट का रहने वाला हूं । वहां रुदौली में एक अस्पताल है । पिछले दिनों एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि उस अस्पताल में ८२ हजार मरीज एक वर्ष में आये और उसमें कितनी दवायें दी गयीं जरा इसे देखें । उसमें १,१०० रुपये की दवायें दी गयीं । वह अस्पताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा चलाया जाता है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा अस्पतालों को दवायें देने का तरीका भी अलग है। वे मार्केट रेट पर दवायें खरीदते हैं । सरकार को जिन दवाओं के दाम ५० प्रतिशत कम देने पड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्हीं दवाओं के दाम ५० प्रतिशत अधिक देने पड़ते हैं। आप देखें तो इस तरह से एक आदमी पर एक पैसे की भी दवा नहीं पड़ती है। ८० प्रतिशत देहात की रहने वाली जनता के जीवन के साथ इस प्रकार खिलवाड़ की जाती है।

(इस समय ३ बजकर ५१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुए।)

मैं सिफारिश करूंगा कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। विशेष रूप से आयुर्वेदिक प्रणाली की ओर उनका ध्यान जाना चाहिये।

हमारे प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ में चल रहा है। यहां पर विद्यार्थियों को आयुर्वेदाचार्य की डिग्री दी जाती है। अगर इस ओर मंत्री जी ध्यान दें और उन्हें वही सुविधायें दी जायं जो एम० बी० बी० एस० को दी जाती हैं तो ज्यादा आसानी हो जाय और देहात की जनता को बड़ा लाभ हो। आज कहा जाता है कि डाक्टरों की बड़ी कमी है और इस इमरजेन्सी के पीरियड में भी बहुत कमी बतायी जाती है। मेरा सुझाव है कि मंत्री जी इस कमी को आयुर्वेद का अधिक शोध करा के पूर्ण करने का प्रयास करें।

पिछले दिनों आयुर्वेद के शिक्षार्थियों को बी० एम० बी० एस० की डिग्री दी गयी। बी० एम० बी० एस० का कोर्स एम० बी० बी० एस० के बराबर ह लेकिन बी० एम० बी० एस० वालों को कोई इस प्रकार की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं कि वे अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकें। मेरी इस संबंध में प्रार्थना है कि अगर उनमें कोई कमी है तो उनको रिफ्रेशर कोर्स पढ़ाकर, उनको एम० डी० और एम० एस० में जाने की सुविधा प्रदान की जाय। वैसे मैं समझता हूं कि वे सारी आवश्यकतायें पूर्ण करते हैं।

मान्यवर, जिस प्रकार से नागरिक जीवन से खिलवाड़ किया जाता है उसका बड़ा कटु अनुभव है। देहातों में चलने वाले अस्पतालों में बहुत थोड़ी दवाइयां दी जाती हैं। दूसरी बात यह है कि इस भ्रष्टाचार के युग में वही लोग अस्पताल की दवाइयों का उपयोग कर पाते हैं जो डाक्टर को २-४ रुपये फीस देकर बुलाते है। उनको ही दवाइयां मिल पाती हैं और गरीब किसान लाभान्वित नहीं हो पाता है। इसलिये अगर आज के युग में आयुर्वेद प्रणाली चलाई जाय तो देहात का हर आदमी लाभान्वित हो पायगा। आजकल इस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि कोई झगड़ा हुआ या वारदात हुई तो ३२३ के मुकदमें को ३२५ का बनाया जाता है और इसके लिये डाक्टर को अन्धाधुंध पैसा दिया जाता है। इसी प्रकार कत्ल के मामलों में भी डाक्टर को खूब पैसा दिया जाता है। इस ओर मंत्री जी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अस्पताल की दवायें बाजारों में बिकती हैं और जो नकली दवायें चल रही हैं जिनसे जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उस ओर मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है। इससे देश की और प्रदेश की बदनमी होती है। आज देहातों से ही बड़ी तादाद में चन्दा आ रहा है और हमारे इमर्जेन्सी के युग में देहातों से ही जवान देश की रक्षा के लिये आते हैं, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिये इस बात की आवश्यकता है कि उनको अच्छी दवाइयां दिलाई जायं और अच्छा भोजन दिलाया जाय। आज सौतेली मां का सा व्यवहार देहात के साथ किया जाता है क्योंकि शहरों पर बहुत अधिक धन खर्च किया जाता है। इस ओर ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान सीतापुर जिले में चल रहे आंख के अस्पताल की ओर दिलाना चाहता हूं। यह अस्पताल काफी दिनों से सेवा कर रहा है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)---

मान्यवर, जो अनुदान स्वास्थ्य मंत्री जी ने पेश किये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव श्याम लाल जी ने रखा है उसका विरोध करता हूं। जनतंत्र में यह पद्धति रहा करती है कि जब कट मोशन रखा जाता है तो ऐसी बातें कही जाती है जिनसे विभाग को, प्रदेश को और इस सदन को कुछ सामग्री मिले, मैंने यह इच्छा की कि जानकारी करूं कि उन्होंने

[श्री धर्मसिंह]

क्या कहा और क्या मतलब था। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य विभाग का संबंध है, मैं उनकी बात नहीं समझ सका। एक बात से मैं सहमत हूं कि जहां तक इस प्रदेश का संबंध है जो प्लान और नान प्लान के आधार पर एलोकेशन्स है फंड के, उनमें इमर्जेन्सी के कारण कुछ कटौती की है। इसमें दो रायें नहीं है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष हमारी योजनाओं में कमी हुई। इधर के और उधर के बैठने वालों ने यह बात कही कि जहां तक इस प्रदेश की स्वास्थ्य नीति का संबंध है, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिये थी। जब कि हम इमर्जेंसी में चलरहे हैं, जहां तक इमर्जेन्सी का सवाल है, एक सदस्य ने यह कहा कि प्रदेश की सरकार ने, जिस तरह से लड़ाई के लिये तैयारी करना चाहिए, उसमें कमी की है। पिछले वर्ष बहुत बड़ी तादाद में इमर्जेन्सी के लिये पैसा दिया गया था और इस साल अगर १९६३–६४ के बजट को देखें तो उसमें १ करोड़ ६३ लाख २३ हजार के करीब पैसा दिया गया। डाइरेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि जहां तक इमर्जेन्सी में नर्सेज का, अस्पतालों का, दवाओं का, बेड्स का संबंध है, अगर वह कहीं आवश्यकता महसूस करते हैं तो वह प्रबन्ध कर सकते हैं। साथ ही साथ लखनऊ और दूसरे स्थानों पर जो प्राइवेट तरीके से नर्सेज इत्यादि काम करती हैं, इमर्जेंसी में उनका प्रबन्ध करने की बात है। एक बात और कही गयी इस सरकार ने आयुर्वेद के साथ सौतेली मां का व्यवहार किया है। अगर हम आयुर्वेद के संबंध में सरकार की नीति का इतिहास देखें तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जहां इस प्रदेश में एलोपैथी की तरक्की हुई है वहां आयुर्वेद की भी तरक्की हुई है। आयुर्वेद के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया गया है। इस प्रदेश में ६५० आयुर्वेद की डिस्पेंसरीज हैं। तो किस प्रकार आयुर्वेद के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? यह सरकार का कुसूर नहीं है यह जनता क कुसूर है उन लोगों का कसर है जो एलोपैथी की तरफ भागते है। मान्यवर, पिछले वर्षों में आयुर्वेद का सेपेरेट डाइरेक्टोरोट स्थापित किया गया और धीरे धीरे इस पद्धति में प्रगति होगी।

कुछ बी० एम० बी० एम० का भी जिक्र किया गया। अगर हम बी० एम० बी० एस० और आयुर्वेदाचार्य के इतिहास को देखें कि किस प्रकार संपूर्णानन्द कमेटी बिठायी गई थी उसकी रेकमेन्डेशंस हैं, फिर जोशी कमेटी बैठी थी। उसकी रेकमेंडेशन्स को देखें। बी० एम० बी० एस० को पी० एम० एस० २ का ग्रेड मिलता है। आयुर्वेदाचार्य कहते हैं उनको भी वही ग्रेड मिलना चाहिये जो बी० एम० बी० एस० को मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश के कालेजेज को देखें जो इंडियन मेडिसिन बोड के द्वारा कई चलाये जाते हैं पीलीभीत में है, हरिद्वार में है, बांदा में है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है। यह सही बात है कि प्रोत्साहन मिलना चाहिये लेकिन यह तमाम की तमाम बातें विचाराधीन हैं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आयुर्वेदाचार्य की डिग्री ऋषिकुल और दूसरी जगहों से जो मिलती हैं उससे तात्पर्य नहीं था वक्ता महोदय का। उनका तात्पर्य था स्टेट आयुर्वेदिक कालेज से जिसमें वही कोर्स आफ स्टडी है, वही प्रोफेसर्स हैं, वही परीक्षायें होती है कभी नाम भी उसका बी० एम० बी० एस० था। आज आयुर्वेदाचार्य कर दिया गया है, फिर उनके साथ यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है, ऐडमीशन की शर्तें वही हैं, सारी बातें वही हैं।

श्री धर्मसिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कोई मेरे कहने से या रामायण राय जी के कहने से तो समस्या हल नहीं होती है। एक जोशी कमेटी बैठी जिसमें टेकनिकल लोग थे, उसने अपनी रिकमेंडेशन्स दी हैं, वह सरकार के विचाराधीन है। मैंने बताया इसका एक लम्बा इतिहास है कि किस प्रकार से यह ग्रेड मिला। किस प्रकार से आयुर्वेदाचार्य और बी० एम० बी० एस० में कितना अन्तर है कितना अन्तर नहीं है यह तमाम बातें टेकनिकल लोगों द्वारा ही देखी जा सकती हैं और हाई पावर कमेटी का जहां तक संबंध है बहुत सी बातें इस तरह की हैं जो विचाराधीन हैं।

मैं मानता हूं कि प्रदेश में डाक्टरों की कमी है, लेकिन उस कमी को दूर करने के लिये क्या उत्तर प्रदेश को सरकार ने किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया ? जो मेडिकल कालेज इत्यादि स्थापित करने को बात की गई है उससे क्या वह समस्या हल नहीं होगी ? यह मैं मानता हूं कि उसमें कुछ थोड़ा समय लगा है जहां तक हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशंस का सवाल है, लेकिन दुर्भाग्य को बात है कि कई महीनों से हमारे प्रदेश में इमर्जेंसी आ गई है और चूंकि उसमें कुछ सर्विस से संबंधित और कुछ फाइनेंशियल बातें और भी बहुत से मसले इन्वाल्व्ड हैं, इसलिये उसमें अगर जल्दी निर्णय ले लेते हैं तो गड़बड़ी को बात हो सकती है। जो बहुत सी पुराने तरीके की परम्परायें चली आती हैं अगर हम उसमें किसी भी प्रकार की तब्दीली करते हैं जब कि उसमें टेकनिकल बातें और फाइनेंशियल इम्पलीकेशंस इन्वाल्वड हैं उसमें जल्दी करने से गड़बड़ी हो सकती है।

एक बात नर्सेज के सिलसिले में कही गई । जहां तक इस प्रदेश का संबंध है मान्यवर, नर्सेज को बहुत कमी है, यह बात मैं मानता हूं, लेकिन यह तो हमारे समाज की एक कमी है और दुर्भाग्य को बात है कि हमारे यहां की लड़कियां नर्सेज के काम के लिये नहीं आ पातीं । यह एक पद्धति चली आती है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि दक्षिण से लड़कियां आती हैं इसके लिये, लेकिन जहां तक सरकार का संबंध है अगर आप इसके पुराने इतिहास को देखें और उस वक्त से आज के वक्त का मुकाबिला करें तो आप देखेंगे कि हमने उनकी सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास निरन्तर किया है । क्या उनके ग्रेडस यहां पर रिवाइज नहीं किये गए? क्या पेंशन रुल्स इत्यादि में उनको सुविधायें नहीं दी गई और क्या मकान इत्यादि की फसिलिटीज उनको नहीं दी गई ? क्या सरकार को ओर से कोई इस प्रयास में कमी की गई ? नर्सेज को सर्विस को अट्रेक्टिव बनाने के लिये और अच्छे तरीके से अधिक से अधिक लड़कियां उसमें आयें, उसके लिये प्रयास करने में क्या सरकार को ओर से कोई कमी पाई गई ? लेकिन जैसा मैंने कहा यह हमारे समाज का दोष है और हमारा सबका यह कर्तव्य है चाहे हम इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हों, कि हम इस बात को कोशिश करें और समाज के लोगों को इस बात के लिये तैयार करें कि वह नर्सेज के पेशे को उस निगाह से देखें कि जिस निगाह से दूसरे पेशों को दखत ह।

मान्यवर, यह सही बात है कि शहरों में अस्पतालों का लोकेशन ज्यादातर है, लेकिन लोग ज्यादातर शहरों में रहना चाहते हैं, देहात नहीं जाना चाहते, यह ऐसे बहुत से मसले हैं कि जिनकी वजह से देहातों में अस्पताल ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं ।

मान्यवर, एक बात कही गई और मैं मानता हूं कि अगर इस टी० बी० के आकड़ों को देखें तो जहां तक इस प्रदेश का संबंध है टी० बी० में कुछ ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन थोड़ी बहुत यहां पर बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन जहां तक सरकार के साधनों का संबंध है १०, ११ केकरीब अस्पताल जो सरकार द्वारा चलाये जाते हैं वह इस प्रकार के हैं जो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के पैटर्न पर हैं । यहां पर बहुत बड़ी तादाद में प्रत्येक अस्पताल में चाहें बैड्स न हो लेकिन क्लिनिक टी० बी० वगैरा के जो इस प्रदेश में खोले गये हैं वह सब अस्पताल आज जनता को सेवा कर रहे हैं । इतना ही नहीं सरकार पूरी तरह से इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि जिस प्रकार मलेरिया, स्माल पाक्स और कुष्ठ आदि रोग है उनको नेशनल प्वाइन्ट आफ व्यू से दूर करने के लिये प्रयत्न किया जाय और उनको समाप्त करने के लिये प्रयत्न किय जा रहा है। जहां तक टी० बी० का संबंध है उसको भी सरकार पूरी तरह से समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील है। एक बात यह कही गई कि यहां पर अस्पतालों में बैड्स की कमी है। मान्यवर, यदि पिछले २, ३ साल के बजट को देखा जाय तो यह पता चलेगा कि प्रदेश की जन संख्या के लिहाज से जब हमने अपनी पहली प्लान को आरम्भ किया था उस वक्त जहां तक बजट का संबंध है मेडिकल के लिये प्रत्येक व्यक्ति पर हमारा ५१ नये पैसे खर्च होता था । अब वह बढ़कर १.६१ रुपये प्रत्येक व्यक्ति पर हो गया है। अब जहां तक बैड्स का संबंध है और इस प्रदेश की जनसंख्या का संबंध है उसको देखते हुए यह मैं मानता हूं कि बैड्स को

[श्री धर्मसिंह]

कमी है। १९५१ में अस्पतालों में बैड्स की संख्या १२,५९३ थी। वह अब आज १९६३-६४ को छोड़कर २१,५५१ बैड्स हो गई है। इसी प्रकार से जहां तक यहां की इक्विपमेन्ट, मेडिसिन और डाइट का संबंध है उनके भी यदि हम पिछले तीन सालों के आंकड़े को देखे तो यह मालूम होगा कि उसमें काफी उन्नति हुई है। यदि हम १९६१, ६२ और १९६३ तीन साल का मुकाबला करें तो इक्विपमेन्ट के लिये १९६१-६२ में ४३,९४,००० रुपया, १९६२-६३ में ५४ लाख पया और १९६३-६४ में ६१ लाख ४८ हजार रुपया व्यय किया जायगा। इसी प्रकार से मेडिसिन के लिये भी यदि आंकड़ों को देखा जाय तो मालूम होगा कि उसके लिये भी बढ़ोत्तरी की जा रही है। यह बात सही है कि अस्पतालों में मेडिसिन की कमी है और पूरे तरीके से लोगों को दवाई नहीं मिल पाती लेकिन जैसा मैंने कहा १९६१-६२ के, १९६२-६३ के और १९६३-६४ के आंकड़ों को देखा जाय तो पता चलेगा कि १९६१-६२ में मेडिसिन के लिये ७० लाख ३ हजार रुपये, १९६२-६३ के लिये ९१ लाख ३ हजार रुपये और १९६३-६४ के लिये ९१ लाख ३८ हजार रुपये खर्च करने की बात है। इसी तरह से डाइट के लिये देखा जाय तो डाइट के लिये १९६१, ६२ में २७,८९,४०० रुपया खर्च किया गया। १९६२-६३ में २८,३२,९०० पये व्यय किये गये और १९६३-६४ में ३३,५५,१०० रुपये खर्च किये जायंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस समस्या को हल करने का प्रयत्न बराबर किया जा रहा है। यह हम मानते हैं कि पैसे की कमी है और इसमें दो रायें नहीं हैं कि जितना पैसा होना चाहिये था उतना नहीं है, लेकिन पिछले २, ३ साल के आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि इसमें दिनबदिन बढ़ोत्तरी की गई है। इसके साथ ही एक बात उधर के बैठने वाले भाइयों ने यह कही कि शहर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है और देहातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर मेडिकल डिपार्टमेन्ट और हैल्थ डिपार्टमेन्ट के पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाय तो मान्यवर, जहां तक देहातों का संबंध है यह पी० एम० एस० २ की डिस्पेन्सरीज कहां पर खोली गई हैं? पहली और दूसरी योजना के अन्तर्गत देहातों के अन्दर १९६२ के अन्त तक ५३६ प्राइमरी हैल्थ यूनिट्स स्थापित कर दिये गये हैं और १९६३-६४ के अन्त तक करीब ६५० डिस्पैन्सरीज देहातों के अन्दर खुल जायंगी। क्या यह काम देहातों के अन्दर नहीं हुआ है? इसी तरह से पी० एम० एस० २ की जो डिस्पैन्सरीज देहातों में खोली गई हैं, उनमें क्या चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर नहीं है? क्या उनमें कम्युनिटी प्रोजेक्ट सेन्टर नहीं है? और इसके साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक कालेजेज हैं और यूनानी कालेजेज हैं या अस्पताल हैं, तो क्या यह सब देहातों में नहीं हैं? लिहाजा यह कहना कि जो कुछ भी किया जाता है, वह देहातों में बिल्कुल नहीं किया जाता है, यह नितान्त असत्य है। जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है, यह कहना कि देहातों की उपेक्षा की जाती है, यह गलत है। यह तो मैंने आपके सामने थोड़े में स्थिति प्रस्तुत की है। परन्तु जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है, बहुत बड़ी तादाद में हमने देहातों में इन सब का इन्तजाम किया है। जहां तक हो सकता था, वह किया गया है।जोकि एक गवर्नमेंट आफ इंडिया का पैटर्न है, वह एक आल इंडिया पैटर्न के आधार पर, उसी पद्धति पर देहातों में अस्पताल खोले जा रहे हैं। उसमें दिन प्रति दिन बढ़ोत्तरी हो रही है और हुई है। यह कहना कि इस बड़े बजट में सिर्फ शहरों के लिये ही ऐलोकेशन या एलाटमेंट किया जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। एक बात यहां पर और कही गई, उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों की तरफ से जो डाक्टर एलोपैथी के या आयुर्वेदिक के हैं वह सब तरह का इलाज करते हैं। तो उस संबंध में यह मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इस तरह के कोई नियम क्या सरकार की तरफ से है? मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की हिदायतें सरकार की तरफ से नहीं हैं। परन्तु यह तो अपनी-अपनी पद्धति का कसूर है। यह उन विद्यार्थियों का कसूर है जो कि आयुर्वेदाचार्य का भी कोर्स पढ़ते हैं और दूसरी पद्धतियों को भी पढ़ते हैं। इस सम्बन्ध में न तो सरकार के आदेश हैं और न सरकार ही जिम्मेदार है और न सरकर का ही कुसूर है। यह तो उस डाक्टर पद्धति का ही कुसूर है जो कि एक के पढ़ने के बाद दूसरी को पढ़ते हैं और दूसरी पद्धति को अपनाते हैं।

जहां तक इमरजेंसी का सम्बन्ध है मैं आपको बता दूं कि हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन विचाराधीन हैं और शीघ्र ही उस पर निर्णय होगा। मैं यह उम्मीद करता हूं कि जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है और जैसा कि हमारा प्लान है, उसके आधार पर जो हमारे प्रदेश में टेक्निकल लोगों की कमी है वह शीघ्र ही दूर हो जायगी और काफी अस्पताल खुल जायेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ, जो स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं। परन्तु आजकल देहातों में गरीब किसानों पर क्या बीत रही है, दवाओं के विषय में और अस्पतालों के विषय में, उसको अवश्य आप लोगों के समक्ष प्रकट करना चाहता हूं। आप देखिये कि इस समय जो जिलों में अस्पताल हैं और वहां पर जो किसान लोग दाखिल होने के लिये जाते हैं, वह भी बड़ी सिफारिश करने पर और दौड़ धूप करने के बाद ही जा पाते हैं। अगर कहीं दाखिले का सवाल आता है तो वहां पर कम्पाउण्डर लोग पहले रिश्वत मांगते हैं। जो रिश्वत नहीं दे पाता है उसकी दवा नहीं होती है और बड़ी परेशानी होती है। मैं यह नम्रतापूर्वक आप के समक्ष बता देना चाहता हूं और मेरा यह स्पष्ट कथन है कि जिस प्रकार से और विभागों में भ्रष्टाचार घुस गया है, उससे कहीं अधिक भ्रष्टाचार इस विभाग में पैदा हो गया है। यह बड़े ही दुख का विषय है कि जो गरीब जनता अपनी बीमारी और परेशानी को लेकर उन जिला अस्पतालों में जाती है उसकी वहां पुकार नहीं सुनी जाती है। मैं आपको जिला अस्पतालों का हाल अधिक क्या बताऊं। मेरे यहां ही एक हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो कि बड़े ही उत्साही और नौजवान थे। वह हरिजन थे। उनको टी० बी० का मर्ज हो गया था। मैं उनको लेकर माननीय राजनारायण जी से मिला तो उन्होंने कहा कि माननीय हुकुमसिंह जी से फोन पर बात कर लेता हूं। यह कहा गया कि आप जाइये, और वहां पर दाखिला हो जायगा। वहां पर जब गये तो वहां यह कहा गया कि चाहे राज नारायण जी हों, और चाहे वह नेहरू जी और गांधी जी ही क्यों न हों, और चाहे वह ही क्यों न चले आवें, परन्तु बिना रिश्वत दिये हुये आपके हरिजन साथी का दाखिला नहीं हो सकता है। हमको बड़ा दुख हुआ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

यह किस अस्पताल की बात है ?

कुंवर तेजभानसिंह--

श्रीमन्, यह लखनऊ के टी० बी० अस्पताल का जिक्र है। क्षमा कीजियेगा मुझे किसी व्यक्ति विशेष के सिलसिले में कहना पड़ा है। वहां पर की बात अब मैं फिर आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर यह कहा गया कि जब तक २०० या २५० रुपये की रिश्वत नहीं दी जाती है तबतक कोई जगह का इन्तजाम नहीं हो सकता है और न कोई बेड मिल सकता है। अन्त में यह हुआ कि बेचारा कुछ दे नहीं सका। हमने आवाज उठा दी कि मैं हुकुमसिंह जी के पास जाकर शिकायत करूंगा, तब कई डाक्टर आये और बड़े डाक्टर के पास लिवा ले गये। उन्होंने कहा कि घबराइये नहीं, परसों दाखिल कर लिया जायगा। हमें जरूरत पड़ी देहात लौटने की, मैं लौट गया। वह मरीज यहां पर पड़ा रहा लखनऊ में, बहुत परेशान हुआ, अन्त में निराश होकर लौट गया और ६-७ महीने बाद वह मर गया। यह तो केन्द्र की हालत है। कहा जाता है कि 'चिराग के नीचे अन्धेरा' तो वहां तो अन्धेरा होना चाहिये, यह तो स्वाभाविक है, मगर जहां पर न्यायालय है हुकूमत का वहां पर नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जिलों में लोग अगर जालिम के हाथ से मारे पीटे गये और अस्पताल में जाकर चाहते हैं कि सनद मिल जाय तो उनको बड़ी परेशानी होती है। जो

[कुंवर तेजभानसिंह]

देहात के लोगों पर बीतती है वह मैं कह रहा हूं। महात्मा गांधी का कहना था कि देहातों में जहां कोई हुकूमत का केन्द्र नहीं, उनको जगाने की जरूरत है, वहां पर सरकारी अधिकारियों को पहुंचाना चाहिये। मगर आज क्या हो रहा है? जो बड़े-बड़े सेंटर हैं वहीं पर अस्पताल खुल रहे हैं, जहां पर किसी की पहुंच नहीं है, डाक्टर भी वहाँ नहीं है। जहां डाक्टर नहीं हैं वहां जब अस्पताल भी नहीं खुलता तो इसकी ओर सदन को जरूर ध्यान देना चाहिये। कस्बों में तो डाक्टर लोग आकर आबाद हो जाते हैं, मगर देहातों में किसी की पहुंच नहीं होती।

यह भी आपके यहां का नियम है कि जहां पर ब्लाक का केन्द्र है वहां पर औषधालय खुलता है, लेकिन ब्लाक का केन्द्र बड़े-बड़े सेंटरों में होता है। लेकिन जहां किसी अफसर की पहुंच नहीं, मोटर और बड़ी-बड़ी सवारियों की सुविधायें नहीं हैं वहां पर कोई विद्यालय नहीं होता, न औषधालय होता है और जनता को बड़ी परेशानियां हैं। प्रतापगढ़ में मौजा अठेहा है, वहां एक अस्पताल था, वहां ४ महीने से डाक्टर लापता, सिर्फ कम्पाउडर था, थोड़ी बहुत दवा देता था लेकिन जनता लौट जाती थी। १५–२० रोज बाद में जब मैं गया तो मालूम हुआ कि कोई डाक्टर ही नहीं है। ऐसे ही धारुपुर में अस्पताल है, कोई डाक्टर ४–५ महीने तक नहीं। कैसे उद्धार हो सकता है? गरीबों की औषधियों का क्या प्रबन्ध हो रहा है?

मान्यवर, आपका एक विभाग चला मलेरिया उन्मूलन का। एक हमारे गांव घुसननाथ के पास पच्चीसों बोरियां रखी थीं दवाइयों की, वह भीग गयीं, कोई जोर नहीं रह गया, लेकिन वही दवा गांव में छिड़की गई। न कोई माछी मरी, न मच्छर मरा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो हर विभाग में जो शिकायत है वह यह है कि सरकारी कर्मचारी और अफसर सच्चे जन-सेवक नहीं हैं, यह बहुत बड़ी कमी है। वह आज भी जनता को मक्खी और मच्छर समझ रहे हैं, कोई स्थान उनके अन्दर जनता के लिये नहीं है और सच्चे दिल से वह सेवा नहीं कर सकते। अस्पतालों की दवाइयां बेच डाली जाती हैं और पानी मिला-मिला कर गरीबों को दिया जाता है। जो लोग चलते पुरजे होते हैं उनको ही दवा आदि मिल जाती है, गरीब की कोई बात नहीं सुनी जाती। इसके साथ ही जो दाई हैं.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ, कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, जो बजट इस समय माननीय सदन के सामने प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि बजट को देखने से यह ज्ञात होती है कि यह बजट आज की संकटकालीन स्थिति के अनुसार ही है और बहुत ही उचित है। इसमें इस बात का प्रयास किया गया है कि धनाभाव के होते हुये भी जहाँ तक हो सके चिकित्सा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में उतनी प्रगति की जाय। हम यह जानते हैं कि सरकार अस्पतालों को सुधारने के लिये तथा अन्य प्रकार से जनता की सेवा करने के लिये कटिबद्ध है, परन्तु उसमें थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ भी हैं। एक तो जो समाज की रचना है उसके आधार पर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वे डाक्टरों को अपनी तरफ जल्दी आकर्षित कर लेते हैं, और बे पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं कर पाते। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बहुत से डाक्टर ऐसे भी होते हैं जो जनता की सच्ची सेवा करते हैं बावजूद इसके कि वे गरीब हैं। किसी को बुरा कह देने से उसमें सुधार नहीं हो सकता, बल्कि उसमें सुधार लाने के लिये कौन कौन से कदम इस्तेमाल किये जायं, इस बात पर हमको विचार करना है। मैं बस्ती के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर टी० बी० अस्पताल है। वहां पर कई लाख रुपया पब्लिक की सहायता से खर्च किया गया है। उसकी प्रगति होना आवश्यक है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसका प्रान्तीयकरण किया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब किसी अस्पताल के लिये भवन बनाने के लिये भूमि की आवश्यकता पड़ती है तो उसको मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा १७, १८ और १९ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके द्वारा भूमि को लिया जा सकता है। आप जिस तरह से अन्य सरकारी कामों के लिये भूमि को लेते हैं, उसी तरह अस्पतालों के लिये भी सरकार को भूमि प्राप्त करना चाहिये और उसके लिये मुआवजा वगैरह भूमि प्राप्त करने के बाद होना चाहिये क्योंकि ऐसा होता है कि अस्पताल के लिये रुपया तो मौजूद है, मगर भूमि नहीं है और उसमें कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि लैंड एक्वीजीशन की वे धारायें, जिनका प्रयोग करके सरकार तत्काल भूमि को ले सके, उनके जरिये से अस्पतालों की भूमि ले और जल्दी से जल्दी उनको बनवाने का प्रयत्न करे। बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने काफी रुपया लगा दिया है तथा जिनमें मरीजों की संख्या भी अधिक है। उनके प्रान्तीयकरण के लिये जिला परिषदों की ओर से प्रस्ताव भी आ चुका है तथा जिला परिषद् उनका प्रान्तीयकरण करने के बाद जो व्यय आज करती है वह करने का आश्वासन भी उसने दिया है। अतः सरकार वहां की पिछड़ी हुई हालत को देखते हुये उस अस्पताल का प्रान्तीयकरण करे। बांसी और हरैया अस्पतालों का प्रान्तीयकरण करे। अन्त में मैं फिर इस बजट की प्रशंसा करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि डाक्टरों का आउटलुक चेंज करने का प्रयत्न किया जाय जिससे वे जनता की ज्यादा सेवा कर सकें।

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिये मैं आप का आभारी हूं। मेडीकल और जनस्वास्थ्य के बारे में जो मांग पेश की गयी है उसपर सब माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। मैं कुछ आंखों देखी बात बताना चाहता हूं। बलरामपुर अस्पताल में सूबे भर के मरीज आते हैं लेकिन लोगों को चारपाई नहीं मिल पाती हैं इस लिये उसमें चारपाई की तादाद और बढ़ाई जाय। इसमें टी० बी० का भी एक विभाग अलग से खोला जाय।

मेडीकल कालेज में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहां के सुपरिंटेंडेंट को पूरी पावर्स दी जाय। डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगायी जाय। ऐसा करने से वहां का भ्रष्टाचार मिट जायगा। दूसरी बात यह है कि आयुर्वेदिक को सौतेली मां की दृष्टि से देखा जाता है। उसको आप पूरे तौर से अपने हाथ में लें ताकि उसकी हालत को सुधारा जा सके। जो अवैध दवाइयां बिक रही हैं उन पर रोक लगायी जाय और उनके बेंचने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाय। हमारे यहां जो बच्चा जनाने वाली दाइयां हैं वे वहां चमारिन हैं वे बहुत ही ज्यादा गन्दे कपड़े पहनती हैं और हंसिया से नार काटती हैं। एक ही कपड़े से १००-१०० बच्चे जनाती है। इसका नतीजा यह होता है बहुत से बच्चों को टिटनस का रोग हो जाता है और बच्चे मर जाते हैं। जब तक वह कपड़ा सड़ नहीं जाता है तब तक बदला नहीं जाता है। वह इतना गन्दा हो जाता है कि एक छप्पर पर किसी चमारिन ने उसको डाल रखा कि सूर्य की किरणों से उसमें आग लग गयी और छप्पर जल गया। इसके अलावा वे बच्चा जनाने का भी काम करती है और उन्हीं से मैला फिकवाया भी जाता है। इस प्रकार उनकी एक डाक्टर की हैसियत होती है, उसको इस प्रकार से बदनाम नहीं करना चाहिये। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। तो मेरी खास राय यह है कि सरकार इधर विशेष ध्यान दे कि १००-१०० गांव पीछे जो जच्चा बच्चा केन्द्र खुला हुआ है उसमें एक मिडवाइफ रहती है जो डेलिवरी के समय भी किसी के यहां जाना बुरा समझती है। सामान्यतः वे ब्राह्मण, क्षत्रीय, कायस्थ के घर की होती हैं और वे किसी चमार, डोम या मेहतर के यहां जाना बहुत बड़ा गुनाह समझती है। इसलिये सरकार को इस तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिये।

श्री श्यामलाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज चिकित्सा व जन स्वास्थ्य विभाग के अनुदानों पर वाद-विवाद में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जो कटौती का प्रस्ताव हमने पेश किया है, उसके समर्थन में और माननीय सदस्यों के तर्कों का हवाला देते हुये मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। पहले तो हमारे बोलने के पश्चात ही हमारी बहन सुशीला रोहतगी जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि कटु सत्य हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत नाट्यम में जिस तरह से कोई कलाकार अपना पार्ट अदा करता है उसी तरह का पार्ट मिस्टर श्यामलाल ने अदा किया। मैं अपनी बहन को यह बतला दूं कि अगर आलोचना सही की जाय, चाहे वह भारत नाट्यम के अन्तर्गत कोई कलाकार करे, चाहे विश्व विख्यात नृत्य कलाकार उदय शंकर जैसे व्यक्ति ही उसकी आलोचना करें, लेकिन यदि वह सत्य आलोचना करे तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा और उन आलोचनाओं के निराकरण के लिये भी आप प्रयास करें।

दूसरी बात हमारी बहन ने यह बतलायी कि अब तो डाक्टरों की संख्या बढ़ गई है और देहातों में भी अब इलाज घरों पर भी होने लगा है। घरों पर जैसा इलाज होने लगा है उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। श्रीमन्, विधायकों के लिये घर पर भी फ्री दवा व मेडिकल सर्विस की व्यवस्था रूल के अनुसार की गई है, लेकिन एक विधायक का उदाहरण ही मैं आपके सम्मुख रखता हूं। उनकी धर्मपत्नी गर्भवती थीं, उन्होंने लेडी डाक्टर को इस बात की सूचना दी लेकिन वह उसको देखने नहीं आयीं और सूचना देने के ३, ४ दिन बाद, डेलिवरी के दिन भी वह लेडी डाक्टर नहीं आयीं और इसकी वजह से कितनी परेशानी उन विधायक को उठानी पड़ी इसको वे ही महसूस करते होंगे या खुदा ही महसूस करता होगा। वे माननीय विधायक मुरादाबाद के हैं।

हमारी बहन ने बतलाया कि अब डाक्टर देहातों में भी जाने लगे हैं। मैंने आंकड़े मांगे कि सरकार बतलाये कि पारसाल जब कि उसने वादा किया था कि देहातों में डाक्टरों की कमी दूर की जायगी, मैं जानना चाहता हूं कि उस समय अस्पतालों में डाक्टरों की कितनी कमी थी और इस साल इस दरमियान कितनी पूर्ति हुई है? जहां तक मेरी जानकारी है—वस्तु स्थिति ज्यों की त्यों है। देहातों में जो डाक्टर नहीं जाते उसकी भी वजूहात हैं जिनको मैं आपके सामने रखता हूं और उस सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं। डाक्टर देहातों में तब जायेंगे यदि आप मेडिकल कालेजों में ऐडमिशन के समय ही बांड लिखा लें कि जब हम भेजेंगे तो उनको जाना ही पड़ेगा। देहातों में डाक्टरों के न जाने का मुख्य कारण यह है कि आज उनका नैतिक पतन बहुत हो गया है। शहरों में रहते हुये वे नाजायज तौर पर जितने पैसे पैदा करते हैं, उतने पैसे देहातों में जाने पर वे पैदा नहीं कर सकते क्योंकि वहां धनी मानी लोग तो होते नहीं हैं, वहां तो गरीब किसान, मजदूर रहते हैं और इसलिये भी वे वहां नहीं जाना चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि आज उनका कितना नैतिक पतन हो गया है। किस तरह से नाजायज पैसा वह पैदा करते हैं यह भी मैं आप के द्वारा बतलाऊंगा और यह एक कटुसत्य है कि जहां तक हमारा अध्ययन है कि बहुत ही उच्च कोटि के लोग रिश्वत लेकर इन डाक्टरों से जहरीले इंजेक्शन लगवा देते हैं और मर्डर इस तरह से करा देते हैं, एक जान लेने में उनको हजारों रुपया मिल जाता है और इसी कारण वह यहां शहर से देहात में जाना पसन्द नहीं करते।

मैंने कटौती का प्रस्ताव रखते वक्त बात की थी कि बी० एम० बी० एस० की डिग्री समाप्त करके आयुर्वेदाचार्य की डिग्री को, जो मान्यता ी है, उसको एम० बी० बी० एस० की डिग्री के समान माना जाय क्योंकि दोनों के कोर्स और हर चीज एक ही है इसलिये दोनों में यह भेद न होना चाहिये। करीब-करीब इधर के और उधर के सभी बैठने वालों ने इस चीज का समर्थन किया है। हमारे एक साथी सदस्य श्री राम प्यारे जी ने यह बताया कि देहातों

में डाक्टर नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, वहां दवा ठीक से नहीं होती, ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि वह मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें। जितनी ग्रांट इन मदों में दी गई हैं मैं उस का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिये और ग्रांट दी जाय लेकिन जितनी दी जाती है उसका सदुपयोग नहीं होता तो आगे क्यों दी जाय यह प्रश्न है। वैसे तो मैं समर्थन करता हूं कि इस आइटम में और पैसा आपको दिया जाय क्योंकि मैंने आरम्भ में ही कटौती का प्रस्ताव रखते हुये बताया था कि जो देश स्वस्थ वह देश उन्नतिशील और जो देश अस्वस्थ उस देश का अवःपतन होगा, अवनति होगी। जितना पैसा खर्च हो उसका सदुपयोग होना चाहिये।

कुछ सदस्यों ने ऐसा भी सुझाव दिया कि कोढ़ियों और टी० बी० के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण कभी सरकार ने खोजा कि यह बीमारियां क्यों होती हैं? आपने कोई रिसर्च कराई? क्या कोई अन्वेषण इसपर कभी किया गया? आज हमारा यह दावा है और हमारा यह अनुभव है कि जो आदमी शुद्ध भोजन जिन्दगी भर करेगा वह टी० बी० का शिकार नहीं हो सकता। जो शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध भोजन का इस्तेमाल करेगा उसको कभी भी कोढ़ की बीमारी नहीं हो सकती। कोढ़ की बीमारी का एक कारण यह है कि हमारे मन्त्री जो तो एक अलूमिनियम फैक्टरी खोलने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये श्रीमन्, आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि एलूमिनियम के बरतनों में वह गुण हैं, वह एलीमेंट्स हैं जो कोढ़ के फैलने में मदद देते हैं। आप इसका अन्वेषण कराइये।

अब थोड़ा सा मैं आपका ध्यान पूर्वी जिलों की तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां पर गाजीपुर एक जिला है और वहीं एक सैदपुर कस्बा है वहां पर आज ३ साल से डाक्टर नहीं है। तो आप किस आधार पर ग्रांट लेना चाहते हैं। एक-एक अस्पताल में तीन-तीन साल तक डाक्टर्स नहीं हैं उसकी जगह पर वह कम्पाउन्डर्स काम करते हैं जो ट्रेंड नहीं हैं, जिसके पास डिग्री नहीं है, उससे आप डाक्टर का काम लेते हैं। तो नीम हकीम खतरे जान "A Little knowledge is always dangerous" तो सैदपुर में जो इंडोर पेशेंट्स हैं उनकी डाइट की भी व्यवस्था नहीं है। जब मैं डायट शब्द का प्रयोग करता हूं तो इसलिये उस पर इफैसिस देता हूं क्योंकि मेरा खुद का कटु अनुभव है। मैं कानपुर सिविल अस्पताल में रहा, गोरखपुर अस्पताल में रहा और बस्ती अस्पताल में भी रहा। वहां सब जगह जो डायट की व्यवस्था है, इतना डर्टी फूड उनको मिलता है कि जो पेशेंट है वह उस खाने को खाकर और बीमार हो जायगा। इसलिये मैं कहता हूं कि डायट की जो व्यवस्था अस्पतालों में है उसको सुधारिये।

श्रीमन्, अभी जो मैंने कहा था कि अस्पतालों में मर्डर होते हैं रिफाइण्ड वे मे, जिनको कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसका जीता जागता नमूना यह है कि एक लेडी अस्पताल में वहां सालभर में तीन चार पेशेंट्स मरे नहीं, मार डाले गये और 'it was due to the negligence of lady Doctor in-charge of the hospital.' उसकी लापरवाही के नाते तीन-चार डेथ्स हुई। श्रीमन्, यही लखनऊ में एक अस्पताल है जिसका नाम है चन्द्रनगर रिफ्यूजी कालोनी अस्पताल। वहां पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन आफ मेडिसिन की व्यवस्था है, लेकिन वहां के आस पास के जो ग्रामीण लोग हैं, उनके लिये भी होते हुये, उनको दवा वक्त पर नहीं दी जाती। उन कालोनीज में रहने वाले जो रिफ्यूजीज हैं, उनको तो दवा दी जाती है और हमारे पास ऐसी रिपोर्टस हैं कि उनमें भी जो घूस दें तो वह इंजेक्शन्स ले सकते हैं और उनको दवायें मिल सकती हैं। देहात जो आसपास के हैं उनमें गरीब किसान मजदूर रहते हैं। उनमें वह कैपिसिटी है नहीं कि वह घूस दें। घूस देने की कैपिसिटी शहरों में लोगों के पास होती है। मैं लखनऊ का एक उदाहरण देता हूं। मुझे इसी बलरामपुर अस्पताल की रिपोर्ट मिली है। एक महीने के अन्दर की बात है। वहां ई० एन० टी० विभाग है। जो उसके डाक्टर कन्सर्ण्ड हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता,

[श्री श्यामलाल]

लेकिन उनके पास एक बच्चा आया। डाक्टर ने कहा कि बच्चे का, उसकी माता का और पिता का खून टेस्ट होगा। खून दे दीजिये आप लोग। खून निकलवाकर वे लोग दे आये। दूसरे मंगलवार को गये पेशेंट और पैरेंट्स तो डाक्टर ने बताया कि वह खून लिया था वह ठीक नहीं था, तुम लोग फिर अपना-अपना खून दो। उस मरीज के माता-पिता ने कहा कि हम मर जायेंगे, लेकिन इस तरह से बार-बार खून नहीं देंगे। यह क्यों हुआ? इसलिये कि उन्होंने रिश्वत नहीं दी थी। मन्त्री जी यह आपके सर पर बात है और एक महीने के अन्दर की बात है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इसकी जांच करवाइये।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

आप फैक्ट्स तो बताते नहीं नाम बताते नहीं, कैसे जांच हो?

श्री श्यामलाल—

डाक्टर पांडेय उनका नाम है। बलरामपुर अस्पताल के ई० एन० टी० डिपार्टमेंट में हैं। और किस्सा एक महीने के अन्दर का है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

तकलीफ करके मरीज का नाम भी बतला दीजिये।

श्री श्यामलाल—

इतना काफी है। एक महीने के अन्दर की बात है। हमारी बातों पर मन्त्री जी विश्वास करें, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं।

जो फ्लडेड एरियाज हैं वहां पर डिस्पेंसरीज की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं बताना चाहता हूं जिस क्षेत्र से मैं आता हूं महुली वेस्ट, वहां हर साल बाढ़ आती है और वहां पर घेंघे और फीलपांव का मर्ज काफी है।.....

श्री अध्यक्षता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

अध्यक्षता महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बहुत से सुझाव दिये और ऐसी बातें बतायीं जिनसे आइन्दा फायदा उठाया जा सकता है। विशेषतौर से मैं कटौती के प्रस्तावक का आभारी हूं कि उन्होंने अपने व्याख्यान के बाद मांग में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव कर दिया। यह सुनकर ताज्जुब हुआ जो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिये जो मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार आदमी को नहीं देने चाहिये थे। उन्होंने मर्डर के चार्जेज लगाये और आखिर में जो चार्ज उन्होंने बताया जिसकी इंक्वायरी का उन्होंने मांग की तो उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की कि वह मरीज का नाम बतला देते ताकि उस मरीज से पूछताछ किया जा सकता। बावजूद इन बातों के मैं उनका आभारी हूं कि बहुत से उन्होंने ऐसे सुझाव दिये जो डाक्टरों के सामने पेश कर दिये जायेंगे, मसलन अलमुनियम की बात कही कि इससे रोग बढ़ता है, इसकी जांच करवा ली जायगी। इसपर अगर उन को भी कुछ अनुभव है तो मैं उनको दावत दूंगा कि वह आकर बतायें, क्योंकि यह दोनों विभाग ऐसे हैं जिनमें राजनीति नहीं है। जब कोई बीमारी आती है तो यह फर्क नहीं करती कि यह जनसंघी है, समाजवादी है या कांग्रेसी है। इसलिये किस के यहां जाय और किस के न जाय। वह तो ईश्वर की तरफ से आती है और हमको जो कुछ इलाज करना है वह सभी के लिये करना है। जो व्यवस्था हमें करनी है उसमें सभी सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है। बहुत से माननीय सदस्य हैं जो आज नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आये हैं पर कटौती के प्रस्ताव दिये हैं, वह भी सुझाव देते। तो मैं कहूंगा कि वह अपने सुझाव जो कुछ भी उनको उचित लगे हर समय भेज सकते हैं। कोई बजट स्पीच की बात नहीं है क्योंकि यह बात माननी पड़ेगी कि मन्त्री यहां से बैठकर या मुख्य मंत्री जिन्होंने प्रदेश का बहुत दौरा किया है वह लोकल कन्डीशन्स को नहीं समझ सकते और उनमें जो तकलीफ होती हैं उनको यहां से बैठे-बैठे नहीं समझ सकते। जो सुझाव हैं वे वहां से आने चाहिये और अगर सुझाव ऐसे होते हैं जो गौर तलब हों तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उनको पूरा करने की कोशिश करें। कई माननीय सदस्यों ने बताया कि अस्पताल हैं अन्तरिम जिला परिषद् के उनका प्राविन्शियलाइजेशन आवश्यक है। इसके लिये हमने एक रकम रखी है, ज्यादा रकम तो नहीं रख सके, और जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि जैसा हमारे उपमन्त्री ने बतलाया इस बजट में हमने १,६३,२३,००० रुपये नेशनल इमर्जेंसी के लिये रखे हैं। अगर आवश्यकता नहीं पड़ती है तो जितने हमारे प्लान्स हैं उनमें वह रुपया खर्च हो सकता है। लेकिन नेशनल इमर्जेंसी के लिये काफी रुपया रखना आवश्यक था और यह बड़ी ही गलत बात होती अगर उसका इसमें हम कोई हिसाब न रखते। जो-जो कमी है इसमें वह नेशनल इमर्जेन्सी वाली है और ईश्वर न करे उसकी जरूरत पड़े तो यह रुपया जो सुझाव दिये गये हैं उनमें हम उसको खर्च कर सकेंगे।

दो तीन बातें ऐसी हैं जिन पर गौर करना आवश्यक है। एक तो डाक्टरों की कमी की बात है और दूसरे देहातों में व्यवस्था करने की बात है। जहां तक देहात की बात है जो हम ढांचा बना रहे हैं उसमें कोशिश इस बात की है कि हम डिसेंट्रलाइज करें। हर जगह हम ब्लाक्स बनाते हैं और उसमें हेल्थ सेंटर्स कायम करते हैं। अब जो हेल्थ सेंटर्स कायम करते हैं वह खासी देहाती आबादी के लिये ही है। यह कहना कि बड़े-बड़े अस्पताल हम शहरों के बन्द कर दें इससे काम चलने वाला नहीं है। हमने तमाम डिस्पेंसरीज कायम कीं और उधर हमने कदम उठाया। अगर डाक्टर नहीं मिलते तो उन डिस्पेंसरीज को हम चला नहीं पा रहे हैं। तो यह सवाल एक दूसरे से सम्बन्धित है डाक्टरों की कमी और डिस्पेंसरी का। देहाती डिस्पेंसरी के लिये कोई साहब मेरे पास आते हैं कि इस क्षेत्र में एक डिसपेंसरी होनी चाहिये। म कहता हूं कि डिसपेंसरी खोली जा सकती है लेकिन डाक्टर कहां से लाऊं। जितनी डिस्पेंसरीज खोली हैं उन्हीं के लिये डाक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। जब डाक्टर मिल नहीं रहे और ज्यादा डिसपेंसरीज खोली जायं तो शिकायत फिर आ जाती है। तो जितना इन्तजाम किया जा रहा है हेल्थ सेंटर्स का वह तो असल में देहाती पापुलेशन के लिये है और जब हमारी यह स्कीम पूरी हो जाती है तो वे सब डिसपेंसरीज चलने लगेंगी और जब चलने लगेंगी तो देहात के जो हमारे भाई हैं उनको काफी सुविधायें हो जायेंगी। लेकिन उन डिसपेंसरी के बाद भी इस बात की आवश्यकता रहती है कि जो नया विज्ञान है उसके लिये रिसर्च सेंटर्स देहात में कायम नहीं किये जा सकते। उनके लिये कालेजेज कायम करने होंगे और वहां रिसर्च करानी होगी और नये-नये तरीके इलाज के जारी कराने होंगे। जब उनकी जांच होगी तो वे अस्पताल हमारे वहीं रहेंगे। हमने देखा कि लोग आते हैं और कहते हैं कि गोंडा में हमने इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ और डाक्टर ने कहा है कि लखनऊ चले जाओ। तो ऐसे जो कालेजेज हैं उन्हें कायम रखने होंगे। जो पया उनमें खर्चा किया जाता है आप देखें एक हिसाब से कि वह देहाती जनता के फायदे के लिये भी है। जो जानकारी हम हासिल करते हैं उससे लाभ फिर सारी जनता उठाती है। एक नया तरीका इलाज का निकला तो वह सिर्फ शहर की आबादी के लिये महदूद रहेगा और शहर के ही लोगों के लिये इस्तेमाल होगा और देहात के लोग अगर आते ह तो उनके लिये इस्तेमाल उसका नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। इस तरह से जितना खर्चा हम कर रहे हैं उसको आप देखें एक काम्प्रेहेंसिव चीज लेकर तो वह सबके लिये खर्चा हो रहा है। वह किसी खास क्षेत्र के लिये नहीं हो रहा है और यह कहना कि देहात के क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यह गलत है।

दूसरे हमारे हजारों देहाती भाई ऐसी बीमारियों में मुबतिला हो जाते हैं क्योंकि ज्यादातर मेलों में देहाती भाई ही जाते हैं और उनको जो बीमारियां हो जाती हैं उनसे बचाने

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

के लिये जो रोक थाम की जाती है उससे हमारे वे देहाती भाई बीमारियों के खतरे से बचते हैं। कुम्भ का मेला था। मैं हरिद्वार गया, मुख्तलिफ अस्पतालों को देखा, काफी इन्तजाम था, बेड्स खाली थे। मैंने डाक्टरों से कहा कि इसके लिये ईश्वर को धन्यवाद दीजिये कि ये बेड्स ऐसे ही खाली बने रहें और मेला सही सलामत गुजर जाय। तो इस तरह से जितना खर्चा इन बातों में होता है वह भी इनडायरेक्टली मदद करता है हमारे देहाती भाइयों के स्वास्थ्य की। तो जो कुछ भी कार्यवाही सरकार कर रही है और जो भी स्कीम्स हमारे इस बजट में है उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसा कोई फर्क नहीं किया गया है कि ये शहरियों के ही लिये हैं और देहातियों के लिये नहीं हैं।

दूसरे, जो डाक्टरों की कमी है उसके लिये जैसा कि उप मन्त्री जी ने बताया एक हाई पावर कमेटी है और उसके सामने वह तमाम बातें, जो माननीय सदस्यों ने कहीं हैं, हैं...

श्री रामायणराय—

वह कब तक कमेटी चलेगी?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

परसों शाम को हम लोग बैठे थे। उसमें जो निर्णय होंगे वह विशेषज्ञों के निर्णय होंगे और उसमें बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जिन पर हम लोग विचार कर सकते हैं मसलन् यह कि हम किसी इकरारनामे पर उनसे दस्तखत करा लें और देहात की सर्विस कम्पलसरी करें। यह विचार किया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को पढ़ाया जाय। स्टाइपेंड्स दिये जायं और उनसे इकरारनामा ले लिया जाय। पहाड़ी इलाकों के बहुत से विद्यार्थी आते हैं जो पास भी हो जाते हैं और ख्याल यह किया जाता है कि वे पहाड़ के हैं इसलिये पहाड़ चले जायेंगे, वहां नौकरी करेंगे मगर फिर वे नहीं जाते हैं। तो कुछ तो ऐसी बातें हैं जिन पर हम लोग अमली तरीके से विचार कर सकते हैं और कुछ बातें विशेषज्ञों की है। अब अगर हम दो वर्ष का कोर्स कर दें और डाक्टर जल्दी-जल्दी निकलने लगें तो दो वर्ष में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ नहीं पायेंगे। इसमें हमको उनकी राय लेनी पड़ेगी। आल इंडिया का डायरेक्शन है कि हम साढ़े ४ साल का कोर्स कर दें बजाय ५ वर्ष के और एक साल हाउस सर्जनी कम्पलसरी कर दें। तो ऐसी तमाम बातें उस कमेटी के सामने हैं।

श्री रामायणराय—

एक और स्पष्टीकरण कर दें आप। यह जो भिन्न भिन्न ग्रेड्स के डाक्टर हैं, पी० एम० एस० १ और पी० एम० एस० २ इनको समाप्त करके क्या सदन की जो मांग रही है, एक ग्रेड करने की वह बनाने आप जा रहे हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

यह प्रश्न भी विचाराधीन है और जैसा मैंने अर्ज किया यह हमारे और आपके, जो विशेषज्ञ नहीं हैं, उनके तय करने की बात नहीं है। यह तो वही लोग तय करेंगे और सदन की सारी मांगों पर वह कमेटी विचार कर रही है और जिन बातों में विशेष ज्ञान की आवश्यकता है उस पर वे लोग अपने हिसाब से सिफारिश करेंगे। इस तरह से अगर डाक्टरों की कमी पूरी हो जाती है तब जो हमारी डिस्पेंसरीज खुली हुई हैं उनमें डाक्टर पहुंच जायेंगे और वे काम करने लगेंगे। यह जरूर है कि दवाओं की कुछ कमी है अस्पतालों में और दवायें आजकल मंहगी आती हैं। हमारे पास इतना धन नहीं है। मगर इसके लिये भी, जैसा कि बताया गया, हमने बजट में बढ़ाया है और ९१,३८,९०० रुपये रखे हैं।

अब, यह जो शिकायत की गयी है कि डाक्टर करप्ट हैं, तो हमारे माननीय सदस्यों ने शिकायत तो की मगर यह सुझाव नहीं दिया कि गवर्नमेंट क्या करे कि एक डाक्टर को इमानदार बना दे। यह काम ऐसा है कि जब तक भगवान का डर नहीं आता है, जब तक वह भावना वैसा नहीं होती देश की सेवा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं और हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं और इनको करप्ट करने वाले वही लोग हैं जो करप्ट करते हैं..

श्री झारखंडेराय—

भगवान के मानने वाले ही खूब ब्लेक कर रहे हैं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

मैं कम्युनिस्टों का विश्वास नहीं करता। वे भगवान को नहीं मानते। जो भगवान को नहीं मानते उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं तो भगवान को मानने वाला हूं और मैं कहता हूं कि जब तक उनमें यह डर नहीं आता है यह भावना नहीं होती है तब तक सी० आई० डी० पर सारा बजट ही क्यों न खर्च कर दें और वह तहकीकात करती रहे तब भी काम चलने का नहीं है। इसके अलावा और कोई बात हो तो माननीय सदस्य बतायें। अगर करप्शन पकड़ा जाय तो फांसी दे दी जाय अगर इससे डर आजाय, ऐसा कोई सुझाव हो तो गवर्नमेंट उस पर गौर कर सकती है। फिर आई० पी० सी० में तरमीम की जाय और लोगों को शूट कर दिया जाय। ऐसा कोई सुझाव होता तो गवर्नमेंट उस पर विचार करती लेकिन ऐसा कोई सुझाव नहीं है।

श्री झारखंडेराय—

मान्यवर, एक सुझाव आया था कि जो लोग दवाइयों में ब्लैक कर रहे हैं या नकली दवाई बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, उनको कोड़ों और फांसी की सजा दी जाय। यह हमारी मांग है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जहां तक दवाइयों के शुद्ध होने का सम्बन्ध है उसके लिये हमारा ड्रग्स ऐक्ट बना हुआ है। उसके अधीन कई केसेज में मुकदमा चलाया गया और कन्विक्शन होने पर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। सब लोग सहयोग दें, यह न हो कि खाली यहां पर क्रिटिसिज्म करें बल्कि जब तक जनता सहयोग नहीं देगी तब तक काम चल नहीं सकता। सरकारी विभाग कायम किया जाय, वह जाकर तहकीकात करता रहे और मुकदमा चलाता रहे, इससे काम नहीं चल सकता है। इसमें तो जैसे कैबिनेट की ज्वाइंट रिसपान्सिबिलिटी होती है वैसे ही सारे हाउस की रिसपान्सिबिलिटी है और माननीय सदस्य जहां देखें कि एडल्टरेटेड दवाई बिकती है, या शक हो तो सहयोग करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे तो वह उसका उचित प्रबन्ध कर देगी। लेकिन इसके लिये एक ऐसी इमर्जेन्सी में अलग से विभाग कायम करें, यह उचित नहीं मालूम होता है।

अब जहां तक फूड एडल्टरेशन की बात है उसके लिये भी हमारा कानून है। कटौती के प्रस्तावक महोदय ने कहा कि लोगों को अच्छी दवा दी जाय, इसमें तो कोई रोक नहीं है। अच्छी दवा मिले इसके लिये कोशिश की जा रही है। फूड में एडल्ट्रेशन के लिये भी निवेदन करूंगा कि जब तक हम लोग मिल कर कोशिश न करें, काम नहीं चल सकता है। अगर इन्सपेक्टर मुकर्रर करें तो शिकायत होगी कि वे रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं तो और मुसीबत आ जायगी। अगर आप इन्सपेक्टर बनते हैं और आपको विश्वास हो कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा तो जैसा कि हमारा स्टाफ है उसके साथ सहयोग करें और केसेज पकड़ें तब सफलता हो सकती है। फिर जैसा कि माननीय झारखंडे राय जी ने कहा, कोड़े लगाने की बात ऐसी नहीं, जो की जा सके। अगर लगायें तो हमें कानून में तरमीम करनी पड़ेगी और जब तक कानून में तरमीम नहीं करेंगे तब तक विधान के अनुसार कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कि फौरन रिट हो सकती है हाई कोर्ट में तो वह तो हमको सोच विचार करना पड़ेगा। लेकिन अगरचे जितना भी इस वक्त हमारे पास कानून है उस कानून के हिसाब से भी अगर सब लोग सहयोग करते हैं और वह मुकदमें चलाये जाते हैं तो यह चीज रुक सकती है। इसलिये यह जो मांग मैं पेश कर रहा हूं उसमें कमी करने से तो इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो रुपया आप लोगों को मंजूर कर ही देना चाहिये। इसके बाद इसकी कोशिश करनी चाहिये और हम आप मिलकर कोशिश करें तो यह बुराइयां बहुत कुछ दूर हो सकती हैं।

श्री रामायणराय—

इसका रुपया बढ़वाइये। कम क्यों कर दिया?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव--

कटौती तो आप लोगों न की है। अगर उसको वापस ले लेते तो सुबह हम लोग ठंडे ठंडे चले गये होते।

श्री रामायणराय --

आपकी सरकार ने सिक्स परसेंट से फाइव परसेंट किया है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव --

हमने जो यह १ लाख ९२ हजार रुपया रखा है यह भी जवानों की दवाइयों के लिये है। अगर यह रुपया हमारा बच जाता है तो हमारे काम में आ जायगा। इसलिये अगर आपने गौर से देखा होता तो इसमें कटौती पेश करने की आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ सुझाव दिये गये उनका सबका स्वागत है और ऐसे सुझाव जब-जब आयेंगे उन पर विचार किया जायगा और जो माननीय सदस्य सुझाव देंगे, केवल सुझाव नहीं उनको उसमें पूरा सहयोग देना पड़ेगा तब उस सुझाव को हम पूरा करेंगे। जैसे अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि बस्ती में अस्पताल है, वहां इस तरह की बिल्डिग बनी हुई है और एक सेठ डेढ़ लाख रुपया देने के लिये तैयार है, जब आप प्राविश्यलाइज करने लगें तो उसका ध्यान रखें, तो वह नोट कर लिया गया है और उसके ऊपर विचार किया जायगा। तो इस तरह से जितने सुझाव आयेंगे जैसा मैंने कहा वह किसी राजनीतिक दल के नहीं होंगे। वह तो जनता के हित के सुझाव होंगे, उन पर उचित विचार किया जायगा और जहां तक हो सकेगा, उनको पूरा किया जायगा।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर) --

श्रीमन्, एक क्लैरिफिकेशन माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं कि क्या आपको गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने के लिये कई साल पहले सुझाव नहीं मिला था, उस सुझाव पर आपने क्या अमल किया? मेरठ में मेडिकल कालेज खोल दिया और गोरखपुर का मेडिकल कालेज नहीं खोला गया, इसकी क्या वजह है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने का प्रश्न विचाराधीन है और जो सुझाव इसका था मैं इतना ही कह सकता हूं कि वह समेरिली रिजेक्ट नहीं कर दिया गया बल्कि उस पर विचार किया जा रहा है, साधन जुट जायेंगे तो जैसा हो सकेगा, वैसा किया जायगा।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

आपके कानपुर के अन्दर रेडियोग्राम का एक प्लान्ट, जो सात लाख रुपये का है और जिसे जे० के० वालों ने दिया है, वह भी अभी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है जब कि वहां गरीबों के इलाज के लिये है और कैंसर का इलाज उससे होता है। तो उसके इस्तेमाल के लिये कौन सी आपके पास योजना है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

वह जो आपरेटस है, जहां तक मेरी इत्तिला है, वह चालू हो गया है।

श्री बलवानसिंह --

केवल तीन घंटे इस्तेमाल होता है २४ घंटे में जबकि १८ घंटे इस्तेमाल होना चाहिये।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव --

तो अब उसके साथ और भी तो चीजें हैं। बहरहाल, तीन घंटे शुरू हो गया है, जैसा आप कहते हैं कि तीन ही घंटे है तो चालू तो हो गया है।

श्री झारखंडेराय --

एक बात जरा पूछना चाहता था आयुर्वेदिक कालेज में जो बी० एम० बी० एस० की डिग्री आप देते थे, उसमें जो कोर्स पढ़ाया जाता था वह कोर्स अब भी पढ़ाया जा रहा है लेकिन डिग्री आयुर्वेदाचार्य की देने का तय हुआ है तो यह डिस्क्रिपेंसी क्यों है इसको भी जरा साफ कर दें।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव --

अब रह गया एक प्रश्न जिस पर कि मैं अपने विचार प्रकट करता हूं और वह है बी० एम० बी० एस० का। बात यह है कि एक जमाने में हमने आयुर्वेदिक कालेज कायम किया और बी० एम० बी० एस० की डिग्री दी। उसी डिग्री के कुछ जो पास शुदा डाक्टर हैं उनको हमने पी० एम० एस० टू में लिया। उसके बाद वह जो एक भावना है और जो एक जोश चलता है उसके अन्तर्गत यह कहा गया कि बी० एम० बी० एस० न रखकर हमारी डिग्री आयुर्वेदाचार्य की कर दी जाय। तो वह हमने आयुर्वेदाचार्य नाम रख दिया। वे आयुर्वेदाचार्य के विद्यार्थी मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि यह आयुर्वेदाचार्य का नाम उनके यहां से निकाल दिया जाय और जैसे आप संस्कृत वाले के आगे एम० ए० इन संस्कृत लिखते हैं वैसे उनका अंग्रेजी का नाम रख दिया जाय। जैसा कहा गया यह भावना है कि आरम्भ में तो लोग इस तरह आते हैं फिर बाद को यह कहते हैं कि आयुर्वेद का नाम निकाल दिया जाय। फिर बाद को एलोपैथिक में भर्ती होने की बात करते हैं। यह आयुर्वेद का सिस्टम हमारा पुराना सिस्टम है। जैसा मैंने आपको बतलाया कि इस कालेज को गवर्नमेंट सहायता देती है। कितने वैद्यों को भी सहायता दी जा रही है। ज्यादा लोग यही कहते हैं कि एलोपैथिक इलाज अच्छा है। अब जैसे आयुर्वेद का कोर्स है उसमें बी० एम० बी० एस० के कोर्स से कम एलोपैथिक का सिस्टम है। यह प्रश्न एक कमेटी के सिपुर्द है और सरकार के विचाराधीन है। जब यह सवाल हल हो जायगा तो उचित निर्णय हो जायगा और विशेषज्ञों की जो राय होगी उसके अनुसार किया जायगा। केवल आलोचना करने से काम नहीं चलता है। उस काम को अगर पूरा करना है तो मुझसे जो भी मालूमात की जाय मैं उसको बताने को तैयार हूं। उन सब बातों को मुझ से समझ लिया जाय और तब कोई बात रह जाय तो बाद को और बात हो सकती है। इसी तरह से आयुर्वेद की बात है। आयुर्वेद के सिलसिले में जैसा मैंने बतलाया ६२३ डिस्पेंसरी इस वक्त मौजूद हैं। ११ डिस्पेंसरी और खोलने जा रहे हैं। आइन्दा साल ५ और खोलेंगे। २।। लाख रुपया हम ग्रान्ट इन-एड के रूप में वैद्यों को देते हैं। ग्रान्ट-इन-एड के लिये २।। लाख रुपया रखा गया है। जहां तक दवाई बनाने का सम्बन्ध है उसके लिये मशीन मंगाने की योजना है। उसके लिये २२,८०० रुपया रखा गया है। ऐसी मशीन मंगाने जा रहे हैं जिससे आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार करेंगे। इस तरह से हम आयुर्वेद का इन्तजाम कर रहे हैं। प्लान में भी हमने देशी दवाइयों के लिये रुपया रखा है। वह हम खर्च करेंगे। जहां तक होम्योपैथिक का सम्बन्ध है इसके लिये यह सोचा गया कि यह ऐसा इलाज है जो देहातों में किया जा सकता है। उसके लिये हमने कालेज कायम कर रखा है। उसका एक होम्योपैथिक बोर्ड है। उसको हम सहायता देते हैं। आपने देखा होगा तो हमने इसके लिये बजट में रुपया रखा है। जो हमारा नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ में है वह आगरा यूनिवर्सिटी से एफीलियेटेड हो गया है। वहां लोग पढ़ते हैं। इस तरीके से होम्योपैथी को जितनी सहायता दी जा सकती है वह हम दे रहे हैं। हम यह जरूर चाहते हैं कि ऐसे ही यह होम्योपैथी न रहे बल्कि उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दें। वह चालू हो जायगी। इस तरह से होम्योपैथी की तरफ सरकार का ध्यान है और उसका प्रबन्ध हमने इस बजट में कर रखा है। लिप्रोसी, कुष्ट रोग, के सम्बन्ध में, जो यहां पर कहा गया है, तो उसमें मैं यह बता देना चाहता हूं कि उसके सेन्टर्स यहां पर कई जगह पर हैं। यह बात आप लोगों को कदाचित् बता दी जा चुकी है और आप लोग जानते भी हैं कि जापान से एक मिशन आया था। वह यह चाहते थे कि हम यहां पर हिन्दुस्तान में एक लिप्रोसी का सेन्टर कायम करें। वह क्योर करने के लिये रिहैबिलिटेट करे। उसके और जो सेन्टर्स हैं वहां पर इलाज हो ही रहा है।

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

इस बजट में जो सहायता दी गई है वह तो आप लोगों ने देखी ही है। हमने इस बात की कोशिश की कि वह सेंटर हमारे उत्तर प्रदेश में ही कायम हो। उनको कई जगह दिखलाई गई, सहारनपुर में चूंकि बिजली की और पानी की कठिनाई थी इस कारण वहां पर नहीं हो पाया और भी कई एक स्थान दिखलाये गये। परन्तु आगरे में उसको स्थापित करने का निश्चय हुआ ह। वह जिस तरह से इलाज करते हैं वह कानपुर में नहीं हो सकता था। वह सेन्टर आगरे में कायम हो जायगा और वहां पर १०-५ सालों में वह जब चालू हो जायगा तो हमारे डाक्टर उस एडवान्स तरीके से परिचित हो जायेंगे, जो कि लिप्रोसी के इलाज का है। उनके सीख जाने के बाद और आगे प्रचार हो सकेगा। जब सेन्टर कायम हो जायगा और काम चलने लगेगा तो वह आगरा मेडिकल कालेज टेक ओवर कर लेगा। इस तरह से आप देखें कि लिप्रोसी की तरफ ज्यादा ध्यान है। जो कुछ भी उसके लिए कोशिश की जा सकती है, वह की जा रही है।

एक सदस्य---

यह जो पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है उनके लिये क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता ---

सदन में बहुत शोर हो रहा है कृपया आप लोग शांत रहें।

एक सदस्य ---

क्या आयुर्वेदिक कालेज में एम० एल० एज० को भी सुविधा प्राप्त है ?

श्री अधिष्ठाता ---

यदि माननीय मन्त्री जी उत्तर देना चाहें तो दें नहीं तो अपना भाषण जारी रखें।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव ---

इसका प्रबन्ध हो रहा है। अतर्रा कालेज का जहां तक ताल्लुक है, उसको अभी तक बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन ने रिकग्नीशन नहीं दिया है। उसके लिये कोशिश की जा रही है। इस तरह से यदि आप बजट को पढ़ेंगे तो यही पायेंगे कि हर तरफ से कोशिश हो रही है कि जनता को अधिक से अधिक लाभ हो। हर विभाग में जो सुझाव दिये गये हैं, उन सुझावों के प्रति आभार प्रकट किया गया है और आपके सूझावों की ओर इस सरकार का ध्यान है। आपको जो विशेष सुझाव देने होंगे, वह भी आप दे सकते हैं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मेरे इन अनुदानों को यह सदन स्वीकार करे ताकि काम आगे चल सके।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पागलों की बढ़ती हुई संख्या के लिये क्या इन्तजाम हो रहा है और वह क्या करने जा रहे हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

यह सरकार एक पागलखाना गोरखपुर में बनाने के लिये सोच रही है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८---चिकित्सा के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या १८---चिकित्सा के अन्तर्गत ६,५१,१४,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९---जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या १९---जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ५,६६,६२,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

अब हम उठते हैं और १४ तारीख को साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २२ मिनट पर बृहस्पतिवार, १४ मार्च, १९६३ को १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
८ मार्च, १९६३ ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तगत तारांकित प्रश्न १३–१५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२६ पर]

अनुसूची 'क'

सड़कों का नाम	लम्बाई	अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	दिसम्बर, १९६२ तक की प्रगति मौलिक आर्थिक	
प्रथम पंचवर्षीय योजना	मी० फ०			प्रतिशत	रुपये में
१—सैदपुर फार्म सड़क	३–०	६६,५००	यह कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया गया ।		
२—समथर-पिपरी-कलां सड़क	११–२	२९,०००	२७–८–५५	९४	१,२३,२९६
३—पन्धवा बिजना	८–०	१,३६,६००	२७–८–५५	९०	१,१९,५१५
द्वितीय पंचवर्षीय योजना					
१—बांसी-जखौरा सड़क	९–७	३,१६,०००	१५–१–५८	९४	२,९१,४१९
२—बांसीबार सड़क	७–०	३,४५,८००	६–३–६१	४५	१,४७,९५७
बैकवर्ड एरिया स्कीम					
१—ललितपुर-देवगढ़ सड़क	१९–०	८,७४,७००	१८–१२–५९	६९	५,८०,२०६
२—महरौनी-बानपुर सड़क	८–६	३,३५,०००	१५–१०,६१	९०	३,०१,५००
३—मदौरा-मदनपुर सड़क	११–६	८,८३,०००	१६–२–६१	२९	२,४३,६१८

अनुसूची 'ख'

सड़कों का नाम		लम्बाई	अनुमानित लागत	वर्तमान प्रगति
		मील फर्लांग	रुपयों में	प्रतिशत
प्रथम पंचवर्षीय योजना				
१—ऐरिच-मऊ-बमोरी सड़क	..	४८–२–	६,८६,०००	१००
द्वितीय पंचवर्षीय योजना				
१—बड़ागांव-धौरैया सड़क ..	..	२४–३	५,७५,२००	६७
२—तालबेहट रेलवे फीडर सड़क	..	१–२	३६,०००	६४
३—बरुवासागर रेलवे फीडर सड़क	..	१–४	४४,५००	५५
४—रानीपुर रेलवे फीडर सड़क	..	१–०	३९,२३०	१००
५—ललितपुर रेलवे फीडर सड़क	..	१–५	४९,०००	१००
६—धौरैया-एरिचमऊ सड़क	..	७–०	२,८०,०००	४०
७—एरिचमऊ-बमोरी सड़क	..	२–०	४९,०००	९०
८—झांसी-मऊ-हरपालपुर सड़क	..	३–४	४९,०००	९०
९—बड़ागांव गेट सड़क ..	..	२–०	३२,०००	७९
१०—दतिया गेट सड़क ..	..	०–४	१०,७००	८०
बैकवर्ड ऐरिया स्कीम				
१—ललितपुर-महरौनी सड़क	..	९–०	४,३८,५००	९०

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२९ पर]

तालिका

तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में दी गई सब्सीडी

क्रम-संख्या	नाम ग्राम जो दरिया से कट गये हैं	नाम ग्राम जहां पर गृह विहीन व्यक्तियों को बसाया गया है तथा बसाया जायगा	सब्सीडी जो दी गई		कैफियत
			१९६१-६२	१९६२-६३	
१	२	३	४	५	६
			रु०	रु०	
१—वगहा		पटना	४८६०.००	७५.००	कुछ देवरिया में बस गये हैं। शेष के लिये भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही हो रही है।
२—कोलखास		..	...	२६००.००	उनको इच्छानुसार भूमि का स्वयं प्रबंध करने के लिये अनुग्रह धन दे दिया गया है। देवरिया में बस रहे हैं।
३—ज्ञानकोल		तुरकौलिया	१००.००	७२५.००	
४—सेमरा खुर्द		सेमराबुजुर्ग	१२०.००	४२५.००	भूमि प्राप्त की गई है। अब वहां बसना नहीं चाहते हैं।
५—मझवलियां		मझवलियां	..	२००.००	भूमि हस्तगत करने की कार्यवाही हो रही है।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२९ पर]

क्रम-संख्या	जिला	स्टेट बैंक में जमा रकम	बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजी गई रकम	रकम जो वसूल न हो सकी
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१—देहरादून	..	७,४५७.७०	२,१२८.३८	—
२—मुजफ्फरनगर	..	९,७०७.००	१,२२०.००	१,३७९.५०
३—सहारनपुर	..	११,२३५.०४	९९७.२५	५९.३०
४—मेरठ	..	१६,०००.००	९,५००.००	—
५—बुलन्दशहर	..	८,११५.७५	७९८.२५	१,१००.५६
६—अलीगढ़	..	३५,०४९.९१	१,१७७.८४	—
७—मथुरा	..	२८,६२२.६९	—	—
८—आगरा	..	१६,७६१.०९	२,२२०.२२	१,०००.००
९—मैनपुरी	..	११,०९५.११	—	१००.००
१०—एटा	..	१२,६८८.७९	—	—
११—बरेली	..	६,७०९.९७	—	—
१२—बजनौर	..	१०,८४१.२२	—	—
१३—बदायूं	..	३,५७०.९५	१,५४४.१८	—
१४—मुरादाबाद	..	९,११५.०१	२,१९१.२८	—
१५—शाहजहांपुर	..	३,५१९.१५	७७४.००	२,०३२.००
१६—पीलीभीत	..	३,४३५.६४	७७७.०२	१४९.२०
१७—रामपुर	..	२,८६३.०३	—	—
१८—नैनीताल	..	५,७८३.२०	१,०९८.०६	—
१९—अल्मोड़ा	..	५,४००.००	—	४७०.००
२०—पौढ़ी गढ़वाल	..	५,०३०.१६	—	२६०.००
२१—टेहरी-गढ़वाल	..	१,०४८.९८	—	—
२२—चमोली	..	७९३.००	—	८०.००
२३—उत्तर काशी	..	६८७.२०	४६७.३४	५५.००
२४—पिथौरागढ़	..	४,४७८.९९	४६६.२८	२—
२५—फर्रुखाबाद	..	१,०३३.८६	६,१७४.००	२७२.४४
२६—इटावा	..	२,३३६.३२	५९२.३२	५,१६४.४५
२७—कानपुर	..	१९,१५५.४१	२,८७६.६०	—
२८—फतेहपुर	..	५,९६२.९४	२७२.३७	—
२९—इलाहाबाद	..	—	१३,८६४.००	—
३०—बांदा	..	१,१९८.७०	२,४५५.२८	—
३१—हमीरपुर	..	२,१३३.४५	५०४.७५	३१२.००
३२—झांसी	..	१,९५३.७६	२,५४१.६५	१,३९३.७९

क्रम-संख्या	जिला		स्टेट बैंक में जमा रकम	बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजी गई रकम	रकम जो वसूल न हो सकी
			रु०	रु०	रु०
३३	जालौन	..	६३९.५८	५,४८८.९९	—
३४	बनारस	..	—	१२,९१५.००	२,२७६.५०
३५	मिर्जापुर	..	४१५.०५	१,६८२.७५	३,८२१.५०
३६	जौनपुर	..	७,५०८.९०	७२८.२०	१३०.००
३७	गाजीपुर	..	८,१९५.१५	६९३.०७	—
३८	बलिया	..	२,४७१.००	६,१२८.३८	१,११०.६२
३९	गोरखपुर	..	—	५,४६२.७०	७,५६९.००
४०	देवरिया	..	४,८००.००	८,७४९.९८	—
४१	बस्ती	..	७,३५२.२५	२,०३९.००	५८०.६३
४२	आजमगढ़	..	१०,४७५.७५	१,८५६.९७	१,००४.१९
४३	गोंडा	..	२०,८४६.५३	१,३७२.४२	—
४४	बहराइच	..	२,९१०.२५	१,९१४.६५	२८६.८०
४५	फैजाबाद	..	८,९९१.६२	३९८.४५	२३४.००
४६	रायबरेली	..	५,१०३.८९	५४.००	—
४७	सीतापुर	..	४,४४१.८२	८७९.५०	२८९.१०
४८	लखनऊ	..	११,७२९.००	१,७६९.१२	१,१८५.८५
४९	उन्नाव	..	५,७७७.५५	४९१.७०	—
५०	हरदोई	..	४,१३२.०३	४,२२४.६४	१०६.३२
५१	खीरी	..	६,८५६.१३	—	२५.००
५२	प्रतापगढ़	..	२,३२९.२८	२,५९६.००	१,५४२.००
५३	बाराबंकी	..	१,६८०.६१	३,१२४.९२	१९९.७५
५४	सुल्तानपुर	..	६,१२२.९५	९१.८५	—
	योग	..	३,७६,५६३.३६	८५,३३७.०४	२८,६५२.६१

रा० कि० कोहली,
सहायक उप शिक्षा निदेशक (शिविर),
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अंतर्गत तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३१ पर]

योजना की रूपरेखा

एन० सी० सी० स्कीम के तीन भाग होते हैं : (१) आर्मी, (२) नेवी तथा (३) एयर विंग और इनमें से प्रत्येक के फिर दो भाग होते हैं : (अ) सीनियर डिवीजन तथा (ब) जूनियर डिवीजन ।

सीनियर डिवीजन तथा एन० सी० सी० राइफल के कैडेटों को निम्नलिखित विषयों में शिक्षा दी जाती है :

(क) सादा व्यायाम तथा शस्त्रों के साथ व्यायाम (Squad Drill and Drill with Arms.),

(ख) हथियार चलाने की शिक्षा तथा फील्ड क्रेफ्ट (Weapons Training and Field Craft),

(ग) प्लेटून तथा सेक्शन लीडिंग (Platoon and Section Leading.),

(घ) मानचित्रों को पढ़ने की विधि (Map Reading.),

(ङ) स्वच्छता व शरीर विज्ञान (Hygiene and Sanitation.),

(च) नागरिकता (Citizenship),

(छ) भाषण देना (Pubic Speaking.),

(ज) सेना संबंधी अन्य विषय (Corps subjects of different arms of service for those of the Technical Units such as Armoured Squardrons, Artilery Batteries and so on.),

जूनियर डिवीजन कैडेट्स को प्रारम्भिक मिलिटरी विषयों, जैसे कि व्यायाम, शस्त्र शिक्षा, फील्ड क्रैफ्ट, सेक्शन लीडिंग, मानचित्रों को पढ़ने की विधि (Map Reading), प्राथमिक चिकित्सा (First Aid), शारीरिक विज्ञान तथा नागरिकता इत्यादि ।

आगामी वर्ष ८८,००० छात्रों को प्रशिक्षित किये जाने की व्यवस्था की है । इस पर अनुमानित व्यय ६९ लाख रुपये होगा, इसमें से लगभग ४० लाख रुपये भारत सरकार वहन करेगी ।

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३१ पर]

तालिका

शिशु विद्यालय का नाम	अनुदान जो विद्यालय को उ० प्र० सरकार द्वारा प्राप्त हुआ। १९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३
	रु०	रु०	रु०
१—लखनऊ मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ ।	अनुपालन अनुदान ५२८०	अनुपालन अनुदान ८१०६	अनुपालन अनुदान ६०१२ अभी तक केवल प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय त्रैमासिक अनुदान का भुगतान किया गया है ।
२—सर्वोदय बाल निकुंज, लखनऊ ।	शून्य	२,००० रु० का अनावर्तक अनुदान बेसिक तथा नर्सरी शिक्षा हेतु ।	शून्य
३—सिटी मान्टेसरी स्कूल, १२, स्टेशन रोड, लखनऊ ।	६९६ रु० सज्जा और फर्नीचर के लिये ।	शून्य	शून्य

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३२ पर)

जिला गोरखपुर में राप्ती पुल के निर्माण के सम्बन्ध में ठेकेदारों और उनके अधीनस्थ कार्य तथा उन कार्यों के प्राक्कलन की सूची:—

ठेकेदारों के नाम	कार्यों के नाम	कार्यों का प्राक्कलन
		रु० न० पै०
१—मेसर्स के०बी०आई० कार्पोरेशन, शाहपुर, गोरखपुर ।	पुल के स्पैन नम्बर एन ४, एम ४ और एस ५ की सेन्ट्रिंग का निर्माण ।	१,३८,७८२.६८
२—श्री जैकरन सिंह, मौजा बेलवा, पोस्ट आफिस—सुकरौली, जिला देवरिया ।	लखनऊ की ओर पड़ने वाले एवैटमेन्ट के लिये ब्लोक कंकड़ की सप्लाई, स्लोप की पिचिंग तथा एपरोन डालने का कार्य ।	५३,६६५
३—श्री बसन्त, मुहल्ला नकाहा, गोरखपुर ।	पत्थर को तोड़कर गिट्टी बनाने का कार्य ।	३,०००

नत्थी 'छ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३३ पर)

प्रश्न संख्या	प्रार्थना-पत्र का दिनांक तथा उसमें लगाये गये आरोप का संक्षिप्त विवरण	जांच का विवरण
१	२४-४-५९ द्वारा मंत्री जिला चकबन्दी कर्मचारी संघ बन्दोबस्त अधिकारी के कर्मचारियों को अपशब्द कहने, आवश्यकता पड़ने पर भी छुट्टी न देने तथा छुट्टियों में और कार्यालय समय के पश्चात् काम लेने के बाबत ।	आरोप पत्र पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं थे तथा उसमें कोई विशिष्ट तथ्य नहीं दिये हुये थे । कोई मान्यता प्राप्त चकबन्दी कर्मचारी संघ जौनपुर में नहीं है । अतः प्रार्थना-पत्र पर जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी और उसे दाखिल दफ्तर कर दिया गया ।
२	१-७-६० का श्रीमती शरीफन की शिकायत बन्दोबस्त अधिकारी के कृषकों को तंग करने व उसके दो पुत्रों को गाली देने आदि के बाबत ।	श्रीमती शरीफन के दो लड़कों के ऊपर फौजदारी अदालत में मुकदमा चल रहा था और जांच पर पाया गया कि श्रीमती शरीफन ने उस मुकदमें में असर डलवाने के लिये ही शिकायत की थी । अतः जिलाधीश, जौनपुर की शिफारिश पर उस मामले में कोई और कार्यवाही नहीं की गई ।
३	नवम्बर, १९६१ का छपा पर्चा बन्दोबस्त अधिकारी के श्री सिंह, सम्पादक 'प्रकाश' के प्रभाव में होने तथा कार्य में गड़बड़ी करने के बाबत ।	जिलाधीश, जौनपुर ने इसकी जांच की थी । इस पर्चे पर शिकायत करने वाले का अथवा छापने वाले प्रेस का नाम नहीं दिया था । जिलाधीश ने शिकायत में कोई सत्यता नहीं पाई ।
४	दिसम्बर, १९६१ का श्री के० जी० मौर्य का प्रार्थनापत्र बन्दोबस्त अधिकारी के चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने तथा इस कारण उनके जिले से स्थानान्तरण के बाबत ।	अतिरिक्त जिलाधीश की जांच पर श्री मौर्य ने ऐसा प्रार्थना-पत्र देने से इनकार किया और बताया कि उन्हें बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी से कोई शिकायत नहीं । इस प्रकार शिकायत असत्य पाई गई ।
५	नवम्बर, १९६२ की श्री फुन्नन की शिकायत उनके बन्दोबस्त अधिकारी के पास चकबन्दी अधिकारी के प्रतिकूल, शिकायत के लिये जाने पर बन्दोबस्त अधिकारी के अभद्रतापूर्ण व अपमानजनक बर्ताव के विरुद्ध ।	श्री फुन्नन व्यक्तिगत तामील के बावजूद भी जांच के लिये जिलाधीश के समक्ष नहीं उपस्थित हुये । बन्दोबस्त अधिकारी ने पूछने पर इस आरोप को असत्य बताया । जिलाधीश ने इस प्रकार शिकायत को साबित नहीं पाया ।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३४ पर)

प्रश्न संख्या १४ के उत्तर में वर्णित सूचना

पुल की नींव में निम्न अनुपात से सीमेन्ट तथा बालू मिलाने के आदेश हैं :—

(१) सीमेन्ट कांक्रीट :

१ भाग सीमेन्ट,
२ भाग बालू,
४ भाग पत्थर की गिट्टी ।

(२) ईंटों की चुनाई में :—

१ भाग सीमेन्ट,
३ भाग बालू ।

विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३४ पर)

प्रश्न संख्या १६ के उत्तर में वर्णित सूचना

इस निर्माण-कार्य में लगे मजदूरों को निम्न दैनिक वेतन दिया जाता है :—

(१) राजगीर	५ रुपये प्रतिदिन
(२) लुहार	५ रुपये प्रति दिन
(३) गलइया	४ रुपये प्रति दिन
(४) बेलदार	१ रुपये ५० नये पैसे प्रति दिन व १ रुपये ३७ नये पैसे प्रति दिन ।
(५) छोटे मजदूर (कुली)	१ रुपये २५ नये पैसे प्रति दिन

संसद सदस्य

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४२ पर)

तालिका 'क'

श्री कल्पनाथसिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में वर्णित तालिका

क्रम-संख्या	नाम गांव	कार्यप्रारम्भ होने की तिथि	तादाद कितने दिन काम हुआ	औसत हाजिरी प्रतिदिन	कार्यप्रारम्भ होने की तथि	तादाद कितने दिन काम हुआ	औसत हाजिरी प्रति दिन	कार्यप्रारम्भ होने की तिथि	तादाद कितने दिन काम हुआ	औसत हाजिरी प्रति दिन
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	मुजौना ..	..	..	..	२२-७-६२	१०	५०	१-८-६२ से १५-८-६२	१५	१०
२	मैभरा ..	..	..	१५-६-६२	१-७-६२	३१	५१	१-८-६२ से १५-८-६२	१५	६२
३	छपियउमराव ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
४	खजुरी ..	..	..	..	१८-७-६२	१४	२०	१-८-६२ से १५-८-६२	१५	४२
५	पिड़हनी ..	..	..	..	५-७-६२	२७	५०	१-८-६२ से १५-८-६२	१५	६४
६	खड़ेरी ..	..	..	१५-६-६२	१-७-६२	३१	३५	१-८-६२ से १५-८-६२	१५	५८
७	बूढ़नपुरा ..	..	..	..	१८-७-६२ से २१-७-६२	४	४	१-८-६२ स	१०	३१
	योग ..		३२			११७			८५	

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४३ पर)

प्रश्न ४ के उत्तर में वर्णित तालिका 'ख'

क्रम-संख्या	नाम गांव सभा	भुगतान की तिथि	भुगतान की गई धनराशि	देय धनराशि
			रु०	रु०
१	मैमरा	२३-७-६२	५०३.९३	५२५
२	मैमरा	१२-१०-६२	४३२.५०	
३	बूढ़नपुरा	१२-१०-६२	१४.८७	१६१
४	खजुरी	९-८-६२	३००.१२	७०
५	पिड़हनी	२३-७-६२	९७८.८१	१४७
	,, ..	९-८-६२	६५०.७९	
६	खड़ेसरी	२३-७-६२	४५१.०२	२४५
७	,, ,,	९-८-६२	४३८.८२	
	कुल योग ..		३,७७०.८६	१,१४८

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ३४३ एल० ए० १९६३ (प्री०)—८५० ।